खण्ड-398, अंक-1
शुक्रवार, 22 आषाढ़, शक संवत् 1912
(13 जुलाई, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 398 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय—सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री राज्यपाल, मंत्रिपरिषद्, नेता विरोधी दल, विधान सभा के पदाधिकारियों तथा अधिष्ठाता मण्डल आदि की सूची	ग—घ
उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची	ङ से आ
उपस्थित सदस्य	ट
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास (जारी)	1
प्रश्नोत्तर	1—49
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	50
जनपद सुल्तानपुर के नोगवातीर ग्राम में सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50—51
प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग में भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों की प्रोन्नतियों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद खीरी के थाना पसगवां की पुलिस द्वारा असलपुर गांव की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51—52
जनपद खीरी के थाना पसगवां की पुलिस द्वारा असलपुर गांव की एक संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
जनपद उन्नाव के विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश न मिलने से जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
गोण्डा जिलान्तर्गत बलरामपुर तहसील में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	53
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	53—54
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास	55
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	55—66
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण), अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) (स्वीकृत)	67—91
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 89—सार्वजनिक उद्यम विभाग, (स्वीकृत)	91—92

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 5—उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या 6—उद्योग विभाग (हथकरघा) (स्वीकृत)	92—117
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	118
मण्डी निदेशक द्वारा "मण्डी सर्वेक्षण रिपोर्ट" में	
मण्डी समितियों में करोड़ों रुपये के घपले का पर्दाफाश होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	118—120
लखनऊ की शहादतगंज बस्ती में शिया-सुन्नी दंगे में एक व्यक्ति की मृत्यु तथा कई लोगों के घायल होने के संबंध में वक्तव्य	120—124
अथ	125

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ

मंत्रि-परिषद्

1--श्री मुलायम सिंह यादव, .. मुख्य मंत्री एवं प्रभारी सामान्य प्रशासन, प्राविधिक शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योग, नागरिक उड्डयन, वित्त, सांस्कृतिक कार्य, सूचना, पूर्त धर्मस्व, उद्योग, गृह, ऊर्जा, दुग्ध विकास, पशुधन, मत्स्य, कृषि, सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो, संस्थागत वित्त, आवास, न्याय एवं विधायिका, सहकारिता, परिवहन, पर्यटन ।

2--श्री रेवती रमण सिंह .. सिंचाई एवं लघु उद्योग तथा पर्यावरण मंत्री ।

3--श्री बेनी प्रसाद वर्मा .. सार्वजनिक निर्माण, संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री ।

4--श्री राम शरण दास .. गन्ना विकास एवं राजस्व मंत्री ।

5--श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी .. शिक्षा एवं युवा कल्याण मंत्री ।

6--श्री मुख्तार अनीस .. जन-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री ।

7--श्रीमती सुखदा मिश्रा .. ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री ।

8--श्री अवधेश प्रसाद .. हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री ।

9--श्री दिवाकर विक्रम सिंह .. खाद्य तथा रसद मंत्री ।

10--श्री मोहम्मद आजम खां .. श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री ।

11--श्री विक्रमादित्य पाण्डे .. नगर विकास मंत्री ।

12--श्री बरफिया लाल जुवांठा .. पर्वतीय विकास मंत्री ।

13--श्री मोहम्मद असलम खां .. वन एवं खेलकूद मंत्री ।

14--श्री शतरुद्र प्रकाश नियोजन एवं कारागार मंत्री ।

नेता विरोधी दल

श्री नारायण दत्त तिवारी .. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मंडल

अध्यक्ष

श्री हरी किशन

उपाध्यक्ष

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान

अधिष्ठाता मण्डल

1--श्री सन्त बख्श रावत, सदस्य विधान सभा (लखनऊ)

2--श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, सदस्य बिधान सभा (इलाहाबाद)

3--श्री बाबू राम यादव, सदस्य विधान सभा (मैनपुरी)

4--श्री सैयद लियाकत हुसैन, सदस्य विधान सभा (फतेहपुर)

5--श्री नरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा (मेरठ)

6--चौधरी शंकर सिंह, सदस्य विधान सभा (जालौन)

7--श्री ऊदल, सदस्य विधान सभा (वाराणसी)

8--डा० शिवानन्द नौटियाल, सदस्य विधान सभा (चमोली)

9--श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी, सदस्य विधान सभा (इलाहाबाद)

10--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, सदस्य विधान सभा (सीतापुर)

सचिव

श्री भाल चन्द्र शुक्ल

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

1—अकबर अली, श्री — जालौन
2—अकबर हुसैन बाबर, श्री — फैजाबाद
3—अकबाल हुसैन उर्फ अकबाल हुसैन, श्री — गोण्डा
4—अख्तर, श्री — गाजियाबाद
5—अंचल सिंह, श्री — फतेहपुर
6—अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
7—अतर सिंह यादव, श्री — एटा
8—अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
9—अनवार मोहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
10—अनिल कुमार भारद्वाज, श्री — रामपुर
11—अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
12—अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
13—अफजाल अंसारी, श्री — गाजीपुर
14—अमरनाथ यादव, श्री — वाराणसी
15—अमरपाल सिंह, श्री — मेरठ
16—अमरमणि, श्री — महाराजगंज
17—अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री — मऊ
18—अमीर आलम खां, श्री — मुजफ्फरनगर
19—अरविन्द कुमार, श्री — ललितपुर
20—अरिदमन सिंह, श्री — आगरा
21—कुंवर अरुण, श्री — फैजाबाद
22—अरुण कुमार सिंह मुन्ना, श्री — जौनपुर
23—अरुण प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
24—अर्जुन सिंह यादव, श्री — जौनपुर
25—अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
26—अशोक कुमार, श्री — बिजनौर
27—अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
28—अशोक पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
29—अशोक कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
30—अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
31—अशोक बाजपेयी, श्री — हरदोई
32—असगर, श्री — देवरिया
33—अहिबरन, श्री — शाहजहांपुर
34—इन्दल सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
35—इन्द्र प्रताप सिंह, श्री — बहराइच
36—इन्द्र भद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
37—इन्द्रेश विक्रम, श्री — रायबरेली
38—इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री — बुलन्दशहर
39—ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
40—उमाकान्त बाजपेयी, श्री — फतेहपुर
41—उमानाथ सिंह, श्री — जौनपुर
42—ऊदल, श्री — वाराणसी
43—एन्दल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
44—ओंकार सिंह, श्री — एटा
45—ओम प्रकाश, श्री — गोरखपुर
46—ओम प्रकाश यादव, श्री — मुरादाबाद
47—ओम प्रकाश गुप्ता, श्री — सीतापुर
48—ओम प्रकाश दिवाकर, श्री — फिरोजाबाद
49—ओम प्रकाश सिंह, श्री — गाजीपुर
50—कप्तान सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
51—कमल नयन वर्मा, श्री — रायबरेली
52—कमला साहनी, श्रीमती — सिद्धार्थनगर
53—कमाल अहमद रिजवी, श्री — खीरी
54—करन चन्द्र सिंह, श्री — नैनीताल
55—करन सिंह, श्री — मुरादाबाद
56—कल्यान सिंह, श्री — अलीगढ़
57—कलियान सिंह दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
58—काजी मो0 मोहिउद्दीन श्री — हरिद्वार
59—कालीचरण, श्री — मिर्जापुर
60—काशी प्रसाद, श्री — हमीरपुर
61—काशी सिंह ऐरी, श्री — पिथौरागढ़
62—काशिम अली, श्री — देवरिया
63—किरनपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
64—किशन गोपाल, श्री — आगरा
65—के0 एस0 तड़ागी, श्री — नैनीताल

66—किशोरी श्याम, श्री मथुरा
67—कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी, श्री इलाहाबाद
68—कुंवर सिंह नेगी, श्री चमोली
69—कृपा शंकर आर्य, श्री देवरिया
70—कृष्ण किंकर सिंह, श्री बस्ती
71—कृष्ण कुमार नवमान, श्री अलीगढ़
72—कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री बदायूं
73—केदार नाथ सिंह, श्री गोरखपुर
74—केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री इलाहाबाद
75—खुशीद, श्री गाजीपुर
76—गंगाभक्त सिंह, श्री हरदोई
77—गंगाराम, श्री बुलन्दशहर
78—गंजी प्रसाद, श्री वाराणसी
79—गजराज सिंह, श्री गाजियाबाद
80—गणेश दीक्षित, श्री कानपुर
81—गनपत सिंह, श्री महराजगंज
82—गया प्रसाद वर्मा, श्री इटावा
83—गुलाब सिंह, श्री देहरादून
84—गुलाब सिंह, श्री मिर्जापुर
85—गोपाल रामदास, श्री अल्मोड़ा
86—गोपीनाथ वर्मा, श्री फैजाबाद
87—गोमती यादव, श्री आजमगढ़
88—गोवर्धन सिंह, श्री एटा
89—गौरी देवी, श्रीमती गोरखपुर
90—गौरी शंकर भइया, श्री बलिया
91—चन्द्रकली वर्मा, श्रीमती सीतापुर
92—चन्द्रपाल सिंह, श्री मुरादाबाद
93—चन्द्रभान मौर्य, श्री आगरा
94—चन्द्रभान सिंह, श्री बांदा
95—चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री बहराइच
96—चन्द्रविजय सिंह, श्री मुरादाबाद
97—चन्द्र शेखर सिंह, श्री वाराणसी
98—चन्द्र शेखर सिंह, श्री बस्ती
99—चरन सिंह, श्री मेरठ
100—चेतराम, श्री शाहजहांपुर
101—चैनसुखा भारती, श्री जालौन
102—चौधरी शंकर सिंह, श्री जालौन
103—छन्नू लाल शास्त्री, श्री वाराणसी
104—छेदा लाल चौधरी, श्री खीरी
105—छोटे लाल, श्री खीरी
106—जगदीश चन्द्र, डा0 लखनऊ
107—जगदीश लाल, श्री महराजगंज
108—जगमोहन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
109—जगराम सिंह, श्री मुरादाबाद
110—जगवीर सिंह, श्री अलीगढ़
111—जनार्दन प्रसाद आभा, श्री महाराजगंज
112—जफर अली नकवी, श्री खीरी
113—जमुना प्रसाद बोस, श्री बदायूं
114—जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
115—जयराज गौतम, श्री सुल्तानपुर
116—जयशंकर पाण्डेय, श्री फैजाबाद
117—जय सिंह यादव, श्री प्रतापगढ़
118—जसवन्त सिंह विष्ट, श्री अल्मोड़ा
119—जागेश्वर, श्री फतेहपुर
120—जी0 एस0 विनोद, डा0 मुजफ्फरनगर
121—जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री कानपुर
122—ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री मथुरा
123—ज्वाला प्रसाद यादव, श्री जौनपुर
124—झण्डे सिंह, श्री मेरठ
125—तीरथराज, श्री सोनभद्र
126—तेजपाल, श्री बिजनौर
127—दयाराम भास्कर, श्री आजमगढ़
128—दयाशंकर, श्री वाराणसी
129—दशरथ सिंह, श्री गोण्डा
130—दिनेश जौहरी, डा0 बरेली
131—दिवाकर विक्रम सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
132—दीपचन्द सोनकर, श्री जौनपुर
133—दीपनारायन, श्री आजमगढ़
134—दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
135—देवकी नन्दन, श्री उन्नाव
136—देवकुमार यादव, श्री बांदा
137—देवनादीन, श्री बहराइच
138—देवी प्रसाद, श्री बहराइच
139—देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री ललितपुर
140—देवेन्द्र सिंह, श्री एटा
141—दौलतराम, श्री बदायूं
142—दौलतराम, श्री सीतापुर
143—धनीराम वर्मा, श्री इटावा
144—धर्मज्ञ मिश्र, श्री हरदोई
145—धर्मपाल, श्री बहराइच

146—धर्मपाल, श्री बुलन्दशहर
147—धर्मवीर सिंह, वालियान श्री मुजफ्फरनगर
148—नकली सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
149—नजमुद्दीन, श्री इलाहाबाद
150—नरेन्द्र पाल सिंह, बरेली
151—नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री बुलन्दशहर
152—नरेन्द्र सिंह, श्री मेरठ
153—नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री गढ़वाल
154—नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री हरदोई
155—नरेश चन्द्र उत्तम, श्री फतेहपुर
156—नारायण दत्त तिवारी, श्री नैनीताल
157—नियाज हसन, श्री प्रतापगढ़
158—निरवेन्द्र कुमार, श्री खीरी
159—निहाला सिंह, श्री वाराणसी
160—नेगपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
161—पंचानन राय, श्री आजमगढ़
162—पद्मा सेठ, श्रीमती सीतापुर
163—परमाई लाल, श्री हरदोई
164—परवेज हलीम खान, श्री मेरठ
165—प्रागी लाल अहिरवार, श्री झांसी
166—पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
167—पूर्णवासी, श्री देवरिया
168—पुष्पा देवी, श्रीमती बदायूं
169—प्यारेलाल शंखवार, श्री कानपुर देहात
170—प्रदीप कुमार यादव, श्री बाराबंकी
171—प्रभु दयाल यादव, श्री कानपुर देहात
172—प्रभुदयाल, श्री मेरठ
173—प्रमोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
174—प्रवीण सिंह एरन, श्री बरेली
175—प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री सिद्धार्थनगर
176—प्रेमवती तिवारी, श्रीमती लखनऊ
177—फकीरे लाल वर्मा, श्री फर्रुखाबाद
178—फौजदार प्रसाद, श्री मऊ
179—बंशीधर, श्री रामपुर
180—बदन सिंह, श्री आगरा
181—बरफिया लाल जुवांठा, श्री उत्तर काशी
182—बलराम यादव, श्री आजमगढ़
183—बलवीर सिंह टिहरी गढ़वाल
184—बल्देव सिंह, श्री बिजनौर
185—बसन्त लाल गुप्ता, श्री लखनऊ
186—बहादुर सिंह, श्री आगरा
187—बाबूराम यादव, श्री मैनपुरी
188—बाबूलाल, श्री हमीरपुर
189—बाबूलाल सरोज, श्री प्रतापगढ़
190—बाबू सिंह यादव, श्री अलीगढ़
191—बालचन्द्र मिश्रा, श्री कानपुर
192—बृजभूषण मणि त्रिपाठी, डा0 फैजाबाद
193—विजेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
194—बेनी प्रसाद वर्मा, श्री बाराबंकी
195—ब्रह्मा शंकर तिवारी, श्री देवरिया
196—भगवानदीन कुशवाहा, श्री कानपुर देहात
197—भगवान सिंह शाक्य, श्री बदायूं
198—भारत सिंह रावत, श्री गढ़वाल
199—भूधर नारायण मिश्र, श्री कानपुर
200—भूपेन्द्र नाथ शर्मा, श्री बरेली
201—भोपाल सिंह, श्री मेरठ
202—भोला पाण्डेय, श्री बलिया
203—भोला सिंह, श्री इलाहाबाद
204—मंजूर अहमद, श्री बरेली
205—मंत्री प्रसाद नैथानी, श्री टिहरी गढ़वाल
206—मण्डलेश्वर सिंह, श्री आगरा
207—मदन गोविन्द राव, श्री देवरिया
208—मनोहर लाल, श्री उन्नाव
209—मयंकर सिंह, श्री बहराइच
210—मस्तराम, श्री उन्नाव
211—महाराज सिंह यादव, श्री इटावा
212—महावीर, श्री मुजफ्फरनगर
213—महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
214—महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री इलाहाबाद
215—महेन्द्र सिंह महरा महूभाई श्री पिथौरागढ़
216—महेन्द्र सिंह भाटी, श्री गाजियाबाद
217—माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
218—माधव, श्री एटा
219—मारकण्डेय चन्द्र, श्री गोरखपुर
220—मास्टर कुंवर पाल, श्री सहारनपुर
221—मिठाई लाल शास्त्री, श्री गोरखपुर

222—मीर मजहर अली उर्फ नन्हें मिया, श्री — बदायूं
223—मुंशी लाल, श्री — इटावा
224—मुइद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
225—मुक्तनाथ, श्री — देवरिया
226—मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
227—मुरलीधर मुनीम, श्री — गोण्डा
228—मुलायम सिंह यादव, श्री — इटावा
229—मुहम्मद सईद 'भूमर' — सिद्धार्थनगर
230—मुस्तमन्द अली खां, श्री — मथुरा
231—मूलचंद, श्री — वाराणसी
232—मोतीलाल देहलवी, श्री — कानपुर देहात
233—मोबीन अहमद आजमी, श्री — मऊ
234—मोहम्मद असलम खां, श्री — सहारनपुर
235—मोहम्मद आजम खा, श्री — रामपुर
236—मोहम्मद उल्लाह, श्री — मुरादाबाद
237—मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री — मुरादाबाद
238—मो0 हयात, श्री — मुरादाबाद
239—यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
240—यशलाल, श्री — आजमगढ़
241—यशवंत, श्री — आजमगढ़
242—युवराज सिंह, श्री — हमीरपुर
243—योगेन्द्र कुमार, श्री — बदायूं
244—रघुनाथ सिंह वर्मा पटेल, श्री — फिरोजाबाद
245—रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोण्डा
246—रघुवीर दयाल वर्मा, श्री — फिरोजाबाद
247—रणजीत सिंह, श्री — देहरादून
248—रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
249—रतनलाल अहिरवार, श्री — झांसी
250—रतनलाल उर्फ दीना, श्री — बाराबंकी
251—रमाकान्त यादव, श्री — आजमगढ़
252—रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
253—रमेश करन, श्री — अलीगढ़
254—रविकान्त गर्ग, श्री — मथुरा
255—रविदास मेहरोत्रा, श्री — लखनऊ
256—रवीन्द्र कुमार सिंह, श्री — गाजीपुर
257—रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री — फैजाबाद
258—रवीन्द्र यादव उर्फ एप्पन, श्री — बुलन्दशहर
259—रवीन्द्र सिंह, श्री — झांसी
260—रवीन्द्र सिंह चौहान, श्री — फिरोजाबाद
261—राकेश कुमार पालीवाल, श्री — इटावा
262—राकेश धर त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
263—राजकुमार सिंह, श्री — वाराणसी
264—राजधारी, श्री — बलिया
265—राजनाथ शंकर शास्त्री, श्री — गाजीपुर
266—राजपति, श्री — जौनपुर
267—राजपती देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
268—राजपाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
269—राजमणि पाण्डेय, श्री — बस्ती
270—राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री — सीतापुर
271—राजित प्रसाद यादव, श्री — वाराणसी
272—राजीव कुमार सिंह, — बाराबंकी
273—राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
274—राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
275—राजेन्द्र सिंह, श्री — हमीरपुर
276—राजेश्वर बंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
277—राधेश्याम भारतीय, श्री — इलाहाबाद
278—रामआसरे अग्निहोत्री, श्री — कानपुर
279—राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
280—राम औतार दीक्षित, श्री — हरदोई
281—राम औतार मिश्र, श्री — शाहजहांपुर
282—रामकरन आर्य, श्री — बस्ती
283—रामकुमार, श्री — खीरी
284—रामकुमार शुक्ल, श्री — लखनऊ
285—राम गोविन्द चौधरी, श्री — बलिया
286—राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री — बाराबंकी
287—राम छबीला, श्री — देवरिया
288—राम तेज, श्री — बहराइच
289—राम दुलार सिंह, श्री — इलाहाबाद
290—रामधनी, श्री — गाजीपुर
291—रामपाल वर्मा, श्री — हरदोई
292—रामपाल सिंह एडवोकेट — गोण्डा
293—राम प्रसाद चौधरी, श्री — अलीगढ़
294—राम प्रसाद सिंह, श्री — बांदा
295—राम बक्श वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद

296—राम बचन, श्री आजमगढ़
297—राम बचन धौसिया, श्री बालिया
298—राम भरती सिंह, श्री शाहजहांपुर
299—रामरति बिन्द, श्री वाराणसी
300—राम लखन यादव, श्री प्रतापगढ़
301—राम लखन वर्मा, श्री फैजाबाद
302—राम ललित, श्री बस्ती
303—राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
304—राम शरण, श्री सहारनपुर
305—राम सरन सिंह, श्री अलीगढ़
306—राम सिंह सैनी, श्री हरिद्वार
307—राम सेवक, श्री सुल्तानपुर
308—राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
309—राम स्वरूप वर्मा, श्री कानपुर
310—रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, श्री मैनपुरी
311—रामेश्वरी, श्रीमती बिजनौर
312—राय लक्ष्मी नारायन सिंह, श्री जौनपुर
313—रिछपाल सिंह बंसल, श्री मेरठ
314—रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू, श्री गोण्डा
315—रिफाकत हुसैन, श्री मुरादाबाद
316—रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
317—रुद्र प्रसाद, श्री मिर्जापुर
318—रेशमा आरिफ, श्रीमती कानपुर
319—लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
320—लटूरी सिंह, श्री एटा
321—लालझारी देवी, श्रीमती देवरिया
322—लालता प्रसाद यादव, श्री जौनपुर
323—विक्रमादित्य, श्री बलिया
324—विजय लक्ष्मी, श्रीमती बलिया
325—विजय सिंह, श्री सोनभद्र
326—विजय सिंह राणा, श्री आगरा
327—विनोद कुमार चौधरी, श्री लखनऊ
328—विपिन बिहारी, श्री हरदोई
329—विमल प्रसाद तिवारी, श्री फर्रुखाबाद
330—विमला राकेश, श्रीमती सहारनपुर
331—विशुन दयाल, श्री बहराइच
332—विश्राम दास, श्री इलाहाबाद
333—विश्वनाथ, श्री देवरिया
334—वीर अभिमन्यु सिंह, श्री फतेहपुर
335—वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री सीतापुर
336—वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री कानपुर
337—वीरेन्द्र सिंह सोलकी, श्री एटा
338—वीरेन्द्र सिंह, श्री गाजीपुर
339—वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
340—वीरेन्द्र सिंह, श्री सहारनपुर
341—वीरेन्द्र सिंह, श्री हरिद्वार
342—शतरुद्र प्रकाश, श्री वाराणसी
343—शफीकुर्रहमान बर्क, श्री मुरादाबाद
344—शमी (शमीम) अहमद खां, डा0 मुरादाबाद
345—शमेंन्द्र त्यागी, श्री मुरादाबाद
346—शशि मित्तल, श्रीमती मेरठ
347—शारदा देवी, श्रीमती गोरखपुर
348—शारदानन्द अंचल, श्री बलिया
349—शारदा प्रसाद रावत, श्री गोरखपुर
350—शारदा प्रताप शुक्ल, श्री लखनऊ
351—शिवकरन सिंह, श्री बाराबंकी
352—शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर
353—शिव दर्शन, श्री रायबरेली
354—शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
355—शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
356—शिव बालक, श्री रायबरेली
357—शिवराज सिंह चौहान उर्फ पी0 टी0 आई0 श्री मैनपुरी
358—शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री जालौन
359—शिवानन्द नौटियाल, डा0 चमोली
360—शैलेन्द्र कुमार, श्री इलाहाबाद
361—श्याम देव राय चौधरी दादा, श्री वाराणसी
362—श्याम नारायन तिवारी, श्री महराजगंज
363—श्याम विहारी सिंह, श्री बरेली
364—श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
365—श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
366—श्री प्रकाश उर्फ ज्ञान, श्री आजमगढ़
367—श्री राम चौहान, श्री बस्ती
368—संगम लाल शुक्ला, श्री प्रतापगढ़
369—संत बख्श रावत, श्री लखनऊ
370—संत श्रीराम द्विवेदी, श्री फैजाबाद
371—सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती बदायूं
372—सच्चिदानन्द, श्री उन्नाव

373—सत्य प्रकाश विकल, श्री आगरा
374—सत्य प्रकाश सोनकर, श्री वाराणसी
375—सन्नू लाल, श्री पीलीभीत
376—समीउल्ला, श्री गोण्डा
377—सरजीत सिंह डंग, डा0 मिर्जापुर
378—सरदार सिंह, श्री मथुरा
379—सरस्वती तिवारी, श्रीमती अल्मोड़ा
380—सरस्वती प्रताप सिंह, श्री खीरी
381—सवंराज सिंह, कुंवर बरेली
382—सावित्री देवी, श्रीमती जौनपुर
383—साहब सिंह, श्री मेरठ
384—सिया दुलारी, श्रीमती बांदा
385—सियाराम सागर, डा0 बरेली
386—सुखदा मिश्रा, श्रीमती इटावा
387—सुखवीर सिंह, श्री बिजनौर
388—सुखवीर सिंह यादव, श्री गाजियाबाद
389—सुन्दर लाल कुरील, श्री उन्नाव
390—सुन्दर लाल, श्री बाराबंकी
391—सुभाष, श्री मऊ
श्री गाजियाबाद
392—सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, हरदोई
393—सुरेन्द्र कुमार दुबे, श्री बांदा
394—सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0 बम्ती
395—सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री शाहजहांपुर
396—सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री अलीगढ़
397—सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री

398—सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
399—सुरेश चन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
400—सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री अलीगढ़
401—सुरेश यादव, श्री देवरिया
402—सै0 शेख सुलेमान, श्री बिजनौर
403—सूरभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
404—सैय्यद लियाकत हुसैन, श्री फतेहपुर
405—सोमांश प्रकाश, श्री मुजफ्फरनगर
406—स्वामी नाथ, श्री देवरिया
407—हनुमन्त सिंह, श्री गोण्डा
408—हरदेव सिंह, श्री बाराबंकी
409—हरद्वार दूबे, एडवोकेट आगरा
410—हर नारायन, श्री पीलीभीत
411—हर नारायण सिंह, श्री रायबरेली
412—हर फूल सिंह, श्री सहारनपुर
413—हरवंश सहाय, श्री देवरिया
414—हरी किशन, श्री कानपुर देहात
415—हरिकरन यादव, श्री सुल्तानपुर
416—हरिवंश कपूर, श्री देहरादून
417—हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
418—हरीश कुमार गंगवार, श्री पीलीभीत
419—हरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
420—हाजी मो0 वसीम, श्री रायबरेली
421—नरेश नारायण, श्री उन्नाव
422—हीरियार, श्री बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

1—अकबाल हासन उर्फ अकबाल हुसैन, श्री — गोण्डा
2—अमीर आलम खां, श्री, — मुजफ्फरनगर
3—अरविन्द कुमार, श्री — ललितपुर
4—अशोक कुमार, श्री — बिजनौर
5—अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
6—अशोक वाजपेयी, श्री — हरदोई
7—ओम प्रकाश, श्री — गोरखपुर
8—ओम प्रकाश दिवाकर, श्री — फिरोजाबाद
9—कमला साहनी, श्रीमती — सिद्धार्थनगर
10—करन चन्द्र सिंह, श्री — नैनीताल
11—काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री — हरिद्वार
12—खुशीद, श्री — गाजीपुर
13—गजराज सिंह, श्री — गाजियाबाद
14—गुलाब सिंह, श्री — देहरादून
15—चन्द्रकली वर्मा, श्रीमती — सीतापुर
16—जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — महाराजगंज
17—जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री — कानपुर
18—तेजपाल, श्री — बिजनौर
19—दयाशंकर, श्री — वाराणसी
20—धर्मपाल, श्री — बहराइच
12—धर्मपाल, श्री — बुलन्दशहर
22—नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
23—नारायण दत्त तिवारी, श्री — नैनीताल
24—निरवेन्द्र कुमार, श्री — खीरी
25—पद्मा सेठ, श्रीमती — सीतापुर
26—प्यारेलाल शंखवार, श्री — कानपुर देहात
27—प्रवीण सिंह एरन, श्री — बरेली
28—मंत्री प्रसाद नैथानी, श्री — टिहरी गढ़वाल
29—मण्डलेश्वर, श्री — आगरा
30—महावीर सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
31—महेन्द्र सिंह, श्री — पिथौरागढ़
32—मुख्तार अनीस, श्री — सीतापुर
33—मुहम्मद सईद भूमर — सिद्धार्थनगर
34—मुस्तमन्द अली खां, श्री — मथुरा
35—मोहम्मद असलम खां, श्री — सहारनपुर
36—मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री — मुरादाबाद
37—यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
38—यशवंत, श्री — आजमगढ़
39—राजा मो0 अमीर मोहम्मद खां, श्री — सीतापुर
40—राजीव कुमार सिंह श्री — बाराबंकी
41—राजेश्वर बंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
42—राम आधार मिश्र, श्री — शाहजहांपुर
43—रामधनी, श्री — गाजीपुर
44—राम बचन धुसिया, श्री — बलिया
45—राम सिंह सैनी, श्री — हरिद्वार
46—रियाज अहमद, श्री — पीलीभीत
47—रेशमा आरिफ, श्रीमती — कानपुर
48—लालता प्रसाद यादव, श्री — जौनपुर
49—विपिन बिहारी, श्री — हरदोई
50—वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री — एटा
51—वीरेन्द्र सिंह, श्री — हरिद्वार
52—शिव बहादुर सक्सेना, श्री — रामपुर
53—सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
54—सरस्वती प्रताप सिंह, श्री — खीरी
55—सुरेन्द्र कुमार उर्फ मुन्नी, श्री — गाजियाबाद
56—सुरेश चन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
57—सौमांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
58—हरद्वार दुबे, एडवोकेट — आगरा
59—हर नारायण सिंह, श्री — रायबरेली
60—हरि शंकर तिवारी, श्री — गोरखपुर

सत्यमेव जयते

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास (जारी)

(व्यवधान)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, मैंने नियम 311 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायें, आज तक की परम्परा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि नियम 311 में इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार हुआ हो; कृपया प्रश्न होने दें और समय बर्बाद न करें ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, दिनांक 13 जुलाई, 1990

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ के मोहल्ला निशातगंज के समीप भीखमपुर कालोनी में अनैतिक देह व्यापार के अड्डे पर छापा एवं कार्यवाही

**;—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ शहर में पेपर मिल कालोनी के पास निशातगंज के भीखमपुर कालोनी में जय प्रकाश नामक व्यक्ति द्वारा चलाये जा रहे अनैतिक देह व्यापार के अड्डे पर इसी वर्ष के मई माह के दूसरे सप्ताह में पुलिस ने छापा डालकर कुछ लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और गिरफ्तार किया है ? क्या यह सत्य है कि उस अड्डे से कुछ जजों, वकीलों, पुलिस अधिकारियों, व्यापारियों के अलावा विधायक भी संबंधित हैं ? यदि हां, तो सही तथ्य क्या है और उक्त अनैतिक धन्धे से जुड़े सभी लोगों को दण्डित करने तथा ऐसे अड्डों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

जी हां ।

पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने इस आशय की सूचना दी लेकिन उसकी पुष्टि में अभी पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित नहीं किया जा सका है ।

तथ्य यह हैं कि भीखमपुर कालोनी लखनऊ के म0 सं0 सी-4 में रह रहे श्री जय प्रकाश तिवारी के अपने निवास पर अनैतिक अड्डे चला रहे थे । दिनांक 12-5-90 को पुलिस ने छापा मारकर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया । जिनके विरुद्ध थाना महानगर पर मु0 अ0 288/90-धारा 3/4/7 इम्मॉरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट 1956 अभियोग पंजीकृत किया गया ।

स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है तथा साक्ष्य एकत्र होने पर सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभियुक्त द्वारा दिये गये बयान में जिन पुलिस अधिकारियों, विधायकों एवं अधिकारियों के नाम आये हैं उसका विवरण क्या है ? क्या मामले की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा मेडिकल कराया गया है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

पुलिस द्वारा मेडिकल नहीं कराया गया और इस मामले में जो महिला गिरफ्तार हुई उनका नाम सुमन तिवारी है, उनसे पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ लोगों के नाम बताये हैं लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है और इस मामले की अभी भी पुलिस द्वारा विवेचना चल रही है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, इसमें विधायकों के भी नाम लिये गये हैं अतः इस सदन को मालूम होना चाहिए कि ये कौन विधायक हैं ? अतः मंत्री जी प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए इन विधायकों के नाम बताने की कृपा करेंगे, जिनके नाम इस मामले में लिये गये हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जो प्राप्त जानकारी हुई है उसके अनुसार तो कोई विधायक वहां नहीं जाता था ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए सही तथ्य सदन के सामने आना चाहिए । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी स्वयं मौके पर जायें, सही बात का पता लगाकर सदन को उसकी जानकारी दें । क्या माननीय मंत्री जी स्वयं वहां जाकर सही तथ्यों का पता लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, ऐसी जगह मौके पर जाने की परम्परा कांग्रेसी मंत्रियों की थी, हमारी नहीं है ।

(हंसी)

श्री प्रमोद कुमार—

कांग्रेसी मंत्रियों द्वारा ही यह पता लगाया गया था कि उस समय विरोध पक्ष में जो माननीय सदस्य बैठते थे वे ऐसी जगह जाया करते थे ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

मान्यवर, इसमें विधायकों तथा अधिकारियों के जाने की बात आई है इसलिए इस गम्भीर मामले की जांच होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी निश्चित आश्वासन इस तरह का देंगे कि वे इसकी जांच करा कर सदन को यह जानकारी देंगे कि कौन-कौन अधिकारी व कौन-कौन विधायक वहां जाते थे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट करा दें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जांच कराकर कब-तक इसका उत्तर दे देंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जांच कराकर जवाब कब दूंगा, जब आप आज्ञा देंगे, तब दे दूंगा ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह (वाराणसी)—

मान्यवर, यह प्रश्न बहुत गम्भीर है । इसमें दो सवाल उठाये गये हैं एक तो जहां पर लोग रंगे हाथ गिरफ्तार हुए और दूसरे अनैतिक अड्डा चल रहा था । तो पहले अनैतिक क्या है और नैतिक क्या है, इसकी परिभाषा हो । क्या जहां पर मर्द और औरत इकट्ठा हो जायें वहां पर अनैतिक कार्य होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह—

इससे यह प्रश्न पैदा होता है । जो इसमें लिखा है, 'यह जज, वकील, व्यापारी और विधायक भी सम्मिलित थे, इसलिये मैं चाहता हूं कि अनैतिक की परिभाषा माननीय मंत्री जी कर दें, जिससे विधायकों की समझ में आ जाये कि कहां पर जाना चाहिए और कहां पर न जाना चाहिये ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

माननीय चन्द्र शेखर जी लोक सभा रिटर्न हैं, लोक सभा पलट हैं और इन्होंने जानना चाहा है अनैतिक की परिभाषा । तो मान्यवर, जो नैतिक न हो वह अनैतिक है । नैतिक क्या है, इस पर आप प्रश्न फिर करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश विकल—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि देह व्यापार का अड्डा मिला, वहां पर महिलायें पकड़ी गयीं और पुलिस ने उनका मेडिकल नहीं कराया । जब वह पकड़ी गयी तो जिन पुलिस कर्मियों ने उनका मेडिकल नहीं कराया तो क्या उन दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ आप कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे —

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर यह मामला निश्चित रूप से गम्भीर है । हालांकि समाचार-पत्रों में निकला है और जिस घटना के बारे में प्रश्न हुआ है, उसमें ऐसा लगता है कि वहां पर अनैतिक अड्डा चल रहा था । पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से बात हुई और उन्होंने स्वीकार किया और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, महिलायें पकड़ी गयीं लेकिन उनका मेडिकल नहीं कराया गया और जो महिलायें पकड़ी गयीं और जो मर्द पकड़े गये, तो दो मर्द हैं और उनकी दो पत्नियां हैं । दिन में ढाई बजे की घटना है । पुलिस की जो रिपोर्ट है, जब पुलिस पहुंची तो 3 व्यक्ति ड्राइंग रूम में, एक महिला और 2 बच्चे थे । जब पुलिस कमरों में गयी तो पाया कि 2 महिलायें और दो मर्द संभोगरत थे । इसलिये कुछ ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं, जिनको लेकर शंकायें उत्पन्न हो रही हैं । अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इसकी जांच करा ली जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री किशोरी श्याम—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के अड्डे कितनी कालोनियों में चल रहे हैं और कितने दिनों से चल रहे हैं ।

(शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शान्त रहें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

श्रीमन् मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि अभियुक्त ने कुछ जजों, कुछ वकीलों, कुछ बाणरियों और कुछ विधायकों के नाम बताये हैं और श्रीमन्, यह भी मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जिस महिला का बयान हुआ है उसका डाक्टरी परीक्षण नहीं कराया गया । इससे लगता है कि या तो पुलिस खुद कहीं न कहीं से इस मामले में शामिल है या किसी षड़यंत्र के तहत यह काम किया गया है । इन सारी स्थिति को देखते हुए क्या मा0 मंत्री जी इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने की कृपा करेंगे ताकि सही तथ्य सामने आ जाय ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करा दी जायेगी ।

प्रदेश में पेयजल के संकट का स्थायी निराकरण

**2—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में हर वर्ष उत्पन्न पेयजल के गम्भीर संकट के स्थायी निराकरण के लिए कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और कब तक उसका स्थायी निराकरण हो जायेगा ?

नगर विकास मंत्री (श्री विक्रमादित्य पाण्डेय)—

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट दूर करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना कार्यक्रम तथा नगर क्षेत्रों में सामान्य योजना के अन्तर्गत व्यवस्था करायी जा रही है ।

उपयुक्तानुसार यह प्रयास किया जा रहा है कि आगामी 5 वर्षों में समस्या का स्थाई निराकरण किया जा सके ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से तीन प्रश्न करना चाहूंगा । पहला प्रश्न तो यह है कि नागर क्षेत्रों में सामान्य योजना क्या है इसको स्पष्ट रूप से बता दें । दूसरा प्रश्न यह है कि नागर क्षेत्रों के पेय जल के लिये इस वर्ष कितना धन आवंटित किया गया है और तीसरा सवाल यह है कि इस दिशा में जो आपके कार्यक्रम चल रहे हैं उनको पूरा करने के लिये और उनके रख-रखाव के लिये कितने धन की आवश्यकता है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि सामान्य योजना बना है । श्रीमन्, सामान्य योजना का तात्पर्य सभी लोगों के लिये पानी की व्यवस्था करने से है । दूसरी बात उन्होंने पूछी है कि इस वर्ष कितने धन की व्यवस्था इस हेतु की गई है । श्रीमन्, इस वर्ष बजट में 51.06 करोड़ रुपये का इस हेतु प्राविधान किया गया है । तीसरी चीज, उन्होंने यह जाननी चाही है कि जो योजनायें चल रही हैं और जो विचाराधीन हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि विश्व बैंक की योजना के तहत 11 बड़े नगरों— अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, सहारनपुर, बरेली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, में पेयजल की व्यवस्था में सुधार का कार्य चल रहा है । इसके अलावा मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि चार अन्य नगरों जिसमें विश्व बैंक की योजना नहीं चल रही है वे है—झांसी, मेरठ, देहरादून और नैनीताल, यहां भी सुधार कार्य चल रहे हैं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने जो असंवित ग्रामों की सूची बनायी है पर्वतीय क्षेत्र में जो उपग्राम हैं वे इस सूची में शामिल नहीं किये गये हैं क्योंकि वहां पर गम्भीर पेयजल संकट है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उन उप ग्रामों को असंवित ग्राम की सूची में डालने की कृपा करेंगे और वहां पर पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पर्वतीय क्षेत्र के विषय में जानना चाहा है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह बात बिल्कुल सही है कि पर्वतीय क्षेत्र में कुछ ऐसे छोटे-छोटे गांव हैं जहां पर अभी पेयजल सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है । लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार का यह प्रयास है कि जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं या मैदानी क्षेत्र हैं सभी जगहों में पेयजल की व्यवस्था करें । लेकिन जहां तक संसाधन का सवाल है उसको देखते हुए एकाएक सभी गांवों में व्यवस्था करना सम्भव नहीं है ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन नगरों में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है जैसे बदायूं में हैंडपम्प और नलकूप सफल नहीं हुए हैं, वहां क्या आप बड़े इंडिया मार्क-टू के हैण्डपम्प लगाकर पानी की व्यवस्था करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि व्यवस्था होने के बाद भी जहां कहीं नगरों में समुचित पानी उपलब्ध नहीं है क्या वहां पर पानी की व्यवस्था करेंगे बदायूं का नाम लिया जहां पर ट्यूबवेल ठीक से काम नहीं कर रहे हैं । तो जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया था कि सरकार कटिबद्ध है कि सबको पानी मिले । इससे पहले भी आदरणीय राजाकिशोर सिंह जी ने ठीक ऐसा ही प्रश्न पूछा था तो हमने कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 वर्षों के भीतर उत्तर प्रदेश के सारे लोगों को पर्याप्त शुद्ध पानी दिया जा सके । इसके लिये 18 अरब की योजना बनाई गयी है जैसे-जैसे संसाधन मिलते जायेंगे केवल बदायूं ही नहीं पूरे प्रदेश में पेयजल की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि इलाहाबाद सहित कुछ महानगरों में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत पेयजल की व्यवस्था की जा रही है । तो क्या उन्हें ज्ञात है कि इलाहाबाद में विश्व बैंक से बनाई जा रही योजना का पैसा जल संस्थान के कर्मचारियों के वेतन में बांट दिया गया और 1986 से यह योजना आज तक पूरी नहीं हुई । तो जिस अधिकारी ने विश्व बैंक के पैसे का दुरुपयोग किया है उसे दण्डित करेंगे और उस योजना का जो 20 लाख रुपया बचा है उसका उपयोग जल व्यवस्था के लिये शीघ्र करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

अगर माननीय सदस्य लिखित शिकायत करेंगे तो उनकी जांच करा दी जायेगी और कार्य शीघ्र पूरा हो सके इसका प्रयास किया जायेगा ।

डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नदियों के किनारे गांव हैं जहां छोटे-छोटे हैण्ड पम्प सफल नहीं हैं, कुवें सफल नहीं हैं तो क्या वहां पर माननीय मंत्री जी इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, आदरणीय सदस्य ने प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा है कि क्या जो गांव नदियों के किनारे हैं जिनका जलस्तर नदियों के घटाव-बढ़ाव से नीचे चला जाता है और जहां हैण्ड पम्प व कुयें सूख जाते हैं वहां क्या व्यवस्था करेंगे और जिज्ञासा जाहिर की है कि क्या वहां पर बड़े हैण्ड पम्प लगायेंगे । मैं बताना चाहता हूं कि जल निगम छोटे-छोटे हैण्ड पम्प नहीं लगा रहा है वह केवल इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगा रहा है इसलिये उनके सूखने का प्रश्न नहीं है ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि झांसी में सबसे ज्यादा जल संकट है वहां इस वर्ष भी गर्मियों में दयनीय स्थिति रही । तो मेरी जानकारी है कि समस्या के समाधान के लिये बाहर से पानी लाकर हल करने की दो योजनायें लम्बित हैं एक बाराठा बौसन और दूसरी माताटीला योजना तो यह दोनों कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, झांसी पेय जल समस्या का एक मण्डल है इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिये झांसी मण्डल में जितने जनपद हैं वहां पर पहले से ही पेय जल की समुचित व्यवस्था की गयी है। मैं बताना चाहता हूं कि झांसी में कुल 1207 गांव हैं। वहां कोई न कोई व्यवस्था कर दी गयी है चाहे हैण्ड पम्प योजना हो चाहे पाठा योजना हो या चाहे भातीटोला योजना हो। बांदा भी पेयजल समस्या ग्रस्त है, समूचा झांसी मण्डल समस्याग्रस्त है जहां गांवों में पेयजल संकट देखने को मिलता है मैं स्वयं बांदा झांसी गया था आपके साथ गया महसूस किया गया है कि वहां पेयजल संकट है, इसीलिये मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपका समस्या का समाधान हो सके।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 690 नगरपालिकायें हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी नगरपालिकाओं में योजनायें आपकी चल रही हैं और जो धन दे रहे हैं उसमें क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, उ0 प्र0 में स्थानीय निकायों की संख्या 690 है और अब तक जो पेयजल की व्यवस्था 604 में हो चुकी है। यह सही है कि ऐसे नगरपालिकायें हैं जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पायी है। क्या व्यवस्था करेंगे, जो पूछा तो मैंने पहले ही कह दिया कि प्रयास है कि सब को पानी मिल सके और संसाधन को देखते हुए आवश्यकतानुसार व्यवस्था करेंगे।

[शुक्रवार दिनांक 13 जुलाई, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

जनपद वाराणसी में जल संस्थान द्वारा नागरिकों को राहत देने तथा खराब मीटरों को बदलने की मांग

*1—श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाराणसी जल संस्थान द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम तथा सचिव नगर विकास को प्रेषित पत्र एम0 एन0 पी0/89-90/324, दिनांक 31-7-89 में न्यूनतम जलकर 90/- रूपये के स्थान पर शासन द्वारा स्वीकृत टैरिफ का वाराणसी के नागरिकों द्वारा विरोध एवं मीटर्ड कनेक्शनों का अधिकांश मीटर खराब होने का उल्लेख है? यदि हां, तो न्यूनतम जलकर पूर्ववत् 90/- रुपये किये जाने एवं खराब मीटरों को बदलने एवं नागरिकों को राहत देने हेतु सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां, परन्तु उसमें अधिकांश मीटरों के खराब होने का उल्लेख नहीं है।

जल संस्थान की कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुये जलमूल्य की दर पूर्ववत् रु0 90 किया जाना सम्भव नहीं है। जल संस्थान को अच्छी गुणवत्ता के मीटर लगाये जाने के आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं।

सभी जल संयोजन मीटरयुक्त हो जाने पर जलमल्य की न्यूनतम दर केवल रु0 144 वार्षिक ही रह जाएगी जिससे नागरिकों को राहत मिलेगी।

श्री रवीन्द्र राय चौधरी दादा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि बिना मीटरयुक्त वाराणसी में कितने कनेक्शन हैं और मीटरयुक्त कितने हैं ? और कितने कनेक्शन खराब हैं ?

तीसरा प्रश्न 1986-87 में पहली बार कांग्रेस के शासनकाल में जो 90 रुपये न्यूनतम जलकर लिया जाता था, और जो कर होता है वह एससमन्ट के आधार पर लिया जाता है, तो पहले न्यूनतम जलकर में चौगुनी वृद्धि करके 360 रुपये कर दिया गया है, और जब आप इधर विरोधपक्ष में थे तो इन प्रश्नों पर संघर्ष किया था कि जनता के साथ अन्याय है इसलिये 90 रुपये होना चाहिए । तो क्या उन संघर्षों को याद करके 14 प्रतिशत एससमन्ट के आधार पर कर लेने की घोषणा आप करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, वर्ष 1986 के पूर्व सभी से 90 रुपये वार्षिक जलकर लिया जाता था, वह सही है कि 86 के बाद जलकर की दर में परिवर्तन कर दिया गया और यह व्यवस्था की गयी कि मीटरयुक्त संयोजनों पर न्यूनतम वार्षिक दर 144 रुपये होगी और मीटर रहित की दर 360 रुपये होगी । ऐसी स्थिति में यह कहना सही नहीं है कि सभी पर चौगुना वृद्धि कर दी गयी । चौगुना वृद्धि उन्हीं लोगों पर की गयी जो मीटर न लगाये पानी लेने का काम करते हैं ।

आपका यह कहना आज सत्ता में हम बैठे हैं और पहले संघर्ष किया था तो यह सही है और हम चाहते हैं कि पानी जैसी आवश्यक चीज मंहगा न होने पाये, इसलिये मैं यहां बताना चाहता हूं कि इस समय जो यह कार्य जल संस्थान के माध्यम से होता है, जल संस्थान की सारी विश्व बैंक की योजनायें ऋण पर चलती हैं, इसलिये संस्थान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और विश्व बैंक की शर्त होती है कि जो कर्ज दिया जा रहा है उसका समय से भुगतान किया जाये अन्यथा भविष्य में ऋण नहीं मिल पायेगा, इसलिये कठिनाई हमारे सामने भी है लेकिन हमको अवसर मिला है, इसलिये विचार कर रहे हैं कि उनको कुछ राहत दी जा सके ।

श्री बालचन्द्र मिश्र—

मान्यवर, पुनरीक्षित मीटरयुक्त कनेक्शनों से वार्षिक जलकर दर 144 रुपये और बिना मीटरयुक्त कनेक्शनों से 360 रुपये जलकर है । तो दो सवाल हैं—एक तो पुनरीक्षित के पहले दर 90 रुपये थी और दूसरे मीटर रहित कनेक्शन पर क्या दर थी ? मैं समझता हूं कि यह दोनों तरह के लोगों पर 90 रुपया था, और जो वृद्धि की गई है, इसको वापस करके जो पहले का नियम था, उस पर लेने का प्रयास करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसका उत्तर मैंने पहले के प्रश्न में दे दिया है । फिर जो 1986 से पूर्व दर थी, क्या थी, इसमें मैंने कह दिया कि 90 रुपया था । उसमें किसी तरह का विभेद नहीं था । दूसरी बात जो है कि क्या कम करने पर विचार करेंगे, तो मैंने इस पर पहले ही कहा कि हम इस पर सोच रहे हैं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मंत्री जी ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों ने संघर्ष किया था, तो मैं जानना चाहता हूं कि किन मुद्दों पर सत्ता में बैठे लोगों ने संघर्ष किया था, और क्या आप उन मुद्दों पर निराकरण के लिए विचार कर रहे हैं, क्या वही राहत देने पर विचार कर रहे हैं ?

(उत्तर नहीं दिलाया गया ।)

केयर योजना के अन्तर्गत उ0 प्र0 के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित महिला एवं बाल कल्याणकारी योजनाओं हेतु कलकत्ता बन्दरगाह के गोदाम में पड़े खाद्यान्न के संबंध में जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*2—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केयर योजना के अन्तर्गत उ0 प्र0 सरकार के बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित महिला एवं बाल कल्याणकारी योजनाओं हेतु कलकत्ता बन्दरगाह के गोदाम में इस समय कितना खाद्यान्न कितने समय से पड़ा है तथा इसकी ढुलाई का कार्य किस एजेन्ट को दिया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि निर्धारित समय सीमा के बाद इन सामानों के गोदामों से न उठाये जाने के कारण विभाग को गोदाम किराये का भुगतान करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए मुख्यालय का कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी तथा एजेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री अवधेश प्रसाद)—

केयर योजना के अन्तर्गत इस समय लगभग 14 मी0 टन एस0 एस0 आयल दिनांक 27-8-89 से तथा लगभग 100 मी0 टन एस0 एस0 आयल दिनांक 11-3-90 से कलकत्ता बन्दरगाह के गोदाम में अवशेष पड़ा है तथा इसकी ढुलाई का कार्य वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन से कराया जा रहा है ।

जी हां ।

वर्ष 1989-90 में केयर ढुलाई हेतु आमंत्रित टेण्डर में किसी भी टेण्डरदाता द्वारा समस्त टेण्डर शर्तें पूर्ण न किये जा पाने के कारण टेण्डर को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका । जिसके कारण किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है, चूंकि पिछले 27 अगस्त से कलकत्ता बन्दरगाह में सामान पड़ा हुआ है, और प्रदेश सरकार उसके मुआवजा के रूप में काफी पैसा दे रही है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ढुलाई का काम कब से अवरुद्ध पड़ा है ? इसके लिए कौन दोषी है ? इसकी ढुलाई के लिए क्या प्रयास किये गये है और यह कार्य कब से पुनः शुरू हुआ है ? इसके अलावा जो जिले इस योजना में शामिल हैं, उनमें सामान पहुंच रहा है या नहीं ?

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय सदस्य ने मुख्य रूप से 3 प्रश्न किये है । पहले प्रश्न का उत्तर है कि 15 सितम्बर, 1989 से यह कार्यक्रम अवरुद्ध था । दूसरा उत्तर यह है कि 21 अप्रैल, 1990 से हमने ढुलाई का कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया है । जो तीसरी बात है, उसका उत्तर

है कि प्रदेश के 7 जिले इस योजना में शामिल है, और सारी योजनाओं पर यह सामान बिलकुल पहुंच रहा है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने डी0 सी0 डी0 एफ0 की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो आदेश दिया था, उसके अनुसार या वह खुद ढुलाई का कार्य कर रहे हैं या वह ब्रिगौलिया बनकर किसी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के द्वारा यह ढुलाई का कार्य करा रहे हैं ? और उसका किस दर पर यह कार्य दिया गया है ? और जो टेन्डर दिया था उसमें न्यूनतम कितनी दर दिया था ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जैसा कि माननीय सदस्य ने सवाल किया, मैंने पहले ही बताया कि पी0 सी0 डी0 एफ0 को ढुलाई का काम वास्तविक व्यय के आधार पर सौंपा गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पी0 सी0 डी0 एफ0 को ढुलाई का ठेका दिया गया उसके अनुबन्ध की शर्तें क्या हैं और कितने समय में ढुलाई का माल उन्हें पहुंचाना है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

श्रीमन् जैसा कि अपने उत्तर में मैंने कहा कि चूंकि पी0 सी0 डी0 एफ0 एक सरकारी संस्था है और उसका जो वास्तविक व्यय आयेगा उस व्यय को हम अदा करेंगे । चूंकि यह योजना समय-समय पर सामने आती रहती है अतः इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है कि कितने दिन के अन्दर पूरी होगी । हमारी जो योजनाएं संचालित हैं उन योजनाओं पर किसी प्रकार का कुप्रभाव न पड़ने पाये और हमारा सामान समय से मिलता रहे, वही शर्तें थी । जैसा कि हमने निवेदन किया कि केयर से बराबर सामान आता रहता है कलकत्ता बन्दरगाह पर, वह आता रहेगा और ढुलाई होती रहेगी ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के मूल प्रश्न के उत्तर में मैं यह जानना चाहूंगा कि कलकत्ता बन्दरगाह के गोदाम में पड़े सामान की ढुलाई का कार्य वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पी0 सी0 डी0 एफ0 द्वारा कराया जा रहा है, वह किस ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी के द्वारा कराया जा रहा है, क्या उसका नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अवधेश प्रसाद—

पिछले दिनों में यूनीवर्सल एजेन्सी के द्वारा ढुलाई का काम हुआ था ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि पी0 सी0 डी0 एफ0 को यह कार्य सौंपा गया है तो पी0 सी0 डी0 एफ0 के पास स्वयं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, वह किस के माध्यम से कार्य करा रही है ? और जैसा माननीय मंत्री

जी ने कहा कि वास्तविक व्यय के आधार पर पी0 सी0 डी0 एफ0 को पेमेन्ट किया जायेगा । वास्तविक व्यय जो पी0 सी0 डी0 एफ0 देगी, क्या उसको ही माननीय मंत्री जी मान लेंगे या किसी अन्य एजेन्सी से सत्यापन करायेंगे । दूसरी बात मान्यवर, प्राइवेट ट्रान्सपोर्टर्स को न्यूनतम टेन्डर दिए थे, उसमें और पी0 सी0 डी0 एफ0 के चार्ज में कितना अन्तर है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय सदस्य ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की है कि क्या पी0 सी0 डी0 एफ0 के पास अलग ट्रान्सपोर्टेशन की व्यवस्था है, तो इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि उनके पास अपनी कोई अलग से ढुलाई की व्यवस्था के लिए ट्रकें नहीं है । दूसरा जिन लोगों ने टेण्डर में भागीदारी की तो उनकी भागीदारी की शर्तें क्या थीं । मैंने पहले निवेदन किया कि जो शर्तें थी उनको वह पूरा नहीं कर पाये । चूंकि यह योजना काफी दिनों से डिस्टर्ब थी इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यह व्यवस्था कर दी गयी ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मेरे दो प्रश्नों मे से एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपके एक प्रश्न का उत्तर तो आ गया कि वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, हम यह जानना चाहते हैं कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स की दरें क्या थीं उसमें और पी0 सी0 डी0 एफ0 के चार्ज में कितना अन्तर है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया कि कानपुर ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से न्यूनतम दरें आई थीं, लेकिन उनसे जो साल्वजेंसी के लिए कहा गया था, कई बार उनसे कहा गया कि साल्वजेंसी प्रमाण-पत्र जमा करें तीन जगह से इसको मंगाना था लखनऊ, कानपुर, बनारस, तो सब मिलाकर 46 लाख तक साल्वजेंसी आया जबकि 60 लाख का मांगा गया था, तो फिर इसमें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं समझी गई ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, यह तमाम जिलों की योजना थी वहां का सामान नहीं पहुंच पाया । कलकत्ता बन्दरगाह को इसके लिए डैमरेज का रुपया देना पड़ेगा, तो इसमें कौन दोषी है ? क्या दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मैंने प्रश्न के मूल उत्तर में बताया है कि जिन परिस्थितियों में विलम्ब हुआ, उस स्थिति में किसी के दोषी होने का सवाल ही नहीं उठता है ।

"3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[9वें मंगल में ता0 प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों में पेयजल व जलोत्सारण आदि योजनाओं के विरचन निर्माण, एवं रखरखाव संचालन को एक इकाई को देने की मांग

श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डलों में पेयजल, जलोत्सारण आदि योजनाओं के विचरन, निर्माण, संचालन एवं रखरखाव के लिए जल संस्थान एवं जल निगम की दुहरी व्यवस्था को समाप्त कर समस्त कार्य एक इकाई द्वारा किये जाने का निर्णय शासन ने मार्च, 1982 में लिया था ? यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ? कब तक इनका निश्चित रूप से एकीकरण हो जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां । प्रकरण अभी शासन के विचाराधीन है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जल निगम और जल संस्थान की दोहरी व्यवस्था जो है उसको समाप्त करेंगे और समस्त कार्य एक इकाई द्वारा किए जाने का निर्णय मार्च, 82 में पिछली सरकार द्वारा लिया गया था, तो इस निर्णय के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के क्या कारण हैं । कब तक इनका निश्चित रूप से एकीकरण हो जाएगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा है कि 1982 में निर्णय लिया गया था , इसमें मैं आपको आदेश पढ़कर सुना दूं- जल संस्थान और जल निगम का एकीकरण कर दिया जाए । दूसरी बात आपने पूंछी कि उसमें क्या कार्यवाही की गई, और विलम्ब के क्या कारण हैं ? मान्यवर 1984 में एक शासन से आदेश हुआ, जिसके तहत थोड़ी सी कार्यवाही की गई पहले जल निगम के आयुक्त और जल संस्थान के अध्यक्ष होते थे उसको बदलकर जलनिगम के प्रबन्ध निदेशक को उसका अध्यक्ष बना दिया गया । 1984 से 1990 तक कोई कार्यवाही नही की गई । मैं इसमें बहुत विस्तार से बताने की स्थिति में नहीं हूं, संक्षेप में कहना चाहूंगा कि पहाड़ में जल निगम और जल संस्थान को मिलाने की बात नहीं है । इस संदर्भ में आपके इजाजत से मान्यवर, बताना चाहूंगा कि—

श्री उपाध्यक्ष—

संक्षेप में बतायें ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, संक्षेप में ही बता रहा हूं । मैदानी क्षेत्रों में जल निगम और जल संस्थान को मिलाने का निर्णय लिया गया इसमें आदेश भी हुए थे, लेकिन जल संस्थान के लोगों द्वारा लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद आदि जगहों पर इसमें इतना बड़ा आन्दोलन हुआ कि जो उस समय के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने दोनों को मिलाने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया । ऐसी स्थिति में अब तक कोई कार्यवाही इसमें नहीं की जा सकी है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की कठिनाइयों को देखते हुये और वहां के जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुये पूर्व शासन ने पर्वतीय जल परिषद् बनाने का निर्णय लिया था । यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक लागू की जायेगी । यदि नहीं तो वर्तमान शासन की तरह की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लेगा ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, इस प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है

महेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जल संस्थान तथा जल निगम को मिलाने की योजना विचाराधीन है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जल संस्थान में पर्वतीय अंचल में वहां की योजनाओं के रख-रखाव के लिये जो चौकीदार नियुक्त हैं उनको वेतन वृद्धि और उनको स्थायी किये जाने के बारे में सरकार विचार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इस से संबंधित नहीं है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी क्या जल निगम और जल संस्थान को मिलाने के लिये सिद्धान्त रूप से सहमत हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर दे चुके हैं, यह शासन के विचाराधीन है ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जल संस्थान और जल निगम को मिलाने के संबंध में मंत्रिपरिषद् ने क्या निर्णय लिया है । पर्वतीय क्षेत्र की विशेष भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये कि वहां पर जल स्रोत सूख गये हैं इसलिये लिफ्ट पेयजल योजना के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था हो नहीं सकती तो क्या सरकार वहां पर पर्वतीय लिफ्ट योजना को बनाकर जनता को पानी देने के लिये कृतसंकल्प है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सरकार कृत संकल्प है ।

यमुना नदी के प्रदूषण को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाने की मांग

*5—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि यमुना नदी के दिल्ली में ओखला बैराज पर यमुना की धारा को रोककर समूचा जल नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली के लिये ले लिया जाता है और यमुना की धारा में ओखला बैराज के बाद जो जल है वह नई एवं पुरानी दिल्ली तथा मथुरा का प्रदूषित जल है ? यदि हां, तो सरकार ने यमुना नदी के जल प्रदूषण को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

यमुना नदी का काफी पानी नई दिल्ली व पुरानी दिल्ली के लिये लिया जाता है । नजफगढ़ नाला यमुना की धारा में मिलता है ।

यमुना नदी का प्रदूषण रोकने के लिये उसमें गिरने वाले नालों को टैप करने की विस्तृत योजनायें बनाई जा रही हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि ओखला बैराज के बाद यमुना नदी का पानी यमुना जी का स्वतः जल वहां है और यह सारा पानी नालों का है तो मैं जानना चाहता हूं कि जनहित में यमुना जी के प्रदूषण का वैज्ञानिक परीक्षण अंतिम रूप से कब किया गया था और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, आप फिर से प्रश्न कर दीजिए ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि यमुना नदी का पानी तो ओखला में बहता नहीं है, ओखला बैराज के बाद जो पानी बहता है, वह यमुना जी का नहीं, नालों का पानी है । तो क्या इस पानी का वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया और इसका परीक्षण अंतिम रूप से कब हुआ और उसका प्रदूषित अंश क्या है और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, इसका परीक्षण हमेशा होता रहता है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, इसका अंतिम रूप से परीक्षण कब हुआ और उसका अंश क्या है और उसकी रिपोर्ट क्या है ?

(कोई उत्तर नहीं आया ।)

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, ओखला के बाद में दिल्ली, हरियाणा और मथुरा का प्रदूषित पानी आगरा को पाने के लिये मिलता है, तो मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा, मथरा और हरियाणा के इस प्रदूषित पानी से बचने के लिए पचावर से निकले हुए बल्देव रजबहे के द्वारा जमुना में शुद्ध पानी लाने पर कभी विचार किया गया है, कभी कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मैंने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि यमुना नदी का अधिकांश पानी दिल्ली को चला जाता है और यमुना नदी का जो पानी आगरा में पहुंचता है, वह अशुद्ध रूप से पहुंचता है । अब उस नाले को टेप करके पानी को साफ किया जाय । ऐसा प्रयास किया जाय । जब मैं आगरा गया था, तो मुझे स्वयं देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, वह पानी बिलकुल गंदा है । अब मान्यवर, हम आगरा बैराज बनाने जा रहे हैं । उस पानी को रोक कर साफ पानी की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, मैंने यह सवाल किया था कि जो पानी हमको ओखला बैराज के बाद मिलता है, वह प्रदूषित होता है, तो इस प्रदूषित पानी से बचने के लिए बल्देव रजबहा के द्वारा गंगा का सीधा पानी यमुना में डालने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आगरा को ओखला बैराज के बाद पानी मिलता है, वह प्रदूषित होता है, तो इस प्रदूषित पानी से बचने के लिए बलदेव रजबहा के द्वारा गंगा का सीधा पानी यमना में डालने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डे—

नहीं, मान्यवर ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, आगरा में पीने का पानी यमना नदी से लिया जाता है और आगरा में बैराज बन रहा है, मथुरा में बैराज बन रहा है, आपने यह स्वीकार किया कि हम मथुरा में और आगरा में बैराज बना रहे हैं, तो यह जो प्रदूषित जल है, इस प्रदूषित जल में शुद्ध पानी की क्षमता कितनी है और प्रदूषित पानी का प्रतिशत कितना है । यह जो नालों के टेप करने की योजना है, आगरा, मथुरा बृंदावन और अन्य नालों की यह जो योजना है, यह कब बनी और वह कब पूरी करा दी जायगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, वृंदावन में कुल 18 नाले थे, जिसमें से 11 नालों के प्रदूषल रोक दिये गये हैं और शेष नाले जो 7 हैं, उनको टेप करने के लिए 143.10 लाख रु0 अनुमानित लागत की योजना है । मान्यवर, मथुरा में कुल नालों की संख्या 17 है, उसके प्रदूषित पानी को रोकने के लिए योजना बनाई गयी है । उस योजना की अनमानित लागत रु0 333.03 लाख रु0 है और इस योजना का तकनीकी तौर पर परीक्षण किया जा रहा है । श्रीमन् आगरा में नालों की कुल संख्या 17 है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह आगरे के मामले पर चर्चा लगी है, उस पर माननीय सदस्य बोल लीजिएगा ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, 5 नालों को टैप करने की प्रस्तावित योजना की अनुमानित लागत 208.16 लाख रुपये है, योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 1400 मीटर सीवर बिछ चुका है । द्वितीय योजना में 5 नालों को टैप करने की योजना के अनुमानित लागत 590 लाख रुपये है यह योजना विरचित हो चुकी है और शीघ्र ही धन आवंटन हेतु प्रेषित की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नगर विकास मंत्री जी, इस पर चर्चा लगी है उसमें बता दीजिएगा ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप [X X X] इसे देखें, यह बड़े महत्व की चीज है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप हमारी बात को तो सुन लें । आप इतने वरिष्ठ और विद्वान सदस्य होकर भी ऐसा कह रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि इस पर चर्चा लगी है उसमें विस्तृत जवाब आ जायेगा, और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आगे हैं, कृपया सदन को सुनने दीजिए ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मेरा उत्तर तो दिलवा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

उत्तर आ गया है और बाकी चर्चा में आ जायेगी । अल्पसूचित तारांकित से ज्यादा समय इस पर दे दिया है, अब इससे ज्यादा समय इस पर नहीं दूंगा ।

(श्री रविकान्त गर्ग द्वारा बराबर बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया माननीय सदस्य बैठ जांय, कुछ लिखा नहीं जायेगा । आप कहते रहिये कुछ लिखा नहीं जा रहा है ।

*6—श्री राज किशोर सिंह—

[9वें मंगल में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोट :—[X X X] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जनपद जालान में स्थित भटिण्डा कौमिकल्स, उरई बन्द हो जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

*7—क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि भटिण्डा कौमिकल्स उरई, जनपद जालान के मिल मालिकों ने कारखाना को 24 अक्टूबर, 1989 को बन्द कर दिया है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उप श्रमायुक्त, झांसी ने इस अवध बन्दी के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर के कार्यवाही की मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)—

जी हां ।

भटिण्डा कौमिकल्स उरई के नये मालिक एवं श्रमिकों के मध्य समझौता सम्पन्न हो जाने के कारण किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह गयी है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, मालिक और श्रमिकों के बीच समझौता क्या हुआ और कब हुआ ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, 10-5-90 को समझौता हुआ और इसमें दरअसल हुआ यह था कि इस फैक्ट्री में हड़ताल तो नहीं थी लेकिन काम हल्का कर रहे थे श्रमिक, इस वजह से मालिक ने फैक्ट्री बन्द कर दिया और बाद में यह फैक्ट्री बेच दी गयी । जिन मालिकान ने इस फैक्ट्री को खरीदा उनके बीच और श्रमिकों के बीच समझौता हुआ । उसमें हमारी जिज्ञासा यह थी कि कितने श्रमिकों को निकाला गया तो मालूम यह हुआ कि जो कानूनी एतबार से पैसा उनको मिलना चाहिए था वह मिला और एक माह की तनख्वाह दी गयी उसी समझौते के तहत जो यूनियन के पदाधिकारियों ने समझौता किया नये मालिक के साथ, उसी के साथ यह फैक्ट्री काम कर रही है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि अवैध तालाबन्दी बड़े पैमाने पर प्रदेश में की जा रही है । इस मामले में आपके श्रमायुक्त झांसी ने अपनी रिपोर्ट शासन को दी थी । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अवैध तालाबन्दी को रोकने के लिए माननीय श्रम मंत्री कुछ विशेष कदम उठायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि यह नीतिगत मामला ही नहीं है बल्कि इसमें मजदूरों के साथ सहानुभूति रखने का मामला भी है । पहले आम तौर पर यह होता रहा कि सेवायोजकों ने जैसा चाहा श्रम विभाग ने वैसा ही मान लिया अब जब हम लोगों का रुख बदला तो श्रम विभाग से उसी तरह से प्रस्ताव आने लगे । इधर पिछले दिनों माननीय सदस्य ने देखा होगा कि जो भी ऐसी शिकायतें आई हैं उस तालाबन्दी को हमने गैर कानूनी घोषित किया है जिसमें सेन्चुरी पेपर मिल की आखिरी मिसाल है और

भविष्य में अगर कहीं यह देखा जायेगा कि यहां सेवायोजकों की तरफ से श्रमिकों को दबाने की कोई कोशिश हो रही है या नुकसान पहुंचाने की या तालाबन्दी के पीछे कोई दूसरी मंशा है तो ऐसी तालाबन्दी की इजाजत नहीं दी जायगी ।

*8—डाक्टर दिनेश जौहरी—

[12वें सोमवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टाउन एरिया के सचिवों को अधिशासी अधिकारी के पद पर प्रोन्नति की मांग

*9—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह यादव—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका तथा नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ? क्या टाउन एरिया के सचिवों की भी अधिशासी अधिकारी के पद पर प्रोन्नति की जाती है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ? कितने सचिवों को वरिष्ठता के आधार पर अब तक प्रोन्नति दी गयी ? यदि नहीं दी गई, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

नगर महापालिकाओं में अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1 के अधिकारियों को शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा उप नगर अधिकारियों के पद पर प्रोन्नत करके तैनात किया जाता है । नगर पालिका श्रेणी-1, श्रेणी-2 तथा श्रेणी-3 में अधिशासी अधिकारियों की नियुक्ति 50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन के उपरान्त तथा 50 प्रतिशत पदों पर विभागीय प्रोन्नति द्वारा की जाती है ।

किसी टाउन एरिया का उन्नयन नगर पालिका के रूप में होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश पालिका सेवा चौदहवां संशोधन नियमावली 1987 के नियम-6 (4) (ग) के अन्तर्गत प्रदेश के सचिव, बख्शी की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची में से ज्येष्ठता के आधार पर एवं उपयुक्त पाये जाने पर अधिशासी अधिकारी श्रेणी-4 के पद पर संविलीन किये जाने का प्राविधान है ।

वरिष्ठता के आधार पर अभी तक किसी सचिव को अधिशासी अधिकारी के पद पर संविलीन नहीं किया गया है । पात्रता क्षेत्र में आने वाले सचिवों के संविलयन के मामलों पर यथा समय नियमानुसार विचार किया जा सकेगा ।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अपने मूल प्रश्न में ही पूछ रहा हूं कि जो इन्होंने स्वीकार किया है कि 50 प्रतिशत विभागीय कर्मचारियों द्वारा ही प्रोन्नति दी जायगी, क्या अब तक कोई भी सचिव इस योग्य नहीं थी कि प्रोन्नति अब तक नहीं दी गयी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मैंने जैसा कि प्रश्न के उत्तर में पहले ही बता दिया है कि वरिष्ठता में आधार पर अभी तक किसी सचिव को अधिशासी अधिकारी के पद पर संविलीन नहीं किया गया है । आपका कहना कि कोई योग्य नहीं था, ऐसी बात नहीं है कि कोई योग्य नहीं था । योग्य है, ज्येष्ठता सूची बना ली है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है । मैं निवेदन करूंगा कि जो मैं जानना चाहता हूं, उसको हेर-फेर कर न बताएं । मैं जानना चाहता हूं कि 50 प्रतिशत जो विभागीय कर्मचारियों द्वारा प्रोन्नति की जाती है, जबसे नगरपालिका और टाउन एरिया बनी है और सचिव कायस्त है, अब तक काइ वरिष्ठ सचिव हुआ हो नहीं, जिसकी अधिशासी अधिकारी के पद पर प्रोन्नति की जाती । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कार्यवाही क्यों न की गयी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मैंने पहले ही बताया कि नयी सूची 24 जून, 1989 को बनी है, मेरे पास है । आपके आदेश होंगे तो मा0 सदस्य को और आपके पास पहुंचा सकता हूं । अभी स्पष्ट कहा गया कि सूची पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । आप जानते होंगे कि आजकल प्रोमोशन पर रोक लगी है, जैसे ही यह प्रोमोशन की कार्यवाही होगी, उस सची के अनुसार कार्यवाही करेंगे ।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, एक प्रश्न और है ।

श्री उपाध्यक्ष—

हम विचार कर लेंगे । बैठ जायं । यह जरूरी नहीं है कि आप लगातार पूछते रहें ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

मा0 उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो यह प्रोन्नतियां और नयी नियुक्तियां की गयी हैं या भविष्य की जाने वाली है, उसमें अनुसूचित जाति के लोगों की कितनी संख्या है और भविष्य में कार्यवाही किये जाने पर अनसूचित जाति और अनसूचित जनजाति के लोगों को इसमें वरीयता दी जायगी और क्या इनका कोटा पूरा किया जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न से संबंधित तो है नहीं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री—

मान्यवर, नियुक्तियों का मामला है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रश्न है । प्रश्न यह है कि कितना कोटा था, आगे लिये जाएंगे या नहीं और कितना कोटा है, कितना प्रोमोशन से है, कितना डायरेक्ट है । जहां नियुक्तियों का मामला आता है वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति का मामला आता है । मैं संरक्षण चाहता हूं । आप पुर्नविचार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि जो 50 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया गया है सचिव का, क्या वह उनके लिये सुरक्षित है ? यह कब तक प्रोन्नति कर दिये जायेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पुनः उसी उत्तर को जानने के लिये प्रश्न किया । मैंने कहा कि 50 प्रतिशत जो कोटा है, उसको भरा नहीं गया । आपने पूछा कि कब तक किया जायेगा, मैंने स्वयं कहा कि जब इसकी कार्यवाही शुरू होगी ।

महापालिका में केन्द्रीयित सेवा के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों को उप प्रशासक तथा प्रशासक का पद देने की मांग

*10—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि 1977 में सरकार के एक कैबिनेट निर्णय के अनुसार केन्द्रीयित सेवा के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न महापालिकाओं में उप प्रशासक तथा योग्यतम को प्रशासक का पद दिए जाने का प्राविधान किया गया था ? यदि हां, तो उक्त निर्णय को अभी तक पूरी तरह से न लागू किये जाने का क्या कारण है और क्या वर्तमान सरकार उस निर्णय को लागू करेगी ? यदि हां तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से क्या सरकार केन्द्रीयित सेवा के वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न महापालिकाओं में उप प्रशासक तथा योग्यतम को प्रशासक का पद दिये जाने के प्राविधान पर विचार करेगी ? यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, आदरणीय तिवारी जी ने जानना चाहा कि क्या सरकार विचार करेगी । मान्यवर, जो नगर महापालिका संवर्ग के अधिकारी हैं उनके द्वारा बार-बार यह मांग की जा रही है कि उनको प्रोन्नति देकर वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रखा जाय । अभी-अभी वाराणसी में वहां के लोगों ने आंदोलन भी कर रखा है । कुछ अधिकारियों ने उस पर जाने के लिये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश भी ले रखा है । जहां तक मानवीय आधार पर या व्यवहारिक दृष्टि से उनको उच्चतम पद पर रखने की बात है, मैं माननीय तिवारी जी के विचार से सहमत हूं, सरकार इस पर विचार कर रही है ।

केयर और विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना का पुष्टाहार के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य पी0 सी0 डी0 एफ0 द्वारा किया जाना

*11—श्री मन्जूर अहमद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कपया बतायेंगे कि केयर और विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना का पुष्टाहार वित्तीय वर्ष 1990-91 में कलकत्ता बन्दरगाह से लाने के लिए उ0 प्र0 कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन को 10 लाख रुपये की अग्रिम धनराशि दी गई

है ? यदि हां, तो किन वित्तीय नियमों के अन्तर्गत और उसका क्या औचित्य था ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि उ0 प्र0 कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन किस दर पर पुष्टाहार ट्रांसपार्ट कर रहा है ? क्या इससे कम दर पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मांगे गये टेंडर से संबंधित टेंडरदाता कार्य करने के लिए तैयार थे ? यदि हां, तो ऊंची दर पर और अग्रिम धनराशि देकर ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

केयर और विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रैल, 89 से पोषाहार कलकत्ता में पड़ा हुआ था । इसका परियोजनाओं पर कुप्रभाव पड़ रहा था और स्टोरेज का किराया भी देना पड़ रहा था । अतः तात्कालिक समाधान हेतु पी0 सी0 डी0 एफ0 के माध्यम से ढुलाई कराने की कार्यवाही की गयी ।

पी0 सी0 डी0 एफ0 को वास्तविक व्यय के आधार पर पोषाहार परिवहन करने के आदेश दिये गये थे । पी0 सी0 डी0 एफ0 इसी आधार पर कार्य कर रही है ।

न्यूनतम निविदादाताओं द्वारा टेण्डर संबंधी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने के कारण परिवहन का कार्य इनसे नहीं कराया जा सका अतः टेण्डरदाता के तैयार होने अथवा न होने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मंजूर अहमद—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन को 10 लाख रु0 नहीं बल्कि 20 लाख रु0 की एडवांस धनराशि दिलायी गयी ? मैं मंत्री जी से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि इतनी भारी धनराशि किन वित्तीय नियमों के अन्तर्गत दी गयी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने यह कहा कि 20 लाख की अग्रिम धनराशि दी गयी, तो यह बात अक्षरशः सत्य नहीं है । 19 अप्रैल, 1990 को 10 लाख अग्रिम दिया गया और उसके बाद 21 अप्रैल को, जब उन्होंने ढुलाई शुरू कर दी, तो मई के महीने में 10 लाख रुपया और दिया गया ।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

अग्रिम धनराशि विभाग द्वारा किस दिनांक को दी गयी और पी0 सी0 डी0 एफ0 ढुलाई का कार्य किस दर पर कर रहा है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मान्यवर, लगता है, आदरणीय विद्यार्थी जी कहीं दूसरी जगह सोच रहे थे । हमने कहा कि अग्रिम भुगतान 19 अप्रैल, 1990 को 10 लाख दिया गया ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

माननीय, तारांकित प्रश्न संख्या-2 में भी मैंने कुछ सवाल किये थे, यह मामला बहुत गंभीर है, क्या इस संबंध में सरकार कोई जांच करवा रही है और यदि करवा रही है तो जांच कौन कर रहा है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

श्रीमन्, इस संबंध में कुछ शिकायतें हमको मिली थी, जैसे ही हमको शिकायत मिली, उसी दिन मैंने उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिलाये और इसकी जांच सतर्कता विभाग के बहुत ही उच्च अधिकारी द्वारा की जा रही है ।

श्री मंजूर अहमद—

मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ढलाई के कार्य में कितनी पार्टियों के टेंडर आये थे, उनको अलग-अलग दरें क्या थी और सबसे कम तथा सबसे अधिक दर किन की थी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

श्रीमन्, टेंडर में कानपुर, पटना और कलकत्ता की फर्म ने टेंडर में सह-भागीदारी किया था और इसमें एक ने 45 सौ रुपया तथा दूसरे ने 48 सौ रुपया का दर निविदा में निश्चित किया था ।

श्री शारदा नन्द अंचल—

माननीय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है और जांच किस स्तर पर चल रही है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

श्रीमन् जांच किस अधिकारी के विरुद्ध चल रही है, यह कह पाना उचित प्रतीत नहीं होता, जब तक कि जांच रिपोर्ट न आ जाय । दूसरी चीज यह है कि जांच का जो बिन्दु है, उसमें ढुलाई की दरें, या मानक सही निश्चित किये गये या नहीं और किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं की गयी, यही बिन्दु है । इस प्रकरण में जो भी दोषी होगा, तो रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकेगा कि इन-इन अधिकारियों के विरुद्ध जांच हुई है ।

श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

माननीय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि वह क्या औपचारिकतायें थीं, जो वह फर्में पूरी नहीं कर सकीं और जिसके कारण 10 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान करना पड़ा ?

श्री अवधेश प्रसाद—

श्रीमन्, हमें जो शिकायत मिली, शिकायत का मुद्दा यह भी था कि 10 लाख रुपया पहले देना नहीं था ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि वे कौन सी ऐसी फारमूलेटीज थी, जिनको टेन्डर देने वाले पूरे नहीं कर सके ?

श्री अवधेश प्रसाद—

माननीय, यह भी शिकायत थी कि पी0 सी0 डी0 एफ0 को जो आदेश दिये गये, उस आदेश के देते समय जो औपचारिकतायें होती हैं, उसका पालन नहीं किया गया । उसी

के आधार पर यह जांच की बात कही गई है कि वह कौन सी औपचारिकतायें थी, जिसका हमारे अधिकारियों ने पास नहीं किया और संबंधित लोगों ने उसका पालन नहीं किया । यही सब तो जांच के आधार है ।

(श्री भोपाल सिंह व श्री रवीन्द्र कुमार के खड़े होने पर शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री भोपाल सिंह जी आप तो वरिष्ठ सदस्य है, आप कृपा करके बैठ जायें । माननीय मंत्री जी की तरफ से जो उत्तर आया है, वह सन्तोषजनक उत्तर है । उन्होंने कहा कि इसमें अभी बिन्दुओं पर जांच करवा ली जायेगी । विजीलेन्स द्वारा जांच कराई जा रही है । इसके आग अब कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं रह गई है ।

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियुक्त कर्मचारियो की पेंशन संबधी विसंगतियां का निराकरण

*12—श्री गजराज सिंह (अनुपस्थित)

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली तथा अकेन्द्रीयित सेवा निवत्ति लाभ नियमावली के प्राविधान राजकीय कर्मचारियों के पेंशन सम्बन्धी नियमों के अनुरूप न होने के कारण उक्त लाभों की अनुमन्यता में जो विसंगतियां है, उनके निराकरण के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है तथा दिनांक 1-1-86 से पूर्व के पालिकाओं के पेंशनरों की पेंशन को 1-1-86 से अभी तक उसी प्रकार पुनरीक्षित क्यों नहीं किया गया जैसा-राजकीय जिला परिषदों और मान्यता प्राप्त प्राईवेट शिक्षा संस्थाओं के पेंशनरों की पेंशनों को किया गया है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय— उत्

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा के जो कर्मचारी अधिवर्षिता सेवा पर्ण करने के उपरान्त सेवा निवृत्त होते है उनको राजकीय कर्मचारियों की भांति पेंशन संबंधी लाभ दिये जाने हेतु उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयत सेवा, सेवा निवृत्त लाभ नियमावली 1981 के कतिपय नियमों को संशोधित करने की कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ।

अकेन्द्रीयत सेवा निवत्ति लाभ नियमावली के प्राविधान राजकीय कर्मचारियों से संबंधित पेंशन नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप नहीं है । अकेन्द्रीयत सेवा निवृत्त कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति पेंशन के साथ राहत दिये जाने का प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयत/अकेन्द्रीयत कर्मचारियों को पेंशन उनके सेवा काल में संबंधित पालिकाओं दवारा दिये गये पेंशन अंशदान/पी0 एफ0 अंशदान के रूप में प्राप्त एवं पेंशन निधियों में जमा धनराशि के आधार पर दी जाती है । 1-1-86 से पूर्व सेवा निवृत्त पालिका कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त धनराशि इतनी नहीं है कि उनका 1-1-86 से पूर्व सेवा निवृत्त राजकीय कर्मचारियों की भांति पुनरीक्षित पेंशन धनराशि दी जा सकें ।

*13—श्री सत्य प्रकाश विकल—

[दिनांक 22-6-90 को ता0 प्र0 सं0 19 द्वारा उत्तरित]

जनपद बांदा में पेयजल संकट का निवारण

*14—श्रीमती सिया दुलारी—

क्या नगर विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद बांदा में पेयजल का गम्भीर संकट है जिससे ब्लाक मानिकपुर, मऊ रामनगर, पहाड़ी और चित्रकूट के क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं ? यदि हां, तो इसके निवारण हेतु शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

पेयजल संकट से राहत दिलाने हेतु प्रश्न में इंगित सभी विकास खण्डों के ग्रामों को पाइप्ड पेयजल योजना अथवा हैण्ड पम्प द्वारा पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ।

श्रीमती सिया दुलारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, जैसा कि उन्होंने स्वयं भी स्वीकार किया है कि बांदा में पेयजल की समस्या सबसे कठिन समस्या है, कि इन सभी ब्लाकों में स्थाई पेयजल की समस्या को हल करने के लिए उनके पास कोई योजना है ? दूसरा, यह कि इस वर्ष कितनी पाईप लाईन व कितने हैण्ड पम्प इन ब्लाकों में लगाये गये हैं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय सदस्या ने मानिकपुर, मऊ रामनगर, पहाड़ी तथा चित्रकूट ब्लाकों के विषय में प्रश्न किया था । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि मऊ ब्लाक में 83 ग्राम हैं जिनमें 263 हैण्ड पम्प पहले से ही लगाये जा चुके हैं, रामनगर ब्लाक में कुल 66 ग्राम हैं, जिसमें 253 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं । श्रीमन्, 90 गांवों में अभी पाइप लाईन की पेयजल योजना है । अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं कि मऊ ग्रुप डी ग्राम पेयजल योजना में 13 गांव हैं, बरगद पेयजल योजना में 38 गांव हैं, मऊ अ, ब, स, ग्राम समूह में 22 गांव हैं, राजापुर ग्राम समूह में 9 गांव हैं तथा करौंदीकला में 9 ग्राम हैं । मानिकपुर में 95 गांव हैं और 381 हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं, चित्रकूट में 120 गांव हैं उसमें 517 हैण्ड पम्प हैं, पहाड़ी ब्लाक में 119 गांव हैं और 531 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं ।

श्रीमती सिया दुलारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जो हैण्ड पम्प इस वर्ष लगाये गये हैं, उनमें से कितने खराब पड़े हुए हैं और कितने काम कर रहे हैं ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

श्रीमन्, सही फिगर तो मेरे पास नहीं है, हां, अनुमान के आधार पर मैं बता सकता हूं कि टोटल के केवल 10 परसेन्ट हैण्ड पम्प खराब हो सकते हैं ।

(तारांकित प्रश्न संख्या-16 पुकारे जाने पर श्रीमती सिया दुलारी, श्री अमर मणि तथा श्री किशन गोपाल द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्रीमती सिया दुलारी—

माननीय, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, वहां पर एक-एक बूंद पानी के लिये जनता तरस रही है ।

श्री अमर मणि—

अभी इनके प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष—

वह दो प्रश्न पूछ चुकी है, तीसरा प्रश्न नहीं होगा । आप लोग बैठें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

*15—श्री कल्यान सिंह—

[7वें शुक्र के लिये स्थगित]

(इस समय 12 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या नियंत्रित करने तथा बेरोजगारी भत्ता देने की मांग

*16—श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में बेरोजगारों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की कोई ठोस योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? क्या सरकार प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शिक्षित बेरोजगारों के लिये स्वत: रोजगार योजना एवं ग्रामीण अंचलों के लिये जवाहर रोजगार योजना चलायी जाती है । प्रदेश में स्थित सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार हेतु अभ्यर्थियों को पंजीयन की भी सुविधा है । सेवायोजकों से मांग आने पर उनकी योग्यतानुसार इनके नाम भेजे जाते हैं । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों तथा शिक्षण एवं मानदर्शन केन्द्रों के माध्यम से भी विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिलाकर उनकी सेवायोजकता बढ़ाई जाती है ताकि उन्हें रोजगार मिलने में सहायता प्राप्त हो सके ।

जी नहीं । शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये फिलहाल बेरोजगारी भत्ता दिया जाना कठिन है

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वत: रोजगार योजना द्वारा कितने बेरोजगारों को वर्ष 1988, 89, 90 और 91 में रोजगार प्रदान किये गये हैं ?

दूसरा, ग्रामीण अंचलों में जवाहर रोजगार योजना द्वारा कितने लोगों को इसका लाभ पहुंचा है ?

तीसरा, पंजीकरण की सुविधा से बेरोजगारों को जो लाभ पहुंचाने की बात मंत्री जी ने कही है, तो वह सरकार की ऐसी योजना है कि जो बेरोजगार इन्सान है उनको पंजीकृत करके रजिस्टर्ड कर दिया जाता है कि पक्के बेरोजगार हैं ?

चौथा, औद्योगिक प्रशिक्षण के द्वारा जो सुविधा पहुंचाने की बात कही है, जिन संस्थानों और केन्द्रों के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने की बात की है, यह मैं जानना हूं कि जो भी पैसे वाले हैं उन्हीं की बेरोजगारी दूर करने की बात की जाती है। सरकार ने प्रदेश में बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी, चुनावी समय में वायदा किया था कि जब मैं अपनी सरकार ले आऊंगा तो बेरोगारी का भत्ता दूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसको अभी तक क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, सरकार ने या दल ने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था। काम का अधिकार मौलिक अधिकार होगा इसका वायदा किया था और इस वायदे पर काम जल्द ही होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

*17—श्री सुखवीर सिंह गहलौत—

[11वें मंगल में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*18—श्री दया शंकर—

[12वें मंगल में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*19—श्री जय शंकर पाण्डेय—

[10वें मंगल में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उ0 प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम में संशोधन करने की मांग

*20—श्री रणजीत सिंह—

क्या नगर विकास एवं जल सम्पूर्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे भवनों, जिनका वार्षिक मूल्यांकन रु0 560/- है, उन पर जल कर आरोपित नहीं होता है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उ0 प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम की धारा 55-सी के अनुसार सीवर कर से मुक्ति हेतु भवनों के वार्षिक मुल्यांकन की सीमा 150/- है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त विषयक उ0 प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम की धारा 55-सी में संशोधन कर भवन वार्षिक मूल्यांकन की सीमा 560 रुपए किए जाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं, किन्तु यह सही है कि उ0 प्र0 जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की धारा 55 (सी) के अनुसार ऐसे भू-गृहादि पर जिनका वार्षिक मूल्यांकन रु0 150/ से अधिक नहीं है, सीवर कर उद्ग्रहीत नहीं किया जाता है।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

जल संस्थानों की आय के सीमित संसाधनों को देखते हुए इसमें संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का बकाया वेतन अनुदान के रूप में देने की मांग

1—श्री अफजाल अंसारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का बकाया वेतन अनुदान के रूप में देने का विषय शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस विषय में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

कर्मचारियों के वेतन भुगतान का दायित्व संबंधित स्थानीय निकाय का है । कतिपय श्रेणी के स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति जर्जर होने के कारण उनके कर्मचारियों के बकाये वेतन के आंशिक भुगतान हेतु अनुदान देने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज, मल्लावां व बिलग्राम में खराब हैण्ड पम्पों की ठीक कराने की मांग

2—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के क्रमशः विकास खण्ड माधोगंज, मल्लांवा, बिलग्राम में उ0 प्र0 जल निगम द्वारा जो हैण्ड पम्प लगाये गये हैं वह अधिकांश खराब हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी उपरोक्त के संबंध में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ? खराब पड़े हैण्ड पम्प कब तक ठीक कराने के आदेश जारी करेंगे ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं, इन विकास खण्डों में अधिष्ठापित कुल 517 हैण्ड पम्पों में से केवल 18 हैण्ड पम्प खराब पाये गये । इन खराब हैण्ड पम्पों को 30 जून, 1990 तक ठीक करा दिया गया है ।

एक हैण्ड पम्प का पानी खराब होने के कारण दूसरे स्थान पर लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त स्थिति में किसी के विरूद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद सुल्तानपुर में जल निगम के कार्यों की समीक्षा

3—श्री हरवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सुल्तानपुर में जल निगम के कार्यों की समीक्षा चीफ इंजीनियर ने अक्टूबर, 1989 में की थी तथा शासन को 31 अक्टूबर को रिपोर्ट दी कि 4506 हैण्ड पाइप बिना प्लेटफार्म व कन्क्रीट ब्लाक बनाए गाड़े गए हैं ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपदीय हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय एवं संस्था में कार्यरत समूह 'ग' के कर्मचारियों को गृह जनपद में रखे जाने के सम्बन्ध में नीति

4—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या सरकार उस शासनादेश की प्रति उपलब्ध करायेगी जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गयी है कि जनपदीय हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय एवं संस्था में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को उस जनपद से संबंधित कार्यालय/संस्था में नहीं रखा जायेगा जहां के उक्त कर्मचारी स्थायी निवासी हैं ? क्या सरकार इस व्यवस्था को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जनपदीय हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय एवं संस्था में कार्यरत समूह 'ग' के लिपिकीय वर्ग व अप्रशासकीय कर्मचारियों को अपने स्थायी निवास के गृह जनपद में तैनात किये जाने पर सम्प्रति न तो कोई रोक है और न ही शासकीय स्थानान्तरण नीति में इसका प्राविधान है अपितु उन्हें गृह स्थान को छोड़कर अपने मण्डल में कहीं भी स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर के हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय में कर्मचारियों की तैनाती अवधि

5—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय से 6-7 वर्षों तक कौन-कौन से कर्मचारी कार्यरत रहने के उपरान्त एक-दो माह के लिए रा0 अ0 प0 विद्यालय घोरावल मिर्जापुर स्थानान्तरित किए गए तथा पुनः हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय मिर्जापुर में स्थानान्तरित किये गये हैं ? उक्त कर्मचारियों को उक्त छूट दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अवधेश प्रसाद—

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

6—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण इस वर्ष नहीं किया गया

है जबकि अन्य कार्यालयों/संस्थाओं के कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

बाल विकास परियोजनाओं में भी स्थानान्तरण किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाना

7—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग (मुख्यालय) में कितने दैनिक वेतनभोगी लिपिक कार्यरत हैं और किस-किस तिथि से हैं ? क्या पूर्व में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किया गया है ? क्या वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अवधेश प्रसाद—

कुल कर्मचारी 26 हैं, इनकी नियुक्ति की तिथि संलग्न सूची 'क' में अंकित है ।

जी हां,

नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

यथाशीघ्र ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 125 पर)

जनपद महाराजगंज के लक्ष्मी पुर बाजार, सोनौली, अड्डा बाजार तथा कोल्हुई बाजार को टाउन एरिया बनाने की मांग

8—श्री अमर मणि—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मीपुर बाजार, सोनौली, अड्डा बाजार, कोल्हहुई बाजार जनपद महराजगंज को टाउन एरिया बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

वर्ष 1991 की जनगणना की समाप्ति के पश्चात् इस संबंध में विचार किया जायेगा ।

9—डा0 दिनेश जौहरी—

[6ठे बुद्ध में अता0 प्र0 सं0 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जल निगम मुख्यालय के वर्ष 1986 में वरिष्ठ आलेखक तथा प्रालेखकों द्वारा पिता की बीमारी पर किये गये व्यय का प्रतिपूर्ति प्राप्त किया जाना

10—श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में जल निगम मुख्यालय के कितने वरिष्ठ आलेखक प्रालेखकों ने अपने पिता की बीमारी पर किये गये व्यय को प्रति पूर्ति का भुगतान प्राप्त किया ? उनके नाम व उनके द्वारा प्राप्त की गई प्रति पूर्ति की धनराशि क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कर्मचारियों के आश्रतों के स्वामित्व में चल अचल सम्पत्ति है क्या उनके आश्रतों की चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति भी जल निगम करता है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

चार ।

नाम व प्राप्त की गयी प्रतिपूर्ति की धनराशि निम्नानुसार है :—

क्रम संख्या	नाम	धनराशि रुपये
1.	श्री आर0 के0 बन्सल	1,016.60
2.	श्री एस0 पी0 मौर्या	415.45
3.	श्री राम आसरे वर्मा	302.65
4.	श्री ए0 सी0 सिंह सोमवंशी	694.55

शासनादेश संख्या-994/चौवालिस-1-139-84, दिनांक 3.6.87 के अनुसार परिवार के सदस्यों जिसमें कर्मचारी पर पूर्ण रूपेण आश्रित माता-पिता भी शामिल हैं, को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति उ0 प्र0 जल निगम द्वारा की जाती है ।

जल निगम मुख्यालय के भवन में आग लगने का कारण तथा मरम्मत पर अनुमानित व्यय

11—श्री हरवंश सहाय तथा श्री सुरेश यादव—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम मुख्यालय भवन लखनऊ में 15 जून, 1989 को आग लगी थी ? यदि हां, तो आग लगने के कारणों की क्षति के अनुमान एवं दोषी कर्मचारियों के बारे में जांच रिपोर्ट में क्या उल्लेख है ? रिपोर्ट में कितने की क्षति आंकी गई तथा 31-5-90 तक कितना खर्च मरम्मत पर हुआ ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां,

विभागीय जांच आख्या का परीक्षण किया जा रहा है साथ ही उक्त मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई जा रही है, जिसकी जांच आख्या प्रतीक्षित है ।

विभागीय जांच आख्या में लगभग 10.00 लाख की क्षति आंकी गई । क्षतिग्रस्त कार्यों के मरम्मत एवं नवीनीकरण आदि कार्यों पर दिनांक 31-5-1990 तक रु0 77.94 लाख व्यय हुआ है ।

उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा अकारण सेवा समाप्त कर्मचारियों को सेवा में वापस लिया जाना

12—श्री हरवंश सहाय तथा श्री सुरेश यादव—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ द्वारा 200 कार्य प्रभावित कर्मचारियों की सेवायें माह जून, 1989 में अकारण समाप्ती की गई थी ? क्या यह सही है कि बिना काम कराये 5 माह बाद उन्हें पुनः बहाल किया गया तथा दस लाख रुपये का अनावश्यक भुगतान करना पड़ा ? इस अवैधानिक कार्य के दोषी अधिकारी कौन है तथा उनके विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

अवैधानिक कार्यवाहियों में लिप्त पाये गये कतिपय कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई हैं ।

तोड़-फोड़ की कार्यवाही न करने वाले कर्मचारियों को 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिधान्त पर बहाल किया गया तथा कतिपय कर्मचारियों के सम्बन्ध में न्यायालयों से प्राप्त आदेशानुसार कार्यवाही की गयी ।

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 जल निगम में वर्तमान में रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

13—श्री हरवंश सहाय

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में वर्तमान में मानचित्रक (वि0/यां/सिविल) के अलग-अलग कुल कितने पद रिक्त है ? क्या इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

वर्तमान में उधर प्रदेश जल निगम में मानचित्र (विद्युत/यांत्रिक) के 25 पद एवं मानचित्रक (सिविल) के 89 पद रिक्त हैं ।

जी नहीं ।

वर्तमान कार्यभार को देखते हुए रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता पड़ने पर विचार किया जायेगा ।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के बनेख-दिउसी मोटर मार्ग को लोक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित किया जाना

14—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कपा करेंगे कि क्या जनपद पौड़ी-गढ़वाल के बनेख-दिउसी मोटर मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित किए जाने के संबंध

में संयुक्त सचिव सा0 नि0 वि0 के पत्र सं0 285 सी/23 सा0 नि0 अनु-1/दि0 23-3-82 तथा विशेष सचिव के पत्र संख्या 5335 सी0/23 सा0 नि0 अनु0-1, दिनांक 21-12-85 और विशेष सचिव पर्वतीय विकास विभाग के पत्रांक 5338/28-5-84, दि0 31-12-84 के द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक इस मांग के स्थानान्तरण के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और कब तक यह मार्ग सा0 नि0 वि0 को स्थानान्तरित किया जा सकेगा ?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बरफिया लाल जुवांठा)—

विशेष सचिव पर्वतीय विभाग ने उल्लिखित पत्र द्वारा, मुख्य अभियन्ता को कार्यवाही के लिये पत्र भेजा था । अब यह स्थिति सामने आई है कि यह मार्ग ग्राम्य विकास विभाग का है । लोक निर्माण विभाग इस पर तभी कार्यवाही कर सकता है जब स्वामित्व उनको मिल जावे । इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम्य विकास को स्वामित्व हस्तान्तरण हेतु लिखा गया है । लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वामित्व हस्तान्तरण के बाद ही कार्यवाही की जावेगी ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला की नगर पालिक के चौधरी मोहम्मद वसीम चुंगी निरीक्षक की पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान

15—श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौ0 मोहम्मद वसीम, चुंगी निरीक्षक, नगर पालिका संडीला, जनपद हरदोई, दि0 1-12-81 को सेवानिवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या इनकी पेंशन, ग्रेच्युटी तथा अन्य देयों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? क्या इस संबंध में श्री वसीम ने दिनांक 24-1-90 एवं 5-5-90 को मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र भी लिखे हैं ? यदि हां, तो पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? क्या श्री वसीम को देयों का भुगतान तीन माह के अन्दर करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

पत्र अनुभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री वसीम ने भविष्य निधि में जमा धनराशि आहरित कर लिया परन्तु पेंशन नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पालिका अंशदान जमा नहीं किया । इस कारण इनके पेंशन आदि का मामला लम्बित है । उक्त शर्त पूरी होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । प्रश्न नहीं उठता ।

16—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

[5वें क्रम में अता0 प्र0 सं0 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव में हैण्डपम्प लगाने की नीति निर्धारित करने की मांग

17—श्री हृदय नारायण—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 जल निगम द्वारा जनपद उन्नाव के ग्राम मार्क्स नगर (नवाबगंज) समरी व (असोहा) छूही एतवारपुर (सफीपुर) इत्यादि स्थानों पर इण्डिया मार्क 2 हैण्डपम्प ऐसे स्थलों पर लगाये गये हैं जहां खारा पानी निकल रहा है ? यदि हां, तो क्या भूगर्भ जल विभाग द्वारा विस्तृत सर्वेक्षणोपरान्त उन्नाव जनपद में हैण्डपम्प लगाने की नीति निर्धारित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

उल्लिखित 5 ग्रामों में से ग्राम छूही में एक तथा ग्राम असोहा में दो हैण्डपम्पों में खारा पानी मिला है । ग्राम छूही एवं एतवारपुर को पाइप योजना से लाभान्वित किया जा चुका है तथा ग्राम असोहा व समरी से सम्बन्धित पाइप योजना का भी निर्माण किया जा रहा है । ग्राम मार्क्स नगर राजस्व ग्राम मकूर का एक मजरा है । इससे सम्बन्धित पाइप योजना का विरचन किया जा रहा है ।

वर्ष 1986 में केन्द्रीय भूगर्भ जल सर्वेक्षण परिषद् द्वारा जनपद का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है । मार्च 1990 तक जल निगम द्वारा लगाये गये लगभग 4637 हैण्डपम्पों में से केवल 150 हैण्डपम्पों (लगभग तीन प्रतिशत) पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं हुआ है । प्रत्येक हैण्डपम्प के लिए पृथक से केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् से टैस्ट बोर कराना मितव्ययी एवं व्यावहारिक नहीं है ।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड डीहा की पेयजल योजना इटहरा के अन्तर्गत ग्रामों में पानी की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

18—श्री रामरती विन्द—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के विकास खण्ड डीहा की पेय-जल योजना इटहरा के अन्तर्गत कुल कितने गांव पड़ते हैं ? इनमें से कितने गांवों में पानी पीने की सुविधा मिल पाती है, और कितने गांवों को इस योजना के जनपद के अन्तर्गत पानी पीने की सुविधा नहीं मिल पाती है ? सरकार पेयजल की सुविधा इन घरों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

21 ग्रामों

इनमें से 14 ग्रामों में पेयजल की सुविधा संतोषजनक ढंग से मिल पाती है और 5 ग्रामों में पेयजल आंशिक रूप से उपलब्ध होता है ।

इस योजना के अन्तर्गत 2 ग्राम ऐसे हैं जहां वर्तमान में पेयजल सुविधा बिल्कुल नहीं मिलती है ।

स्थिति में सुधार लाने के लिए पनर्गठन योजना निर्माणाधीन है जिसमें एक अतिरिक्त नलकूप बनाया जा चुका है और 250 किलोलीटर क्षमता का शिरोपरी जलाशय बनाया

का रहा है । पुनर्गठन कार्य पूरा होने पर प्रभावित ग्रामों में भी जलापूर्ति की व्यवस्था पर्याप्त हो जायगा । फिर भी जिन ग्रामों में पूर्णतया अथवा आंशिक पयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है वहां 13 हैण्डपम्प स्थापित किये गये हैं तथा 4 हैण्डपम्प प्रस्तावित हैं ।

द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग

19—श्री गंगा राम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में सरकार कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक इस संबंध में निर्णय ले लिया जा सकेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

शासन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को 100 रुपये मासिक आर्थिक सहायता 1 अगस्त, 1990 से दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

उ0 प्र0 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए छात्रों हेतु छात्रावासों की संख्या एवं अनुमानित व्यय

20—श्री दौलत राम—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए कुल कितने छात्रावास हैं तथा उनमें कुल कितने छात्र रहते हैं और छात्रों तथा छात्रावासों पर सरकार का प्रतिवर्ष कितना धन खर्च होता है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुल 48 राजकीय तथा 144 अनुदानित छात्रावास हैं । राजकीय छात्रावासों में कुल 1683 छात्र रह रहे हैं और राजकीय छात्रावासों पर वर्ष 1989-90 में कुल 24.351 लाख रुपये व्यय हुआ है । अनुदानित छात्रावासों की सूचना एकत्र की जा रही है ।

जोशीमठ स्थित प्रोली स्कीइंग एवं पर्यटन विकसित करने की योजना

21—डा0 दिनेश जोहरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जोशीमठ स्थित प्रोली स्कीइंग एवं पर्यटन विकसित करने की सरकार ने 45 करोड़ रुपये की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो यह योजना क्या है और कब तक यह योजना प्रारम्भ होगी ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी नहीं ।

परन्तु इस संबंध में 40.66 करोड़ की एक प्रारंभिक योजना तैयार की गयी है ।

योजना में चेयरलिफ्ट, स्कीइंग लिफ्ट तथा शीतकालीन क्रीड़ा केन्द्र का विकास सम्मिलित है । इस योजना के कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किये जा चुके हैं ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र में कृषि एवं उद्यान के विकास हेतु अनुमानित व्यय

22—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना काल में 31 मार्च, 1990 तक कृषि एवं उद्यान विकास में कुल कितना धन पर्वतीय क्षेत्र में व्यय हुआ ? इस अवधि में कृषि एवं उद्यान के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई तथा कृषि उपजा तथा फलों का क्या उत्पादन रहा ?

श्री बरीफया लाल जुवांठा—

7वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में 31 मार्च, 1990 तक पर्वतीय क्षेत्र में कृषि एवं उद्यान विकास के अन्तर्गत क्रमशः 889.23 लाख रु0 तथा 3484.74 लाख रु0 का व्यय (अनुमानित) हुआ ।

इस अवधि में कृषि क्षेत्रफल में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई । सातवीं योजना के पूर्व वर्ष 1984-85 में कुल कृषित क्षेत्रफल लगभग 11.52 लाख हेक्टेयर था, जिसके विपरीत सातवीं योजना के अंतिम वर्ष 1989-90 में कुल कृषित क्षेत्रफल लगभग 11.60 लाख (अनुमानित) है । उद्यान के अंतर्गत सातवीं योजना के पूर्व वर्ष 1984-85 में 141.55 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल था, जो सातवीं योजना के अंतिम वर्ष 1989-90 में 166.23 हजार हेक्टेयर (अनुमानित) है ।

सातवीं योजना के अंतिम वर्ष 1989-90 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 16.74 लाख मी0 टन तथा फलोत्पादन 3.97 लाख मी0 टन (अनुमानित) है ।

जनपद उन्नाव के ग्राम सभा बेहटा नथई सिंह में स्वीकृत हैण्ड पम्प लगाने की मांग

23—श्री स्वामी नाथ—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा बेहटा नथई सिंह, जिला उन्नाव द्वारा दिनांक 7-10-89 को प्रस्तावित कितने इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प लगा दिए गए तथा कितने स्वीकृत हैण्ड पम्प लगाए जाने शेष हैं ? शेष स्वीकृत हैण्ड पम्प अब तक न लगाने का क्या कारण है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

ग्राम सभा बेहटा नथई सिंह, जिला उन्नाव द्वारा दिनांक 7-10-89 को 9 प्रस्तावित स्थलों में से 7 पर हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं, तथा 2 स्थलों के विवाद के संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दो स्थलों पर हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं ।

कोई शेष नहीं ।

उपरोक्तानुसार प्रस्तावित हैण्ड पम्पों के समक्ष सभी हैण्ड पम्प लगा दिये गये हैं ।

पर्वतीय क्षेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जल निगम को आवंटित धनराशि

24—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में जल निगम का कुल कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि इस अवधि में आवासीय एवं कार्यालय आदि के भवनों के निर्माण तथा रख रखाव में विभाग द्वारा व्यय की गयी ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग में पेयजल की पुनरीक्षित योजना बनाने का प्रस्ताव

25—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेरीनाग, जनपद पिथौरागढ़ जल संस्थान द्वारा पेयजल योजना सन् 1963 में बनायी गयी थी ? यदि हां, तो उस समय बेरीनाग की कुल जनसंख्या कितनी थी और अब कितनी है ? क्या बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए पयजल की पुनरीक्षित योजना बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जी हां । यह योजना स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाई गई थीं । उक्त योजना में बेरीनाग की जनसंख्या 435 थी तथा वर्तमान में जनसंख्या लगभग 628 है ।

गुरूत्व श्रोत उपलब्ध न होने के कारण बेरीनाग पम्पिंग योजना विरचित किये जाने हेतु अन्वेषण कार्य जल निगम द्वारा किया जा रहा है ।

26-27—डा0 दिनेश जौहरी—

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 184-185 के अंतर्गत स्थानान्तरित ।]

28—श्री ऊदल—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

29—श्री राजकिशोर सिंह—

[दिनांक 29-6-90 को अता0 प्र0 सं0 98 द्वारा उत्तरित ।]

पर्वतीय अंचल को समाज कल्याण परिषद् द्वारा आवंटित बजट

30—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1989-90 में राज्य समाज कल्याण परिषद् द्वारा पर्वतीय अंचल में कितना बजट आवंटित किया गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

वर्ष 1989-90 में राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा रु0 49,95,022.00 का बजट पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु आवंटित किया गया था ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न जनपदों में हैण्ड पम्प लगाने का लक्ष्य

31—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में हिन्द मार्क-2 हैण्ड पम्प उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में कितनी संख्या में आवंटित हुए हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सबसे अधिक हैण्ड पम्प हिन्द मार्क-2 उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगे हैं और उसका आधार क्या है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न जनपदों में हिन्द मार्क-2 हैण्ड पम्प लगाये जाने के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जा रहे हैं ।

सबसे अधिक हैण्ड पम्प उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में लगे हुये हैं ।

हैण्ड पम्प आवश्यकता के आधार पर लगाये गये हैं ।

"राजभर जाति" को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत लेने का प्रस्ताव

32—श्री खुर्शीद अहमद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "राजभर जाति" को अनुसूचित जाति के अंतर्गत लेने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

राजभर/भर जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने हेतु प्रकरण भारत सरकार को सन्दर्भित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुस्लिम धोबियों को अनुसूचित जाति के समान सुविधा की मांग

33—श्री खुर्शीद अहमद—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुस्लिम धोबियों को भी अनुसूचित जातियों की तरह सुविधा देने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी नहीं ।

मुस्लिम जातियां अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन एवं निर्बल आवास निगम के तत्कालीन महाप्रबन्धक द्वारा सीमेन्ट प्रोक्योरमेन्ट अधिकारी के पद पर की गयी नियुक्ति की जांच तथा दोषी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

34—श्री ओम प्रकाश गुप्त—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1987 में "हरिजन एवं निर्बल आवास निगम" के तत्कालीन महाप्रबन्धक द्वारा "सीमेन्ट प्रोक्योरमेन्ट अधिकारी" के पद पर की गयी नियुक्ति की जांच विषयक तत्कालीन विधायक श्री शारदा प्रताप शुक्ल द्वारा एक पत्र दिनांक 10-9-87 को सरकार को प्रेषित किया गया था ? यदि हां, तो क्या अब तक जांच हुई ? उक्त प्रकरण में दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

उक्त अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है । उक्त प्रकरण सतर्कता विभाग को सन्दर्भित कर दिया गया है ।

सतर्कता जांच के परिणामों के अनुसार यथोचित कार्यवाही की जानी संभव होगी ।

लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में जल आपूर्ति हेतु पुनर्गठन की योजना

35—श्री राम कुमार शुक्ला—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में क्या जल आपूर्ति हेतु कोई पुनर्गठन योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन कब तक होगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के लिये गोमती नदी के इस पार दूसरा वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य बालागंज चुंगी के पास प्रारम्भ हो चुका है जो 1992 तक पूर्ण हो जायगा ।

36—श्री फौजदार प्रसाद—

[दि0 22-6-90 को अता0 प्र0 सं0 5 द्वारा उत्तरित]

उत्तर प्रदेश एक्स सर्विस लीग द्वारा भू0 पू0 सैनिकों एवं युद्ध विधवाओं की समस्याओं को दूर करने की मांग

37—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश एक्स सर्विस लीग ने भू0 पू0 सैनिकों एवं युद्ध विधवाओं की समस्याओं के संबंध में कोई ज्ञापन शासन को मई, 1990 में दिया है ? यदि हां, तो वह मांगें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

मई 1990 में ज्ञापन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षित फार्मासिस्ट के वेतनमानों में विसंगति को दूर करने की मांग

38—श्री राम बचन यादव—

क्या श्रम मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कितने प्रशिक्षित फार्मासिस्ट है ? उनको किस वेतनमान में रखा गया है तथा अन्य सरकारी विभागों में इस पद के लिए क्या वेतनमान है ? क्या उनके वेतनमानों में कोई विसंगति है ? यदि हां तो उसको कब तक दूर किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अधीन चल रहे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 8 प्रशिक्षित फार्मासिस्ट (कम्पाउन्डर) हैं जिन्हें रु0 975-25-1150-द0 रो0-30-1660 का वेतनमान दिया गया है । शासन के अन्य विभागों में प्रशिक्षित फार्मासिस्ट के वेतनमान ज्ञात करने के उपरान्त उनमें मौजूद विसंगति का परीक्षण करवा लिया जायगा ।

टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया में विद्युत अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति की मांग

39—श्री राम बचन यादव—

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया के सिविल कार्यों की देखरेख के लिए प्रत्येक जनपद में सिविल अभियन्ताओं की नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो क्या उसी प्रकार विद्युत् कार्यों की देखरेख के लिए विद्युत् अवर अभियन्ता की नियुक्ति की जाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं । केवल कुछ ही जनपदों में अवर अभियन्ता का पद सृजित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया कमेटियों में विद्युत् कार्य इतना अधिक नहीं होता जिसके लिये विद्युत् अवर अभियन्ता की नियुक्ति की आवश्यकता हो ।

लखनऊ नगर महापालिका द्वारा संचालित कश्मीरी मोहल्ला माडल माण्टेसरी स्कूल में कार्यरत अध्यापिकाओं के वेतनमान को पुनरीक्षित करने की मांग

40—श्री शिव बहादुर सक्सेना—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका द्वारा संचालित कश्मीरी मोहल्ला माडल माण्टेसरी स्कूल में वेतनमान रु0 365-555 में कार्यरत सहायक

शिक्षा अध्यापिकाओं का वेतनमान पुनरीक्षित नहीं किया गया है जबकि अन्य समस्त कर्मचारियों का वेतनमान पुनरीक्षित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त वेतनमान में कार्यरत अध्यापिकाओं का वेतनमान संशोधित किये जाने का प्रस्ताव, लखनऊ महापालिका द्वारा शासन को दिनांक 23-5-90 को भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त वेतनमान कब तक पुनरीक्षित कर दिया जायेगा ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

समस्त प्रकरण पर विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जायगा ।

जनपद शाहजहांपुर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बाल विकास परियोजना के पात्रों को नियमित पोषाहार वितरित किया जाना

41—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद शाहजहांपुर के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों गर्भवती महिलाओं को पोषित करने के उद्देश्य से नार्वे व भारत सरकार के सहयोग से भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही बाल विकास परियोजना के पात्रों को पुष्टाहार पिछले तीन महीने से नहीं मिल रहा है ? इस हेतु शासन द्वारा तत्काल क्या कदम उठाया गया है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

शाहजहांपुर में शहरी क्षेत्र में बाल विकास परियोजना स्वीकृत है परन्तु अभी संचालित नहीं हुई है । जनपद के विकास खण्ड भावल खेड़ा व कांठ में नार्वे सरकार की सहायता से नहीं परन्तु केयर द्वारा पोषाहार की आपूर्ति होती है और वर्तमान में नियमित पोषाहार वितरित किया जा रहा है ।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या का समाधान

42—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पीने के पानी की भयानक कमी के समाधान हेतु सरकार ने तत्काल क्या कार्यवाही की है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां । इस वर्ष ग्रीष्म ऋतु में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले पांच जनपदों में पीने के पानी की भयानक कमी के समाधान हेतु 1855 नये हैण्ड पम्प लगाये जा चके हैं ।

पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत प्रशासनिक सेल का खोला जाना

43—श्री फौजदार प्रसाद—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत जनवरी, 1990 में प्रशासनिक सेल का गठन किया गया है ? यदि हां, तो यह

किन उद्देश्यों और कार्यों के लिए खोला गया है ? क्या वह कार्य पर्वतीय विकास विभाग के 10 अनुभागों एवं टेक्निकल सेल से कार्य सम्पादित नहीं किया जा सकता था ? क्या इस सेल को खोलने के लिए कार्मिक/सचिवालय प्रशासन विभाग से स्वीकृति ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

जनवरी, 1990 में पर्वतीय विकास विभाग में किसी सेल का गठन नहीं किया गया ।

पर्वतीय विकास विभाग में निःसम्वर्गीय पद पर नियुक्ति की जानकारी

44—श्री फौजदार प्रसाद—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी वेतनमान में एक निःसम्वर्गीय पद स्वीकृत करके उस पर 18 जनवरी, 1990 को नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो निःसम्वर्गीय पद स्वीकृत किये जाने के लिए क्या नियम व शर्तें हैं और इसका क्या औचित्य है ? क्या इस निःसम्वर्गीय पद की स्वीकृति/नियुक्ति के लिए कार्मिक/सचिवालय प्रशासन से सहमति ली गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

पर्वतीय विकास विभाग के अंतर्गत अनुभाग अधिकारी के वेतनमान में 18 जनवरी, 1990 को किसी निःसम्वर्गीय पद पर कोई नियुक्ति नहीं की गई है ।

सिटी बोर्ड जौनपुर में प्राइवेट बस/टैक्सी स्टैण्डों तथा मछली बाजार के ठेकों की नीलामी में अनियमितता की शिकायत एवं जांच

45—श्री अर्जुन सिंह यादव—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिटी बोर्ड जौनपुर में प्राइवेट बस/टैक्सी स्टैण्डो तथा मछली बाजार के तहबाजारी ठेकों की नीलामी में की गयी गम्भीर अनियमितता के सम्बन्ध में सिटी बोर्ड जौनपुर के उपाध्यक्ष श्री रमजान खां तथा सभासद सोमनाथ आर्य का संयुक्त शिकायती पत्र दिनांक 1-3-90 तथा उसके साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-4-90 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्ष 1990-91 के लिए प्राइवेट बस/टैक्सी स्टैण्डों तथा मछली बाजार के तहबाजारी ठेकों की नीलामी से अलग-अलग और कुल कितनी आय प्राप्त हुई है ? यह नीलामी कब की गयी है ? वर्ष 1989-90 में इन ठेकों के नीलामी से अलग-अलग और कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई थी? क्या स्थानीय निकायों में नीलाम किये जाने वाले विभिन्न ठेकों की वार्षिक नीलामी में न्यूनतम वृद्धि का कोई मानक शासन द्वारा निर्धारित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्ष 1990-91 के लिए नीलामी में वर्ष 1989-90 की तुलना में रुपये 1.16 लाख कम धनराशि आने पर नीलाम अधिकारी ने पुनः नीलामी की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो पुनः नीलामी क्यों नहीं करायी गयी ? इस सम्बन्ध में सिटी बोर्ड को रुपये 1.16 लाख की भारी आर्थिक क्षति पहुंचाने के लिए उत्तरदायी अध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी तथा रुपये 1.16 लाख की क्षतिपूर्ति किससे की जाएगी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

नीलामी दिनांक 20-2-90 तथा 1-3-90 को कराई गई । वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में नीलामी से हुई आय का विवरण निम्नवत है :—

नाम स्टैण्ड	1989-90 रु0	1990-91 रु0
वाराणसी रोड	7,400	8,000
बदलापुर रोड	36,100	28,000
मिर्जापुर रोड	38,000	30,000
इलाहाबाद रोड	35,000	17,000
आजमगढ़ रोड	71,100	35,000
टींका मछली बाजार	51,000	23,500
योग ..	2,38,600	1,41,500

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराई जा रही है । जांचोपरान्त नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

46—श्री गजराज सिंह—

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश की नगर पालिकाओं का वर्गोत्थान

47—श्री उमानाथ सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की वह कौन-कौन सी नगरपालिकायें हैं जिनका वर्गोत्थान वर्ष 1958 में द्वितीय श्रेणी में हुआ था ? उनमें से कितनी नगरपालिकाओं का वर्गोत्थान अब तक प्रथम श्रेणी में हो चुका है तथा कौन-कौन सी नगरपालिकाएं 1958 से अब तक द्वितीय श्रेणी में ही चल रही हैं और उनका वर्गोत्थान क्यों नहीं किया गया ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

वर्ष 1958 के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है ।

नगरपालिकाओं का उत्थान शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने पर किया जाता है ।

जनपद आगरा हेतु पीने के पानी का स्थायी प्रबन्ध

48—श्री बदन सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा के जल संस्थान के फिल्ट्रेशन प्लान्ट में पानी की गन्दगी तथा भारीपन को साफ करने के लिए आज कल जो केमिकल प्रयुक्त हो रहे हैं वे गुणवत्ताहीन है ? यदि हां, तो इसके सुधारने के प्रयास न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि आगरा शहर को होने वाली पेयजल आपूर्ति में कीड़ों युक्त और पीला जल पीने को नागरिकों को मिल रहा है जिससे पेट की बीमारियां हो रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इसका स्थाई प्रबन्ध करने में क्यों असफल हो रही है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी नहीं । आगरा जल संस्थान द्वारा मानक फर्मों से ही निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स के अनुरूप रसायनों की आपूर्ति लेकर आवश्यकतानुसार कच्चे जल में रसायनों को मिलाकर प्रयोगशाला में परीक्षण कर पीने योग्य पाये जाने पर ही शहर की जलापूर्ति की जाती है । किसी भी रोग से प्रभावित होने की कोई शिकायत नहीं है ।

उ0 प्र0 जल निगम मुख्यालय के क्षतिग्रस्त भवन पर अधिक व्यय दिखाकर की गई अनियमितता की जांच

49—श्री शारदानंद अंचल—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम मुख्यालय के क्षतिग्रस्त भवन पर 97.47 लाख रुपये व्यय दिखाकर भारी वित्तीय अनियमितता की गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी लोक निर्माण विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

प्रश्नगत मामले में जांच करायी जा रही है ।

उत्तर प्रदेश जल निगम स्वयं में एक तकनीकी विभाग है । अतः लोक निर्माण विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा इसकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री एस0 एच0 जहीर, सचिव (प्रशासन) उ0 प्र0 जल निगम के स्थानान्तरण की मांग

50—श्री हरवंश सहाय तथा श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री एस0 एच0 जहीर, सचिव (प्रशासन) उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ का गृह जनपद लखनऊ रखा गया है ? यदि हां, तो इन्हें किस आदेश/शासनादेश के अनुसार गृह जनपद में रखा गया है ? क्या उन्हें उनके गृह जनपद से तुरन्त स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां । श्री एस0 एच0 जहीर, तत्कालीन सचिव (प्रशासन), उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ का गृह जनपद लखनऊ है । श्री जहीर का स्थानान्तरण लखनऊ स्थित तृतीय मण्डल के

कार्यालय में किया जा चुका है । श्री जहीर को प्रशासनिक कारणों से लखनऊ जनपद में रखा गया है । अभी श्री जहीर के स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री आर0 के0 शर्मा अधीक्षण अभियंता, उ0 प्र0 जल निगम के एक वर्ष के भीतर स्थानान्तरण का कारण

51—श्री हरवंश सहाय तथा श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री आर0 के0 शर्मा, अधीक्षण अभियंता का स्थानान्तरण गत वर्ष सप्तम मण्डल, उ0 प्र0 जल निगम, वाराणसी से सुल्तानपुर किया गया था ? यदि हां तो पुनः एक वर्ष के अन्दर ही उनका स्थानान्तरण सप्तम मण्डल, उ0 प्र0 जल निगम, वाराणसी किये जाने का क्या कारण है ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

श्री आर0 के0 शर्मा, अधीक्षण अभियंता पुनः एक वर्ष के अन्दर स्थानान्तरण सुल्तानपुर से सप्तम् मण्डल, वाराणसी में प्रशासनिक कारणों से किया गया है ।

श्रम विभाग में कार्यरत मिडवाइफों को संस्तुत वेतनमान देने की मांग

52—श्री लक्ष्मीकान्त वाजपेयी—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रम विभाग में कार्यरत मिडवाइफों को समता समिति द्वारा संस्तुत वेतनमान प्रदान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहकारी आवास समितियों के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

53—श्री राम कुमार शुक्ल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-4-90 सहकारी आवास समितियों के संबंध में उनको मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां । पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई जा रही है ।

जनपद नैनीताल में 60 बिस्तर का अस्पताल खोलने की मांग

54—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि टनकपुर, जनपद नैनीताल की आवश्यकताओं को देखते हुए 60 बिस्तर का अस्पताल पूर्व मे स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त

अस्पताल का निर्माण सरकार यथाशीघ्र कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरीफिया लाल जुवांडा—

जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में आरक्षण पूरा करने की मांग

श्री फौजदार प्रसाद—

क्या हरिजन समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग का आरक्षित कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां । यह सही है कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधीन राजकीय सेवाओं में आरक्षित श्रेणी का कोटा उपयुक्त अभ्यर्थियों के अभाव में अब तक पूर्ण नहीं है । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के स्थायी कार्यों पर तैनात श्रमिकों के भविष्य निधि अंशदान जमा कराने के निर्देश

56—श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में स्थायी कार्यों पर तैनात लगभग 1123 श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर ने मुहैया कराकर भविष्य निधि के अंशदान की धनराशि नवम्बर, 89 से जमा करने के आदेश दिए है ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

सम्बन्धित संस्थान को, स्थायी कार्यों पर तैनात श्रमिकों के भविष्य निधि के अंशदान की धनराशि जमा करने के आदेश क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दिये जा चुके है । संस्थान ने सूचित किया है कि वे निर्देशों के अनुपालन हेतु कार्यवाही कर रहे हैं ।

जनपद नैनीताल के विकास के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही

57—डा0 दिनेश जोहरी—

क्या मुख्य मंत्री को रामनगर जनपद नैनीताल के विकास के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 21 जनवरी, 1990 का पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बरीफिया लाल जुवांडी—

सम्बन्धित विभागों की आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं ।

इलाहाबाद नगर महापालिका को कुम्भ मेला, विश्व बैंक योजना तथा सड़क मद के अन्तर्गत वर्ष 86 से 90 तक आवंटित धन तथा व्यय का ब्यौरा

58—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर महापालिका को कुम्भ मेला तथा विश्व बैंक योजना तथा सड़क मद के अन्तर्गत वर्ष 86-87, 87-88, 88-89 तथा 89-90 में कितना-कितना धन सड़क निर्माण हेतु दिया गया तथा कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण या मरम्मत नगर महापालिका द्वारा स्वयं या किसी दूसरी एजेंसी द्वारा कराया गया ? क्या कोई धन उपरोक्त योजनाओं में से शेष बचा है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

इलाहाबाद नगर महापालिका को कुम्भ मेला हेतु वर्ष 87-88 में रु0 1,00,00,000 तथा वर्ष 88-89 में रु0 6,89,00,000 स्वीकृत हुये थे। विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि स्वीकृत नहीं हुई। सड़क अनुदान के रूप में वर्ष 86-87 में कुल रु0 2,04,00,000 वर्ष 87-88 में रु0 99,00,000 वर्ष 88-89 में रु0 99,00,000 तथा वर्ष 89-90 में कुल रु0 1,24,00,000 स्वीकृत किये गये थे।

कुम्भ मेले के अवसर पर 43 सड़कों का निर्माण हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा कराया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्थानान्तरित 8 सड़कों का निर्माण भी हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा कराया गया। इसके अतिरिक्त पूरे नगर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सड़कों का निर्माण/मरम्मत कार्य आवश्यकतानुसार नगर महापालिका द्वारा स्वयं ही कराया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फैजाबाद की धुरिया उपजाति की अनुसूचित जाति के अन्तर्गत स्थिति

59—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में धरिया उपजाति पायी जाती है ? यदि हां, तो उसकी मल जाति क्या है ? और धुरिया उपजाति की संख्या जनपद में कितनी है ? क्या वह अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती है ?

श्री अवधेश प्रसाद—

प्रदेश में धुरिया जाति अनसूचित जाति घोषित नहीं है। फैजाबाद जनपद में धुरिया उपजाति तथा उसकी संख्या के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

बांदा जनपद के ग्राम कोरी खुर्द की विधवा श्रीमती रमदेइया को आर्थिक सहायता

60—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के विसंडा थाने के अन्तर्गत ग्राम कोरी खुर्द के एक हरिजन कार्यकर्ता श्री भैय्यादीन की हत्या 27-9-89

को कर दी गई थी ? क्या भैय्यादीन की पत्नी रमदेइया ने जिला अधिकारी बांदा को 19-3-90 को अपने उत्पीड़ित प्रताड़ित परिवार की सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता हेतु मांग की थी ? यदि हां, तो पीड़ित परिवार को अभी तक आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी गई ? आर्थिक सहायता कब तक दे दी जाएगी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

जी हां ।

जिलाधिकारी कार्यालय के अभिलेखों से प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता परन्तु इसकी सूचना थानाध्यक्ष विसण्डा की रिपोर्ट दिनांक 7-5-90 के अन्तर्गत दिनांक 8-5-90 को प्राप्त हुई ।

दिनांक 28-6-90 को प्रभावित परिवार को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अम्बेदकर छात्रावास चंदौसी, जनपद मुरादाबाद में पिछले 5 वर्षों में व्यय धनराशि का विवरण

6।—श्री करन सिंह—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बेदकर छात्रावास चंदौसी (मुरादाबाद) में पिछले पांच वर्षों में कितनी धनराशि रख-रखाव पर दी गई है और उस राशि का उपयोग किन-किन मदों पर किया गया ? क्या इस छात्रावास को सज्जा पर उपलब्ध व्यय राशि का कोई अभिलेख उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या उसकी सूची प्रस्तुत की जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद—

अम्बेदकर छात्रावास चन्दौसी, मुरादाबाद के रख-रखाव हेतु पिछले पांच वर्षों में रु0 66,254 दिया गया ।

उक्त धनराशि वेतन, समाचार-पत्र, किराया, साज-सज्जा मरम्मत व बदलाव तथा पंखा/फर्नीचर मदों में उपयोग हेतु दी गयी ।

जी हां, छात्रावास में उपलब्ध है ।

सूची प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान देव प्रयाग में गंगा नदी पर मोटरीम पुल निर्माण में विलम्ब के कारण

62—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के स्थान देव प्रयाग में गंगा नदी तट पर मोटरीम पुल निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा कब दी गई थी और इसके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी ? अब तक इस पुल के निर्माण में कितनी धनराशि खर्च की गयी है ? पुल निर्माण कब तक किये जाने की सम्भावना है ? इस पुल के निर्माण में विलम्ब के कारण क्या है तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री बरफिया लाल जुवांठा—

सितम्बर, 1978 में ।

मई, 1990 तक इस पुल के निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्यों पर 41.35 लाख रुपये की धनराशि खर्च हुई है ।

निश्चित तिथि बताना कठिन है ।

वर्ष, 1983-84 में निर्माण के दौरान अत्याधिक वर्षा के कारण पुल का दायां एबटमेन्ट प्रभावित हो गया था । अतः पूर्ण क्षेत्र तथा निर्माण स्थल का विस्तृत तकनीकी एवं जियालाजिकल परीक्षण कराने के उपरान्त सुरक्षात्मक कार्य जनवरी, 1989 में कराये जा सके । इन्हीं कारणों से पुल के निर्माण में विलम्ब हुआ ।

अपर श्रमायुक्त, गाजियाबाद द्वारा रोक के बावजूद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जांच की मांग

63—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री ने दिनांक 27-12-89 को सभी जिलाधिकारियों को तार भेजकर सभी विभागाध्यक्षों से कार्यालय स्टाफ की स्थिति की जानकारी मांगी थी और केवल अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाया था ? यदि हां, तो क्या उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद ने उक्त आदेशों की अवहेलना करके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित फार्मेसिस्ट होम्योपैथिक के पद पर दिनांक 9-1-90 को श्री राजेश कुमार तिवारी की नियुक्ति कर ली है ? यदि हां, तो उक्त श्रमायुक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

माननीय मख्य मंत्री जी के सचिव द्वारा प्रेषित टेलेक्स दिनांक 27-12-89 में इस आशय के निर्देश समस्त जिलाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को दिये गये थे कि केवल अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से भर्ती को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की भर्ती किसी भी स्तर पर न की जाय ।

गाजियाबाद में अपर श्रमायुक्त द्वारा फार्मेसिस्ट होम्यो0 के दो सामान्य रिक्त पदों के विरुद्ध एक पद पर श्री राजेश कुमार तिवारी की नियुक्ति हेतु दिनांक 9-1-90 को आदेश जारी किये गये । यह आदेश किन परिस्थितियों में किये गये, इसकी जांच की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद के उप श्रमायुक्त श्री के0 एल0 द्विवेदी तथा श्रम विभाग कर्मचारी संघ के बीच हुए समझौते को लागू किया जाना

64—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-1-89 को श्रम विभाग कर्मचारी संघ गाजियाबाद इकाई तथा उप श्रमायक्त श्री के0 एल0 द्विवेदी के मध्य कर्मचारियों की कुछ मांगों को लेकर समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते के अनुसार कर्मचारी संघ की किन-किन मांगों को पूरा किया गया है और किन-किन मांगों पर

अभी तक विचार नहीं हुआ है और क्यों ? कब तक पूर्ण समझौते को लागू कर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

जी हां । उप श्रमायुक्त, गाजियाबाद द्वारा नहीं बल्कि अपर श्रमायुक्त, गाजियाबाद द्वारा समझौता हुआ था ।

उक्त समझौते के परिपेक्ष्य में कर्मचारी संघ की कतिपय मांगों को अपर श्रमायुक्त, गाजियाबाद द्वारा पूरा किया जा चुका है और कतिपय मांगों पर उनके द्वारा यथासम्भव विचार कर यथोचित कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद गाजियाबाद के अपर श्रमायुक्त कार्यालय में विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत चयनित कर्मचारियों की संख्या

65—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप-श्रमायुक्त कार्यालय, गाजियाबाद में अलग-अलग श्रेणी के कितने पूरा हैं और उनमें से कितने अनुसूचित जाति के हैं ? शासन के विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत उक्त समय में कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी ?

श्री मोहम्मद आजम खां—

गाजियाबाद में उप श्रमायुक्त नहीं अपर श्रमायुक्त कार्यरत हैं । अपर श्रमायुक्त, गाजियाबाद क्षेत्र में वर्तमान समय में समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" में क्रमशः एक पद, 9 पद, 68 पद, 65 पद सृजित/स्वीकृत हैं । वर्तमान में अपर श्रमायुक्त, गाजियाबाद क्षेत्र में अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी तैनात नहीं है । समूह "ख" "ग" एवं "घ" में क्रमशः 1, 7 एवं 11 कर्मचारी अनुसूचित जाति के हैं । शासन द्वारा निर्देशित अनुसूचित जाति विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत उक्त समय में अनुसूचित जाति के किसी कर्मचारी की नियुक्ति अपर श्रमायुक्त, गाजियाबाद क्षेत्र में नहीं की गयी ।

जनपद बांदा के महुवा ब्लाक में पेयजल समस्या का निराकरण

66—सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के महुवा ब्लाक में विन्धवासिनी देवी बरई भानपुर में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए तथा करीब के गांवों की पेयजल की भीषण समस्या को देखते हुए पहाड़ पर पानी की टंकी बनवा कर पेयजल समस्या का निराकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक यह योजना शुरू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

जी हां ।

प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । धन की उपलब्धता के अनुसार योजना कार्यान्वित की जायेगी ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयी हैं :—

1—श्री मुईद अहमद जी, आपकी सूचना जनपद सुल्तानपुर के नांगवांतीर धाम में सम्पर्क मार्ग के निर्माण के संबंध में है ।

2—श्री बाबू लाल सरोज जी, आपकी सूचना प्रदेश के ग्राम विकास विभाग में भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों की प्रोन्नतियों के संबंध में है ।

3—श्री किशन गोपाल जी, आपकी सूचना जनपद खीरी के थाना पसगंवा की पुलिस द्वारा महिला के साथ बलात्कार के संबंध में है ।

4—श्री सुबास जी, यह उपस्थित नहीं है ।

5—श्री लक्ष्मी कान्त वाजपेयी जी, आपकी सूचना जनपद गाजियाबाद के पिलखुआ में फौजी की नृशंस हत्या के संबंध में है ।

6—श्री सन्त श्रीराम द्विवेदी जी, यह उपस्थित नहीं है ।

7—श्री मनोहर लाल जी, आपकी सूचना जनपद उन्नाव के विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

दो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं इसलिये प्रतीक्षा सूची से श्री हनुमन्त सिंह जी की सूचना जो कि जनपद गोण्डा की बलरामपुर तहसील में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ली जा रही है ।

(श्री अमरमणि द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

मुझे बड़ा कष्ट है नियम 301 के बारे में, मैं समझता हूं कि हर सदस्य को मालूम होगा कि शलाका में सूचनाएं आ जाती हैं तो फिर हम उसे क्यों न लें ? ये सूचनायें पढ़ी हुई मानी जाय ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

जनपद सुल्तानपुर के नांगवांतीर ग्राम में सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुईद अहमद—

[मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के अविलम्बनीय लोकमहत्व का मामला ग्राम नांगवांतीर जो पुल के अभाव में टापू बना है को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं—

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत कड़वार से ग्राम नांगवांतीर तक एक सड़क लगभग दो वर्ष पूर्व से बनी है परन्तु ग्राम नांगवांतीर के किनारे गोमती नदी के कारण उक्त ग्राम का सड़क से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है । इस पुल के अभाव में गायघ बाजार के कड़वार बाजार तक 25 ग्रामों का सम्पर्क टूटा हुआ है । जिससे 25 ग्राम वासियों का सम्पर्क सड़क से नहीं हो

नोट —[ ] यह अंश पढ़ा हुआ समझा गया ।

पा रहा है तथा मायम व कुंडवार की लगभग 10 हजार की आबादी के दर्जनों ग्रामों को इस पुल निर्माण से सुविधा मिलेगी ।

अतः कुंडवार से नौगवांतीर के सड़क, जिसका निर्माण हो चुका है, पर पड़ने वाले नदी पर पुल का निर्माण कराने हेतु सदन के संज्ञान में लाने की आज्ञा प्रदान करें ।]

प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग में भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों की प्रोन्नतियों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूलाल सरोज—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं । ग्राम्य विकास के भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों की प्रोन्नति हेतु 10-5-88 को कार्यकारी आदेश बिना मंत्री के हस्ताक्षर के निर्गत हुए जिससे 7 अधिकारी प्रोन्नत हुए । प्रायः कार्मिक विभाग द्वारा प्रोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक इसलिए समाप्त की जाती थी कि पहले कार्यकारी आदेशों में संशोधन करवाया जाय तभी चयन समिति में विचार हो । अतएव उक्त कार्यकारी आदेश के संशोधन हेतु मंत्री के अनुमोदन से पत्रावली नियमावली रोल (कार्मिक) भेंजी गयी । 4-4-90 को पत्रावली कार्मिक विभाग से अनुमोदनोपरान्त आने पर मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित की गयी ।

मुख्य सचिव के "ब्रेन स्टालिंग" आदेशों के तहत सचिव, क्षेत्रीय विकास द्वारा अधिकारियों के प्रोन्नति/नियमितीकरण हेतु विभागीय चयन कमेटी की बैठक 26-4-90 तथा 28-4-90 पूर्व की भांति रखी गयी । बैठक में सन्दर्भ हेतु पत्रावली मंत्री जी के कार्यालय से मंगाई गई । संशोधित कर्प्यकारी आदेश पूर्व मंत्री द्वारा अनुमोदित होने के कारण शासनादेश निर्गत कर दिया गया । नियुक्त सचिव द्वारा अनमोदित 26-4-90 की चयनित सूची पर अभी तक मन्त्री जी की कार्योत्तर स्वीकृति नहीं मिली है । यदि उपर्युक्त आदेश निरस्त होंगे तो वर्ष 1988 में हुआ चयन भी निरस्त करना पडेगा, क्योंकि उस पर भी पूर्व मंत्री के हस्ताक्षर नहीं थे जबकि 25-4-90 को हुए कार्यकारी आदेशों पर पर्व मंत्री के हस्ताक्षर है । विधिक कठिनाइयों से बचने हेतु 26-4-90 के चयनित अधिकारियों के आदेश निर्गत किये जायं ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस विषय पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जाय ।]

जनपद खीरी के थाना पसगवां की पीलस द्वारा असलपुर जांच की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन गोपाल—

[मान्यवर, जनपद खीरी, थाना पसगवां, गांव असलपुर में तलाशी के बहाने घर स्वामी की अनुपस्थिति में एक थानेदार व 5 सिपाहियों ने घर स्वामी की पत्नी के साथ सामहिक बलात्कार विरोधी पार्टी के इशारे पर किया तथा स्थानीय अधिकारियों ने उसकी एक न सुनी अन्त में, उसने लखनऊ आकर उप महानिरीक्षक श्री एस0 के0 मिश्रा से अपनी आप बीती सुनाई ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की और महिलाओं पर अत्याचार रोकने को प्रभावी कदम क्या उठा रही है ?]

जनपद गाजियाबाद के थाना पिलखुआ में एक फौजी की नृशंस हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

[मान्यवर, मिलिटरी में सेवारत श्री जियालाल ई0 एक्स0-1293796 (गनर) (सफाईवाला) ए0-27 मीडियम आर्टीलरी फरीदकोट छुट्टी पर अपनी ससुराल गांव शाहपुर, फगौता थाना पिलखुआ गाजियाबाद अपनी पत्नी को बिदा कराने आया हुआ था ।

दिनांक 29 जून को जियालाल अपनी ससुराल के गांव से दो कि0 मी0 दूर गांव कमालपुर रिश्तेदारी में गया हुआ था, तब वहां 29/30 जून की रात्रि में कमालपुर गांव के निवासी फारूख, फेजल, डा0 अफाक, अब्दुल करीम, दुहन खां, (ग्राम प्रधान) नूर मोहम्मद तथा दहेवा गांव के प्रधान मंजूर व भू0 पू0 प्रधान मसी उल्लाह जियालाल को उसके सम्बन्धी तेजपाल वाल्मीक के घर से पकड़ कर ले गये और उसकी हत्या कर दी और सुबह लाश खेत में पड़ी मिली । पुलिस ने इस मामले में अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की बल्कि उनके साथ मिलकर पंचायत नामें में इन्हीं मुल्जिमों के दस्खत कराये ।

इस घटना से पूरे क्षेत्र के हरिजनों में व्यापक उत्तेजना है तथा साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा है ।

अतएव अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन को संज्ञान में लाते हुए मुल्जिमों की गिरफ्तारी, लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद उन्नाव के विद्यालयों में छात्रों को प्रवेश न मिलने से जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोहर लाल—

[मान्यवर, पूरे प्रदेश में विद्यालयों के खुल जाने के बाद छात्रों के सामने प्रवेश की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है । इस समस्या के उत्पन्न होने का कारण नये विद्यालयों की स्थापना न होना तथा विद्यालयों में नये संवर्गों का न खोला जाना है । विशेष रूप से उन्नाव जनपद के छात्रों के सामने प्रवेश की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है, उन्नाव राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य ने जनपद के जिला परिषद के स्कूलों से कक्षा 8 पास विद्यार्थियों को 9वीं कक्षा में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है । अन्य विद्यालयों में प्रवेश के नाम पर अनेक नकली गरीब छात्रों के सामने प्रवेश पाने में बहुत बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हो गया है । कमिश्नरी लोग आंख बन्द किये बैठे हैं जिससे इस समस्या से छात्रों में गम्भीर रोष व असंतोष व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से इस समस्या के शीघ्र निदान करने की मांग करता हूं ।]

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गोण्डा जिलान्तर्गत बलरामपुर तहसील में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हनुमन्त सिंह—

[मान्यवर, तहसील बलरामपुर जनपद गोण्डा की 70 प्रतिशत आबादी राप्ती नदी एवं पहाड़ी नालों से घिरा है । लगातार वर्षा होने के कारण राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है । बलरामपुर एवं तुलसीपुर तहसील में राप्ती नदी के द्वारा तेज गति से कटान एवं दिशा परिवर्तन से अनेक गांव जैसे ज्योनार, ठाढरी, जमाली जोसी, बराव, ढलवा, तुलसान जोत, बला, डकहा मदारा बला, मिर्जापुर, आवर, समरहा, भाहना, रुम्पुर, कल्या सीरया, गंगाबन्ध, भागू आदि सैकड़ों गांव पानी से जलमग्न है । सैकड़ों घर गिर गये हैं । तथा लाखों रुपयों की फसल की क्षति हुई है । बलहा गांव मार्ग राप्ती नदी के पट में आने के कारण सैकड़ों गांव बाढ़ से डूब गये हैं जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है । किसानों के लाखों रुपये के फसल की क्षति हो चुकी है ।

बलरामपुर कस्बे में नई बस्ती तथा पहलवारा में पानी घुस आया है बलरामपुर नगर भी सुरक्षित नहीं है बलरामपुर शहर की सुरक्षा हेतु जो बांध पहले बने थे वह टूटने की स्थिति में है । बलरामपुर नगर असुरक्षित है । लोगों में भय व्याप्त है ।

कृपया इस अविलम्बनीय लोक महत्व विषय पर कार्यवाही कराने का कष्ट करें ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 में श्री सत्य प्रकाश विकल जी की एक सूचना प्राप्त हुई है तारांकित प्रश्न संख्या 13 के बारे में कि इसको इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि 22 जून, 1990 को यह प्रश्न उत्तरित हो चुका है और उत्तरित प्रश्न में मा0 विकल जी का नाम जोड़ना चाहिये था । आपका कहना है कि जो प्रश्न पहले था उसमें उनका नाम भी आना चाहिए था, यह बतलाया है ।

*श्री सत्य प्रकाश विकल—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे औचित्य के प्रश्न की सूचना में तारांकित प्रश्न सं0 13 की बात जो है कि 22 जून को उत्तरित बतलाया गया है उसमें और मेरे प्रश्न में मौलिक अन्तर है । आप कृपा करके 22 जून के एजेण्डा को देखें उसमें 19वें नम्बर का प्रश्न माननीया सरस्वती तिवारी जी का है जो कि जनपद अल्मोड़ा के बारे में पूछा गया है ।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप तारीख को ठीक कर लें, यह 22 तारीख नहीं बल्कि 21 तारीख है ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मेरा प्रश्न उत्तरित नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय विकल जी, ऐसा है कि आप इसके लिये जब मैं अपने कक्ष में जाऊं, तब आप वहां पर आ जाइयेगा, हम इसकी कार्यवाही मंगा कर देख लेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इस संबंध में आपका संरक्षण चाहता हूं कि इस प्रश्न को प्राथमिकता के आधार पर ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कक्ष में आ जाइयेगा, मैं प्रश्न को मंगवा कर देख लूंगा । अब दूसरी सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी की है प्रश्नों के उत्तर प्राप्त न होने के संबंध में । मैंने इस संबंध में अभिलेख सचिवालय से मंगवाये हैं उसमें यह सूचना लगी हुई है कोई मनोहर लाल के उस पर हस्ताक्षर हैं जिन्होंने उसे प्राप्त किया है । इसमें कठिनाई है कि यदि माननीय सदस्य के कमरे में इस सचिवालय का कोई व्यक्ति जाता है, और वह व्यक्ति कहता है कि कागज हमें दे दीजिये, तो यह स्वाभाविक है कि वह कमरे में दे देगा । इसलिए यह अस्वीकार है । ईश्वर शरण विद्यार्थी की सूचना मारपीट के सम्बन्ध में है । इसका नियम 300 से कोई सम्बन्ध नहीं है । अगली सूचना श्री इम्तियाज मोहम्मद खां की है, नियम के अन्तर्गत नहीं है । इसका निर्णय अध्यक्ष के विवेक पर होता है । इसलिए यह अस्वीकार है ।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, जब कोई बात कही जाती है, तो वोटिंग की चर्चा होती है । नेताओं को बुलाकर तय किया गया था, कि प्रश्नों के समय किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न किया जाये और मंत्री जी स्पष्ट उत्तर दें । मैंने प्रश्न किया था, झांसी में पेयजल की समस्या है, इसको समाप्त करने हेतु क्या प्रयास किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप क्या चाहते हैं । मैं वही पूछ रहा हूं । आप प्रश्न और उसके उत्तर में बतावें । क्या आपको उत्तर सही नहीं मिला ?

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर सही नहीं आया और पीठ हवारा अगला प्रश्न ले लिया गया । ऐसा ही वर्मा जी का है, कि यमुना के जल का कब तक परीक्षण करा लिया जायेगा, तो उसका भी उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—

आप इसका निर्णय सुन लें । अगर पीठ को इस बात का विश्वास हो गया कि कहीं उत्तर आ गया, तो उसको अधिकार है कि दूसरे प्रश्नकर्ता को बुला ले । यदि आप सन्तुष्ट नहीं हैं तो आपके सामने दूसरा रास्ता है, नियम 49 में उठावें कि प्रश्न का उत्तर नहीं आया, जो नियम है, वही तो आप करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मैं नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की मांग करता हूं ।

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

(श्री पंचानन राय एवं श्री ईश्वरशरण विद्यार्थी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें । 311 में माननीय पंचानन राय जी आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । विद्यार्थी जी की दूसरी सूचना है, इसके बारे में 9 जुलाई को पूरा वक्तव्य हो गया है, इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

बिना अनुमति के न बोलें ।

श्री पंचानन राय—

बड़ा गम्भीर है ।

श्री अध्यक्ष—

311 में अस्वीकार है ।

श्री पंचानन राय—

आप नियम 56 में ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

सदन समाप्त नहीं हो रहा है, सोमवार को दे दें ।

श्री सुबाष—

मान्यवर, मैंने नियम 301 में दिया था और मैं मौजूद था । मेरा नाम नहीं बोला गया ।

श्री अध्यक्ष—

आपको उसी के बाद उठाना चाहिये था, लेकिन अब आप आये हैं । ठीक है, विचार कर लिया जायेगा ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें से निदेश संख्या 15 के अनुसार 10 सूचनायें चयनित की गई हैं जो इस प्रकार हैं— पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम कुमार शुक्ल, श्री किशन गोपाल तथा श्री दौलत राम की, दूसरी श्री अनिल कुमार भारद्वाज की, तीसरी श्री मुईद अहमद, श्री रणजीत सिंह जूदेव, श्री भोला पाण्डेय तथा श्री अमरमणि की, चौथी श्री प्रमोद कुमार, श्री बाल चन्द्र मिश्र, श्री

प्रधानी राम रथी श्री मकसी सिंह को, छठा श्री पदमाकांत पीपरथी को, सातवां श्री देवेन्द्र कुमार सिंह को, आठवां श्री राज किशोर सिंह को, नवां श्री श्याम नारायण तिवारी तथा श्री अमरमाण का और 10वीं श्री उदल की है । अब मैं पहली सूचना ले रहा हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

माननीय, मैंने जो सूचना दी है, बांदा जनपद में . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय पंचानन जी, आप विद्यार्थी जी को समझा दें । मैंने बता दिया है कि आपकी सूचना से सम्बन्धित मामले पर 9 तारीख को पूरा वक्तव्य आ चुका है । नहीं आया हो तो दुबारा ले लिया जायेगा । आप देख लें ।

श्री देव कुमार यादव—

मैंने इस विषय में नियम 51 में दिया है, उसको भी इसी में जोड़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

जब नियम 51 में निर्णय होगा तब होगा या अभी होगा ।

श्री देव कुमार यादव—

माननीय, आप वक्तव्य के लिये कह रहे हैं . . . .

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 पर सभी सूचनाओं पर मैं 2 बजे अपने कक्ष में निर्णय लेता हूं । जो सूचना 51 की है उसको मैं 56 में कैसे ले लूं । जब 51 में विचार होगा तब आपकी सूचना आयेगी । कृपया बैठ जायें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, जिस गम्भीर समस्या को आपके माध्यम से यह प्रस्ताव लाकर मैंने ध्यान आकृष्ट किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है । आज प्रदेश में कोई शहर, कोई जिला, कोई कस्बा नहीं है जहां पर भारी संख्या में छात्र/छात्रायें सड़कों पर न घूम रहे हों । मुख्य रूप से उन्हें प्रवेश न मिलने के कारण और मुख्यता ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थी और छात्रायें इससे परेशान हैं । जो शिक्षा नीति इस समय प्रदेश में चल रही है उससे गरीब के पैसे से अमीर पढ़ रहे हैं । इस सरकार ने इंटरमीडियेट तक की शिक्षा की माफी की घोषणा की । इसके साथ ही साथ सरकार को यह भी घोषित करना चाहिए था कि कोई भी लड़का जो कि पढ़ने का इच्छुक है उसका किसी भी विद्यालय में एडमिशन रिफ्यूज नहीं होगा और प्रत्येक बच्चे को जिस कक्षा में भी वह प्रवेश लेना चाहता है, उसे प्रवेश मिलेगा । आज स्थिति यह है कि विद्यार्थी खुले आकाश के नीचे बैठते हैं । वह गरीब लोगों के बच्चे हैं और इनकी तुलना में जो मांटेसरी स्कूलों के बच्चे हैं जब वे कक्षा 6 में, 9 में या 11 में आते हैं तो कम्पीटिशन में ये गरीब बच्चे नहीं निकल पाते हैं । इन कम्पीटिशन

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

में घूरे-मगरे लड़के नहीं लिये जाते । यह परिपाटी रही है कि ऐसी स्थिति में शासनादेश जारी कर दिया जाता है कि किसी भी कक्षा में जो छात्र संख्या है उसको बढ़ा दिया जाता है । परन्तु अभी तक इसके बारे में सरकार ने घोषणा नहीं की । इसका परिणाम यह है कि लड़के सड़कों में घूम रहे है । आज आवश्यकता इस बात की थी कि कक्षा में अधिकतम संख्या पर रोक हटा दी जाती और किसी भी कक्षा में किसी भी वर्ग में जिसमें विद्यार्थी चाहता, वह दी जाती । जिसका परिणाम यह होता कि सीमित साधनों के होते हुये भी, उसी फर्नीचर और टाट-पट्टी पर, जितनी वहां व्यवस्था है उनको प्रवेश मिल जाता । परन्तु ऐसा नहीं हुआ इसका परिणाम है कि आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है । दुख इस बात का है कि जो जगह-जगह मांटेसरी स्कूल खुल रहे हैं वह इसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार ने प्राइवेट बैठाने की इजाजत दे रखी है तो 50-50 और 100-100 रुपया लेकर वह मजबूर कर रहे हैं ।

मैं कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं क्योंकि यह सवाल नीति संबंधी है किसी घटना विशेष या जिला विशेष से संबंधित सवाल नहीं है पूरे प्रदेश की शिक्षा नीति का सवाल है । क्या सरकार कोई निर्णय लेगी कि कोई बालक गांव से जो आता है या शहर का है उसे कक्षा 6 में, कक्षा 9 में या कक्षा 11 में एडमीशन रिफ्यूज नहीं होगा । मेरी पार्टी का यह निश्चित मत है कि प्रत्येक बालक, बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का जन्म सिद्ध अधिकार है तो इसको ध्यान में रखकर सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि प्रत्येक बच्चे को एडमिशन मिल सके । अन्यथा आज एडमिशन न मिलने के कारण चारों तरफ हा-हाकार मचा हुआ है । मैं अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि इस पर तत्काल के बजाए दो घंटे की चर्चा कराए है ताकि सदन पर स्पष्ट विचार आ जांय कि सरकार इसकी गारंटी लेती है या नहीं लेती है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्याण सिंह जी उस दिन यह निर्णय हुआ था कि एक सदना पर यदि दूसरी सदना भी वही है तो उस सदना पर दल का एक ही सदस्य बोलेगा । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें नाम और भी हैं आपके दल के सदस्यों के तो आप उनको बता दें कि ग्राह्यता पर बोलने के लिये खड़े न हों ।

*श्री कल्याण सिंह—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है मैं अपने दल के सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर रहा हूं कि इस पर और कोई बोलने के लिये खड़ा न हो लेकिन आपसे अनुरोध करूंगा इस पर आप जैसा गुप्ता जी ने कहा दो घंटे की चर्चा स्वीकार करा दें क्योंकि यह नीतिगत विषय है, पूरे प्रदेश का मामला है । जब चर्चा होगी तो सबको बोलने का अवसर मिल जायेगा इस समय केवल माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी बोले है आपकी आज्ञा के अनुसार लेकिन आप मेरे अनुरोध को स्वीकार कर 2 घंटे की चर्चा करा दें । क्या आप इस पर तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इस पर अभी निर्णय दे रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

शिक्षा मंत्री जी खड़े हो रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बाद में बोलेंगे शाहजता पर ।

*श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

मान्यवर, इस कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैं शासन का ध्यान जनपद रामपुर में ही नहीं वरन प्रदेश के कई जिलों में आई भीषण बाढ़ से हुई तबाही की ओर दिलाना चाहता हूं । जनपद रामपुर में सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण इस समय भीषण बाढ़ आई हुई है । सिंचाई विभाग ने कैमरी डैम से 60 हजार क्यूसेक फीट पानी छोड़ दिया जिसके कारण भंकर बाढ़ आई हुई है जो 1924 के बाद पहली बार इतनी बाढ़ आई है । इस बाढ़ के कारण रामपुर में भीषण तबाही मची हुई है वहां की 5 तहसीलों में भयंकर बाढ़ के कारण लगभग 6 सौ गांव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं और हजारों घर टूट गये हैं इसके अलावा लगभग 10 लोगों की जाने गयी है एक टैंकर पानी के प्रवाह में बह गया और एक गाड़ती कार आठ किलो मीटर बह गयी है । चारों तरफ जाने वाली सड़के कट गयी है रामपुर राजमार्ग तथा नैनीताल जाने वाले सारे रास्ते बंद हो गये हैं जिसके कारण रामपुर होते हुये जो पर्यटक नैनीताल गये थे वह नैनीताल में फंस गये हैं और वहां जा नहीं पा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त सदन में बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने अभी कहा और जनपद से सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया अभी तक सरकार की ओर से कोई भी कार्यवाही इस संबंध में नहीं की गयी है और कोई सहायता बाढ़ पीड़ितों की नहीं की गयी है । मैं आपसे चाहूंगा कि इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की सारी कार्यवाही रोक कर चर्चा स्वीकार की जाय क्योंकि इस प्रदेश में भयंकर बाढ़ आई हुई है और सरकार ने उसे रोकने के लिये कोई प्रयास नहीं किया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप तो चर्चा कर रहे हैं, दो मिनट शाहजता पर बोल सकते हैं ।

श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

मैं चाहूंगा कि इस पर चर्चा स्वीकार कर ली जाय ।

*श्री मुईद अहमद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह सरकार व्यवस्था परिवर्तन की तरफ चली है लेकिन मैं इसके भ्रष्ट कारनामों के संबंध में बताना चाहता हूं कि जल निगम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि यदि इसको रोका नहीं गया तो यह विभाग बर्बाद हो जायेगा । मान्यवर, इस समय हरिशंकर चौरसिया जल निगम के कार्यकारी निदेशक/एम0 डी0 बनाये गये हैं जबकि इस पद को पदोन्नति से नहीं भरा जा सकता है । इसके स्थान पर शासन की चयन समिति ने दूसरे मुख्य अभियंता को चुना था लेकिन उनको यह पद न देकर चौरसिया से काम कराया जा रहा है उनके खिलाफ विजीलेन्स की जांच चल रही है, फ्रीजिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि इन्होंने फर्जीवाड़े में जमीन खरीदने में घपला किया और गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 26 लाख रुपये का घपला पाईप लाईन खरीदने में पाया गया था । इसके अलावा इन्होंने अपना मकान बनाकर एक दफ्तर को ऊंचे किराये पर दे रखा है ।

---

*अध्यक्ष ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

इनके खिलाफ विजीलेन्स ने 20-22 आरोप लगाकर जांच रिपोर्ट भेज दिया है लेकिन फिर भी यह कार्यकारी निदेशक/एम0 डी0 बने हुए हैं और जिसको चुना गया था उसको एम0 डी0 नहीं बनाया गया ।

मान्यवर, इसी तरह एम0 सी0 गुप्ता के बारे में भी स्क्रीनिंग कमेटी ने लिखा था कि इन्हें रिटायर कर दिया जाये चूंकि इनके खिलाफ सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे किन्तु इन्हें भी पदोन्नति दे दी गयी है और मुख्य अभियंता बना दिया गया है । इसके अतिरिक्त श्री एन0 एस0 माथुर, जे0 पी0 गुप्ता, पी0 सी0 गर्ग आदि पदोन्नति पाने योग्य नहीं हैं लेकिन फिर भी कार्यकारी मुख्य अभियंता बना दिया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य कई लोगों को वहीं प्रोमोट कर दिया गया है जबकि उनके खिलाफ भी रिपोर्ट है कि प्रोमोट न किया जाये ।

मान्यवर, सदन को मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 30 अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंताओं को एक साल में हटाकर भ्रष्ट अधिकारियों को सुयोजित करने की कार्यवाही की गयी है । इसी तरह 65 अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं को 3 साल में हटाकर उन्हें पोस्ट किया गया है जिनके खिलाफ रिपोर्ट है कि उन्हें अच्छी पोस्ट न दी जाये । इसी तरह श्री दयाल, मुख्य अभियंता जो रिटायर हो गये हैं, वह अपना चार्ज नहीं दे रहे हैं और सरकारी कार वह अपने पास रखे हैं और मंत्रियों से मिलने जाते हैं । मान्यवर, इस तरह जल निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है जो सरकार की मिलीभगत से हो रहा है । मान्यवर, एम0 डी0 का पद पदोन्नति से नहीं भरा जा सकता है क्योंकि जल निगम के अधिनियम, वाटर सप्लाई एक्ट 1975 के अधीन एम0 डी0 का पद पदोन्नति से नहीं भरा जायेगा, प्रावधान है । इसके अतिरिक्त एक अधीक्षण अभियंता श्री सिंह को सस्पेंड किया गया लेकिन 15 दिनों बाद फिर उन्हें नियुक्त कर दिया गया । इस तरह जल निगम में भ्रष्टाचार व्याप्त है और करोड़ों रुपये का घपला हो रहा है । मान्यवर, मंत्री जी पर मेरा खुला आरोप है कि भ्रष्ट तरीके से सर्वोच्च पदों पर बिठाकर जल निगम को वह बरबाद करना चाहते हैं । और इस प्रकार यह भ्रष्टाचार का स्पष्ट कार्य है. मेरा अनुरोध है कि आप सारे मामले रोक कर इस पर चर्चा करा देने की कृपा करें ।

(श्री भोला पाण्डेय के खड़े होने पर)

व्यवधान

श्री अध्यक्ष—

देखिए एक दल से दो आदमी नहीं बोल पाएंगे, आप बैठें . . .व्यवधान आपके जनपद का मेल है, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता है, आप बैठिये । सदन या तो निर्णय कर दे कि सारे नियमों का उल्लंघन कर कांग्रेस पार्टी को छूट है, तो मैं वैसे चलूं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही संघर्ष करके हम लोग सत्ता में आए हैं... (व्यवधान) ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

यह उचित नहीं है । इनको आप बोलने दीजिए । इसकी एक मर्यादा है उसका आप पालन करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

इनको यह सब न करके, साहसी के साथ हमारी बात सुनानी चाहिए । माननीय मुईद अहमद उस मंत्रिमंडल के सदस्य थे, जिस भ्रष्टाचार के कारण जनता ने उखाड़ फेंका और हमको यहां बिठाल दिया । मान्यवर, आपने मुईद अहमद को ठीक टोंका, अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सम्मान होता है । वह इस सदन के सदस्य नहीं होते हैं । उनका नाम लेकर, उन पर यहां आरोप नहीं लगाना चाहिए । मुईद अहमद तो फिर मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, मैं उनसे इस तरह के व्यवहार की आशा नहीं कर सकता हूं । पदोन्नति के लिए चयन की एक प्रक्रिया है, उसमें कोई कमी हुई होती तो ये अधिकारी लोग न्यायालय में चले गये होते, वे मुईद अहमद के पास विधान सभा में उठवाने के लिए न आते । चयन की एक प्रक्रिया है और वह उसमें मामला उठा रहे हैं । उनको विशेष रूप से मालूम होगा कि चयन की एक प्रक्रिया होती है, उसी अनुसार यह चयन होता है । रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार का अनुभव आपको ज्यादा है, मैं तो अभी-अभी आया हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

भोला पान्डेय जी, आप बैठिये । आपके लिए अवसर नहीं है ।

श्री भोला पाण्डेय—

यह चयन प्रक्रिया की बात करते हैं, इसमें भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हुआ है (एक कागज दिखाते हुए) मैं इसको आपके पास भेज रहा हूं, आप देखेंगे कि इसमें किस तरह घपला हुआ है ।

*श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, जब से यह सरकार आई है हरिजनों का उत्पीडन और उन पर गम्भीर जुल्म की तमाम घटनाओं में दिन पर दिन द्रुतगति से वृद्धि हो रही है । इसी क्रम में गत 4 जुलाई को ग्राम—बम्हनी (अरण्डा), थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर देहात निवासी नेकराम के खेत में दिनेश यादव ने अपने जानवरों से फसल को जबरदस्ती चरवा लिया । जब उसने मना किया तो उसकी पत्नी मन्नी देवी और बेटी को मारा । उसके बाद में उन लोगों ने उन्हें ले जाकर एक कमरे में बन्द कर दिया और यही नहीं किया बल्कि इन लोगों ने मकान में उसके गुप्तांग में लाठी घुसेड़ दी जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई । यह इस सरकार की करनी है । सबसे बड़ी शर्मनाक बात इस सरकार के लिए यह है जब उस पीड़ित हरिजन ने अपनी रिपोर्ट लिखानी चाही, तो उसे थाने से भगा दिया गया । बाद में बड़ी मुश्किल से बिल्हौर थाने में उसकी रिपोर्ट लिखी गई । जो उसकी थाना में एस0 ओ0 की रिपोर्ट थी, उसकी एक लाईन में आपके सामने पढ़े दे रहा हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिससे असलियत सामने आ जाएगी । उसमें कहा गया है—मजलूमा के गुप्तांग में चोट है, अतः इसका मुआयना किया जाए । पहले तो यह बड़ी दर्दनाक घटना है, जिससे सरकार का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए ।

इसको मान्यवर, आप देखेंगे कि जब इनके नेता यहां मुख्य मंत्री थे तो माया त्यागी जैसा जघन्य काण्ड हुआ था और आज उनके प्रधान मंत्री के समय में मुन्नी देवी के साथ इस तरह का घृणित कार्य हुआ है । इस काण्ड के पीछे अपराधियों के सहयोगी कुछ केन्द्रीय मंत्री हैं. . . (व्यवधान) वह सत्ता के बहुत करीब हैं, इसीलिए उन्हें संरक्षण देने का कार्य किया गया है । जब से हरिजन महिला के साथ यह अमानवीय कृत्य हुआ है, वह दर दर की ठोकरें खा रही है, किन्तु उसे कोई न्याय नहीं मिला है । यह लोकमहत्व का प्रश्न है और इससे यह और भी लोकमहत्व का हो जाता है कि इसमें सत्ता के मठाधीश शामिल हैं । नियम 56 में महत्ता के मामले में इससे महत्वपूर्ण कोई अन्य प्रश्न नहीं हो सकता है । मेरा खुला आरोप है कि अगर आप उस पर चर्चा करा दें तो मेरे पास ऐसे सबूत हैं जिससे यह सरकार बेनकाब हो जायेगी । मान्यवर, जिन्होंने भी यह अमानवीय कृत्य किये वह सत्ता में बैठे हुए लोगों के बहुत करीब हैं । और वे वो लोग हैं जिन्होंने चुनाव में खुलकर उनका प्रचार किया है । मान्यवर, उस हरिजन महिला के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ. . .

श्री अध्यक्ष—

यदि यह अविलम्बनीय है तो दूसरे को इस पर बोलने दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, अभी आपने पांच मिनट का समय दिया है बोलने के लिए । अभी तो मुझे बोलते हुए सिर्फ डेढ़ मिनट हुआ है । मान्यवर, यह हरिजनों पर अत्याचार की ऐसी कहानी है जिसे जितना रोकने की कोशिश की जायेगी वह उतना ही उभर कर सामने आयेगी । मान्यवर, इसीलिए मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष—

बालचन्द्र जी बोल लें । उन्हें भी आप सुन लें ।

श्री बालचन्द्र मिश्रा—

मायवर, कानपुर देहात में बिल्हौर थाने के एक गांव में लोम हर्षक कांड हुआ है । नेकराम हरिजन के लहलहाते मक्के के खेत में बहादुर यादव नाम के एक व्यक्ति ने पशुओं से फसल को चरा दिया । जब उसने शिकायत की तो उसकी पत्नी और उसकी जवान बेटी दोनों को कमरे में बन्द करके अमानवीय कृत्य किया, पिटाई की । मान्यवर, इतनी शर्मनाक घटना हुई जिसे कहते मुझे संकोच हो रहा है कि उस महिला के गुप्तांग में लाठी डालकर बाहर ले जाकर पटक दिया । नेकराम जब चौकी में शिकायत करने गया तो वहां के सिपाही ने उसकी पिटाई कर दी और अजब सिंह यादव, थानाध्यक्ष ने इस केस की लीपापोती करने का पूरा प्रयास किया । बहादुर यादव का कहना है कि उसकी बड़े-बड़े नेताओं से रिश्तेदारी है, संबंध है और वह नेकराम के परिवार को नेस्तनाबूद कर देगा । मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी की नीयत पर कोई शंका नहीं है । लेकिन एक जाति विशेष

के लोगों के मन में यह बात उभरने लगी है कि इस तरह का अपराध करने पर उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा । इसलिए माननीय, इस लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर एक घंटे की चर्चा करायी जाय ।

*श्री मोती लाल दहेलवी—

मान्यवर, यदि माननीय सदस्यों ने इस घटना को सही रूप में प्रस्तुत किया होता तो मुझे बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, सत्ता पक्ष की तरफ से कार्यस्थगन का प्रस्ताव नहीं दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

यह बात आ चुकी है । यह माननीय सदस्य के क्षेत्र का मामला है । यदि वह बोले और उनको यह अच्छा नहीं लगा तो आप स्वयं क्यों खड़े हो गये ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, सरकार के खिलाफ कार्य-स्थगन को स्वीकृति आप दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी बात सुन रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर ग्राह्यता के संबंध में सत्ता पक्ष की तरफ से यदि कुछ कहा जा रहा है तो इससे स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष इससे सहमत है ।

श्री अध्यक्ष—

आप ग्राह्यता पर बोल रहे थे । माननीय सदस्य यदि खड़े हो गये और उन्होंने बोलने का आग्रह किया तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, इस आग्रह का ध्यान इधर भी रखिएगा ।

श्री अध्यक्ष—

अगर किसी माननीय सदस्य के क्षेत्र की बात होगी और वह कहना चाहेंगे तो उनको पीठ की सहायता के लिए सुना जाएगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं तिवारी जी की बात से सहमत नहीं हूं दहेलवी जी बोले इस पर भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैं तीसरी ही बात कहना चाहता हूं । इस मामले में सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों ने भी कार्य-स्थगन का प्रस्ताव रखा है, जब सत्ता पक्ष के मा0 सदस्य भी कार्यस्थगन का प्रस्ताव रखते हैं तो उसमें गंभीरता बढ़ जाती है, उस पक्ष के लोग भी इसकी गंभीरता से सहमत हैं, तो इसमें प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि इस महत्वपूर्ण और अति गंभीर विषय पर चर्चा कराई जाए ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय गुप्ता जी इस सदन के 1977 से बराबर सदस्य रहे हैं उनको बताना चाहता हूं कि कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष के मा0 सदस्य अपनी बात कह सकते हैं . . .

(व्यवधान)

यह होता रहा है कि अगर किसी मा0 सदस्य के क्षेत्र के बारे में कोई बात आती है और उस क्षेत्र के मा0 सदस्य के राजनीतिक जीवन पर कोई उल्टा असर पड़ रहा हो तो उसे सुना जाए । गांजरी मार्च जो हुआ था उस पर मुख्तार अनीस जी भी बोले थे।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

हम उनके बोलने पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं लेकिन उसकी गंभीरता को आप समझ लें ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार—

गाम्भीर्यता पर आप बुलवा सकते हैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल दहेलवी—

मान्यवर, अगर माननीय सदस्यों ने इस मामले को सही रूप में प्रस्तुत किया होता तो मेरे जैसे व्यक्ति का विवेक गवाही न देता कि इसमें मैं संशोधन करता । जो सूचना दी गई है इसको कहने का समय नहीं है मान्यवर, इसमें सिर्फ मारपीट हुई है और वह भी औरतों-औरतों में मारपीट हुई है । इसमें कोई भी मा0 सदस्य जानकारी कर सकता है । कानपुर के एस0 पी0 भी हरिजन हैं—

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सब लोग शान्ति बनाए रखें ।

श्री मोती लाल दहेलवी—

अगर किसी माननीय सदस्य में साहस हो तो वह टेलीफोन पर बात करके देख लें अगर वह कहेंगे कि इस हरिजन के साथ ज्यादती हुई है, बलात्कार हुआ है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री आपको कुछ गाम्भीर्यता पर कहना है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी से हमको यह उम्मीद न थी कि बच्चों के, महिलाओं के झगड़े को इतना गंभीर रूप देंगे । यह मामला महिलाओं के झगड़े का था । एक की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, उस दिन तो मामला रफा-दफा हो गया । दूसरे दिन महिलाओं ने महिला को मार दिया । रिपोर्ट दूसरे दिन लिखी गई रिपोर्ट लिखने में विलम्ब हुआ । इसके लिए हेड-मोहिर्रर को सस्पेंड कर दिया गया और एक कांस्टेबिल को लाइन हाजिर कर दिया गया । उसके बाद कहा गया कि गुप्तांग में डंडा डाल दिया गया, तो इसमें मेडिकल परीक्षण कराया गया था, उसमें ऐसा नहीं था कि गुप्तांग में चोट हो । फिर भी इन लोगों की शिकायत पर उसकी मेडिकल बोर्ड से जांच करवायी गयी तो उसमें भी कोई चोट नहीं पायी गयी । अभी एक माननीय सदस्य ने जो एक जाति विशेष लोगों की बात कही कि एक जाति विशेष के लोग कुछ सोच रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है । कुछ लोग जो सत्ता से अलग हो गये हैं तो उसमें कुछ जाति विशेष लोगों को यह सरदर्द जरूर हो गया है कि यह हल चलाने वाले सत्ता में कैसे आ गये । तो मान्यवर, इस प्रश्न का कोई इलाज नहीं है । यह लोग जो सत्ता में आगे हैं इनकी आबादी 70 फीसदी है । इन लोगों का दिमाग कभी खराब नहीं हुआ है । उन्होंने ईमानदारी की रोटी खायी है और कभी अनुशासन तोड़ने का काम नहीं किया है ।

*श्री पंचानन राय—

मान्यवर, कानपुर में बिल्हौर थाने के क्षेत्र में आज बुरी तरह अराजकता का वातावरण बना हुआ है और लोगों का जनजीवन असुरक्षित हो गया है । असमाजिक तत्वों द्वारा लोगों की हत्यायें हो रही हैं । 8 मई, 1990 को सूघर सिंह यादव की देशी तमंचे से हत्या कर दी गयी । वहां के दुकानदार 6 बजे के बाद दुकानें खोलने का साहस नहीं कर रहे हैं । 40—50 आदमियों का वहां पर एक गिरोह है, जो सक्रिय है जिससे संभ्रान्त और शान्ति प्रिय लोगों के जीवन को खतरा हो गया है इसलिये यह अविलंबनीय लोकमहत्व का प्रश्न है । दुकानदार अपना व्यवसाय वहां पर नहीं कर पा रहे हैं । वहां पर तमाम अवैध हथियार बन रहे हैं और नए विस्फोट हो रहे हैं । अभी एक बम विस्फोट में 2 आदमी मर गये जिसकी एफ० आई० आर० दर्ज हुई इसलिए यह घटना लोक महत्व की है । दूसरी बात यह है कि अभी माननीय प्रमोद तिवारी बोल रहे थे तो माननीय देहलवी जी ने अपनी बात कही थी । यह सन्डीला के निर्वाचन क्षेत्र की घटना है, उनके जनपद की घटना है अगर यह घटना सही है तो यह हर्षद्रवारी से इस घटना में रुकने का कष्ट करें ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया चूंकि मेरी सूचना भी इसी विषय पर है ।

श्री अध्यक्ष—

तो आप कृपया बैठें ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन आप कृपया मुझे सुन लें । अभी आपने प्रमोद तिवारी जी की सूचना पर माननीय देहलवी जी को आपने सुना । हम चाहते हैं कि मा० पंचानन राय जी ने जो सूचना दी है उस पर मोती लाल देहलवी जी कहें कि यह घटना सही है या गलत ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

(श्री मोती लाल दहलवी के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं । माननीय प्रमोद तिवारी जी ने सूचना जिस प्रकार से दी उसके बारे में उन्होंने चैलेंज किया । इसका मतलब यह नहीं है कि जितनी अन्य सूचनायें वहां की हैं उन्हें मोती लाल दहलवी जी स्वीकार करें ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, यह उनके यहां की घटना है । वह खुद आतंकित है । अगर वह वहां चले जायेंगे क्षेत्र में तो उनकी हत्या हो जायगी ।

श्री किशोरी श्याम—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । आपकी बात नहीं लिखी जायेगी ।

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्यक्ष को पुकारे जाने पर ।)

श्री किशोरी श्याम—

मान्यवर, मुझे भी आप 2 मिनट अपनी बात कहने का अवसर दीजिये ।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, मैं जो सूचना उपस्थित कर रहा हूं वह अत्यंत अविलम्बनीय और लोक महत्व की है । आपके संज्ञान में इसे लाकर मैं चर्चा की मांग करता हूं । मान्यवर, इस प्रदेश की कानून और व्यवस्था स्थिति इतनी बिगड़ गयी है और ऐसी घटनायें हो रही हैं जिससे सारा जनजीवन आतंकित है तथा पुलिस मूकदर्शक बन कर रह गयी है । दस्यु संतोषा ने ग्राम मेटाना जनपद बांदा में मुखबिरी करने वाले लोगों को पकड़ा और गांव में परेड कराकर चेतावनी दी कि मुखबिरी करने वालों को यह परिणाम भुगतना पड़ेगा । इतना ही नहीं, अपने साले के विरुद्ध एक दूसरे यादव परिवार चिरौंजी लाल यादव की दो कन्याओं को पकड़वा कर उनके साथ अपने गिरोह के 8—10 सदस्यों द्वारा बारी-बारी बलात्कार करवाया, वह रात भर चीखती-चिल्लाती रह गयी, गांव के लोग उनकी रात भर चीख-चिल्लाहट सुनते रहे, लेकिन भयावह स्थिति के कारण गांव का कोई भी आदमी बाहर नहीं निकला । 11 जुलाई तक कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं अंकित की गयी । पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, रोज दिन यह गिरोह जघन्य अपराध करता है । मैं अपने अविलंबनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर पुनः बल देता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस पर चर्चा कराई जाये, जिससे दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों की राय आने पर समस्या का निराकरण सोचा जा सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(संसदीय कार्य मंत्री तथा कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, दो मामलों के बारे में हमको कहना है, एक तो माननीय पंचानन राय का सुन्दर लाल यादव की हत्या के संबंध में है, इसमें मुकदमा दर्ज हुआ । इसमें 6 नामजद अभियुक्त हैं, दो को गिरफ्तार कर लिया गया, शेष के विरुद्ध कुर्की भी की गयी । वहां पर स्थिति सामान्य है । मान्यवर, यह हत्या का मामला है, इसमें कार्यवाही की जा रही है । दूसरा माननीय रघुराज प्रसाद उपाध्याय का संतोषा यादव के बारे में जो प्रश्न है, वह सूचना उन्होंने समाचार-पत्र को पढ़कर दी है । उसके बारे में अभी हमने टेलीफोन पर वहां से जानकारी की । 11-7-90 को संतोषा अपने गिरोह के साथ ग्राम मटेहना थाना मरका जनपद बांदा गया था । मुखबिरी करने के आरोप पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की थी । डी0 आई0 जी0 आपरेशन तथा जिलाधिकारी, बांदा मौके पर गये हुए हैं । संतोषा यादव गैंग के विरुद्ध सघन अभियान चल रहा है, जिसकी कार्यवाही में उक्त घटना घटित होना प्रतीत होती है । संतोषा यादव गिरोह को समाप्त करने के लिए सरकार पूरी तरह से सक्रिय है ।

श्री अध्यक्ष—

पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम कुमार शुक्ल, श्री किशन गोपाल, श्री दौलत राम की है, जिस पर 1 घंटे की चर्चा का निदेश देता हूं । दूसरी श्री मुहम्मद अहमद की सूचना पर वक्तव्य का निदेश देता हूं । श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय और श्री नवली सिंह की सूचना पर केवल वक्तव्य का निदेश देता हूं । श्री लक्ष्मीकान्त वाजपेयी, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री राज किशोर सिंह, श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री अमरमणि तथा श्री ऊदल की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं । शेष सब सूचनाएं अस्वीकृत हुईं ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, माया त्यागी कांड की तरह यह भी एक कांड है और यह एक हरिजन महिला के साथ ज्यादती हुई है । यह सरकार एक केन्द्रीय मंत्री के इशारे पर इस मामले को दबाना चाह रही है और इस पर चर्चा नहीं करा रही है, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

मान्यवर, पिछड़ी जाति पर अत्याचार हो रहे हैं और सरकार ध्यान नहीं दे रही है, न चर्चा करा रही है । इस लिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री प्रमोद कुमार एवं श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री सत्य प्रकाश विकल एवं कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने से व्यवधान)

(समय 1 बजकर 12 मिनट)

पद संख्या—8

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) अनुदान सं0-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग), अनुदान सं0-8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण), अनुदान सं0—9 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन)

*सिंचाई एवं लघु उद्योग मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4—उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,67,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7—उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 56,06,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,39,19,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,39,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, इस पर विवाद नहीं होना है, इसको पहले जो आपने पढ़ लिया है, उसी पर बोलिये । 4 तक जो आपने पढ़ा है उसी में अपना भाषण दें ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, ठीक है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, यह प्रदेश जो कि पूरे देश में भौगोलिक दृष्टि से चौथे नम्बर पर आता है और आबादी के हिसाब से उसका पहला स्थान है। मान्यवर, दुनिया के नक्शे में अगर देखा जाय तो यह प्रदेश मान्यवर, छठे दर्जे के रूप में अगर हम कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। मान्यवर, इतने बड़े प्रदेश में, जबकि आजादी के पहले इस प्रदेश का पांचवां स्थान था औद्योगीकरण की दृष्टि से, लेकिन आजादी के बाद शनैः-शनैः, धीरे-धीरे आज हम इस स्थिति में आ गये हैं कि अगर देखा जाय तो पांचवें से दूसरे या तीसरे स्थान पर हमारा प्रदेश है। मान्यवर, इसका कारण यह है कि जो हमारी नीतियां रही हैं, वह नीतियां ऐसी नहीं रही कि जिससे हम इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति को और बढ़ा सकें और न ही ये नीतियां ऐसी थीं कि जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा सकें। मान्यवर, इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा है कि इस प्रदेश में जहां बड़े पैमाने पर राजनीतिक दृष्टि से अगुवाई हुई है, वहां आर्थिक दृष्टि से यह प्रदेश धीरे-धीरे पिछड़ता गया। मान्यवर, उद्योग विभाग के विभिन्न कार्यकलापों और योजनाओं का कार्यक्रम एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के बारे में विस्तृत विवरण मैं सदन में रख रहा हूं।

मान्यवर, किसी भी राष्ट्र के लिये आद्योगिक प्रगति सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज अन्य देशों में, चाहे जापान रहा हो या अमेरिका या यूरोप के देश रहे हों या इसी देश में जो और प्रांत हैं, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और कुछ हद तक हरियाणा, अगर इन सभी प्रान्तों को देखा जाय तो जितनी तेजी से वहां पर औद्योगीकरण हुआ, वैसा हमारे प्रदेश में नहीं हो पाया और मान्यवर, आज जब तक खेती से, कृषि से लोग उद्योग में, व्यवसाय में नहीं जायेंगे, तब तक केवल कृषि पर आधारित यह प्रदेश आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। इसीलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि हम औद्योगीकरण की नीति में एक ऐसा परिवर्तन करें जिससे कि यह प्रदेश, जो आज पिछड़ा हुआ है और जिसमें संभावनाएं बहुत हैं, इसको आगे ले जाने के लिये व्यवस्था करें। मान्यवर, आज भी हमारे प्रदेश में 70 फीसदी लोग कृषि पर आधारित हैं। मान्यवर, इसी के कारण आज भी जो औद्योगीकरण हमारे प्रदेश में हुआ है, इससे प्रदेश को और प्रदेशों की तुलना में आंकें तो पता चलेगा कि यह प्रदेश अभी भी बहुत पीछे है, इन प्रदेशों से। मान्यवर, इस प्रदेश की औद्योगिक विकास की दर पहली पंचवर्षीय योजना में मात्र 2.3 प्रतिशत थी और मान्यवर, उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना में बढ़ कर 11.8 प्रतिशत हुई और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस प्रदेश की औद्योगिक प्रगति 12 प्रतिशत रही। मान्यवर, आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने जो महत्वाकांक्षी योजना बनायी है, उसमें 15 प्रतिशत औद्योगिक दर रखी है। इस दर से हमारे प्रदेश में उद्योग लगेंगे। अब तक मान्यवर, छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1.11 लाख उद्योग थे जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 2.16 लाख हो गये हैं और उसमें मान्यवर, 1312 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी विनियोजन हुआ है तथा 14 लाख 72 हजार लोगों को रोजगार मिला है। इसके साथ ही साथ मान्यवर सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1.5 लाख ग्रामीण इकाइयां स्थापित हुई हैं जिसमें 3.90 लाख लोगों को रोजगार मिला है। हस्त शिल्प कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दस्तकारी इकाइयों की संख्या लगभग 6.85 लाख थी जिसमें 7.46 लाख लोगों को रोजगार मिला है। मान्यवर, इसी तरह से भारी एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में प्रगति हुई है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारी एवं मध्यम उद्योगों की संख्या 52 थी, जो छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढ़कर 939 हो गयी जिसमें सात हजार आठ सौ बयालीस करोड़ रुपये का पूंजी विनियोजन हुआ।

श्री अध्यक्ष—

इसमें चर्चा तीन बजे तक होगी । यह सदन को सूचना देनी थी, तीन बजे मतदान होगा ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, इन उपलब्धियों को अगर देखा जाय तो 20 प्रतिशत से बढ़कर सातवीं पंचवर्षीय योजना में अगर आप तालिका में देखें तो इस प्रदेश की प्रगति छठी पंचवर्षीय योजना और सातवीं पंचवर्षीय योजना भी थोड़ी प्रारम्भ हुई । मान्यवर, आप देखें जो हमने लक्ष्य रखा है वह 15 प्रतिशत का रखा है जोकि महत्वाकांक्षी लक्ष्य है । हमारी समझ में लक्ष्य प्राप्त होने पर इस प्रदेश की उद्योगों की जो क्रांति हम करना चाहते हैं, इस प्रदेश के स्वरूप को बदलना चाहते हैं यहां की गरीबी को हटाना चाहते हैं, इस प्रदेश को एक उद्योग प्रदेश बनाना चाहते हैं इसमें हमें काफी सफलता मिलेगी । मान्यवर, अगर आप देखें, इस प्रगति से भी उत्तर प्रदेश ने अभी तक देश के औद्योगिक मानचित्र में उचित स्थान नहीं प्राप्त किया है । प्रदेश में प्रात व्यक्ति आय 2698 है जबकि राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 3833 है । इस तालिका से आप देखेंगे तो अभी भी जो अखिल भारतीय स्तर है उसके मुकाबले में हम पीछे हैं और जो भी और प्रगतिशील प्रदेश हैं उनसे मुकाबला करेंगे तो ये प्रदेश बहुत पीछे है । बारह, सवा बारह प्रतिशत की गति से हमने जो प्रगति की है उसके बावजूद । मान्यवर, दूसरी ओर व्यवसायिक बैंकों में, जिसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके यहां लघु उद्योग विकास बैंक का कोई पहला हेडक्वार्टर खुला है इस पूरे उत्तर प्रदेश में तो यह लखनऊ में खुला है । इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को दोनों आदमियों को बधाई दूंगा । तालिका आप देखें इससे स्पष्ट हो जायेगा कि बैंक जो ज्यादा पूंजी इन बैंकों में जमा करवाते हैं उनके बावजूद उस पूंजी का विनियोजन हमारे यहां कितना होता है । प्रदेश में मात्र 44.8 प्रतिशत व्यवसायिक बैंकों में मान्यवर अंश इस प्रदेश का आता है जबकि राष्ट्रीय औसत है 60.4 प्रतिशत । इससे मान्यवर यह प्रकट होता है कि अभी भी औद्योगिक दृष्टि से हमारा प्रदेश कितना पीछे है । मान्यवर, इसी के साथ-साथ हमारे जो ज्यादातर उद्योग है वह या तो नगरों के करीब है या नगरों में है ।

मान्यवर, पहली बार इस सरकार ने यह निर्णय लिया है और जो नई औद्योगिक नीति घोषित की गयी है, इससे पहले जो भी औद्योगिक नीति घोषित की गयी थी, उसमें केन्द्रीय उपादान योजना भारत सरकार देता था और इस योजना के लिये उन्होंने जीरो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अपना मापदंड बनाया था, लेकिन हमने यह देखा कि जब पिछली सरकार, कांग्रेस की सरकार जाने लगी, तो उसने पूंजी विनियोजन योजना को समाप्त कर दिया, जिससे जो पिछड़े इलाके हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, बन्देलखंड के इलाके हैं, पूर्वी जिलों के इलाके हैं, उनको जो लाभ इस योजना से मिलता था, वह समाप्त हो गया । प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति घोषित की, जिसमें 22 जिले हैं, उसमें सरकार ने अपनी ओर से घोषणा की कि इन जिलों का वर्गीकरण करके हम अपनी ओर से प्रदेश सरकार की ओर से पूंजी उपादान योजना देंगे । यह वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया गया है । मैं माननीय सदन से आग्रह करूंगा कि हो सकता है कि वर्गीकरण में आपको यह लगे कि कुछ जिले छूट गये हैं, जो होने चाहिए थे, उनके लिए अगर आप लोग बतायेंगे, तो उनके लिये हम अलग से व्यवस्था करवायेंगे जिससे उस पर पुनर्विचार किया जा सकेगा, जिससे उन जिलों को भी उस श्रेणी में शामिल कर सकें और शामिल करके हम आगे के लिये व्यवस्था करा सकें । मान्यवर, यह योजना इसीलिये चलाई गयी कि इस योजना से इस प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्र, बन्देलखण्ड और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के

जिले, जो इस योजना में कभी शामिल नहीं किये गये थे, उन 10 जिलों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिससे उन्हें भी प्रदेश के औद्योगिक स्तर पर लाया जा सके और वहां विकास किया जा सके ।

(इस समय 1 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाबू राम यादव पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, जो नई औद्योगिक नीति बनाई गयी है, उसमें रोजगार के नये अवसर सृजित करना, प्रदेश में हस्तशिल्प, हथकरघा उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग को वरीयता देने का प्रयास है । मैं कहना चाहूंगा कि इसके पहले जो सरकार थी, वह ज्यादा जोर बड़े उद्योगों पर देती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने जैसा कि अपने चुनाव घोषणा-पत्र में और 21 सूत्री कार्यक्रम में घोषणा की थी कि हम इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिये लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, खादी उद्योग, कुटीर उद्योग का जाल बिछायेंगे । बड़े उद्योग वहीं खोले जायेंगे, जो काम कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग में नहीं हो सकते । जैसा कि अभी आपने देखा कि पेट्रो केमिकल काम्प्लेक्स और अलीगढ़ में सलेमपुर में भारी उद्योग लगाया गया । इस प्रकार मान्यवर, प्रदेश में जो क्षेत्रीय असंतुलन है, भारी पैमाने पर जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को दूर करके लोगों को काम उपलब्ध करा सकें, और बड़े पैमाने पर छोटे-बड़े उद्योग स्थापित कर क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर सकें, इस बात का प्रयास किया गया है ।

मान्यवर, शिक्षित युवकों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों और समाज के कमजोर वर्ग के लिये अधिकतम रोजगार हम सृजित कर सकें, यही प्रयास किया गया है, इसलिये छोटे-मध्यम उद्योगों को समन्वित विकास के लिये रखा गया है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले सरकार की नीति स्पष्ट की कि बड़े उद्योग वहीं खोले जायेंगे, जहां अपरिहार्य हो, जहां अपरिहार्य नहीं है, वहां कुटीर और छोटे उद्योग ही खोले जायेंगे । स्थानीय टैक्नीक को भी विकसित करने के लिए हमने योजना बनाई है । वर्तमान में हमारी जो स्थापित क्षमता है, उसका भी अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इकाईयों के पुनर्वास एवम् आधुनिकीकरण की योजना भी इस सरकार ने बनाई है । अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि इस सरकार ने जो नीति बनाई है वह सन्तुलित है । केवल नये उद्योग लगाने मात्र से इस प्रदेश को तरक्की नहीं होगी । जो भारी संख्या में उद्योग खुले हैं, जो बीमार हैं, रुग्ण हैं, उनके लिए भी इस सरकार ने कुछ योजनायें बनाई हुई है ताकि वे भी ठीक तरह से चलाई जा सकें और उन्हें फिर से पुनर्जीवित किया जाय ।

मान्यवर, सार्वजनिक उद्योगों के प्रबन्धतंत्र की कार्यकुशलता के सुधार पर भी इस सरकार ने बल दिया है । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो रणनीति बनाई गई है, उसके कुछ बिन्दुओं को मैं यहां पर रखना चाहता हूं । पहला, विकास खण्ड, औद्योगिक विकास केन्द्र होगा । पहले मान्यवर, शहर या शहरों के समीप ही कोई उद्योग खोला जाता था, परन्तु हमने हर विकास खण्ड को उसका केन्द्र बनाया है । विकास खंड पर जो पहले उद्योग को लगायेगा, उसको विशेष सविधायें यह सरकार प्रदान करेगी । दूसरा, औद्योगिक दृष्टि से जो पिछड़े क्षेत्र हैं, औद्योगिक विकास हेतु उन्हें विशेष सविधायें व विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा । तीसरा, इसके साथ ही लघु उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा । अनुसूचित जातियों, जन जातियों, महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को विशेष सविधायें दी जायेंगी । उद्यमकर्ता के कौशल में सुधार एवम् विकास किया जायेगा । उद्यमियों को देय सुविधायें एवम् रियायतें समय बद्ध रूप से पूरी करायी जायेंगी ।

मान्यवर, अभी तक यह होता था कि उद्यमी को हर दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर भी उसे वह सुविधायें प्राप्त नहीं हो पाती थी । इसलिए हमने उद्योग-बन्धु को सुदृढ़ किया है । हर महीने उद्योग-बन्धुओं की एक मीटिंग, जो प्रदेश स्तर पर होती है, यदि मैं यहां उपस्थित रहता हूं तो स्वयं उसमें जाता हूं । पहली बार यह किया गया है कि उद्योग-बन्धु की मीटिंग खुली मीटिंग होती है, जिसमें उद्यमी अपनी बातों को रख सकें । अधिकारी वहां पर रहते हैं, इसलिए एक महीने के अन्दर काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उनको सौंप दी जाती है । माननीय मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह किया गया है कि 3-4 महीने में वह भी एक बार उद्योग-बन्धु की मीटिंग में भाग ले लिया करें । जब माननीय मुख्य मंत्री जी उस मीटिंग में जायेंगे तो समस्याओं को सुलझाने के लिए वहीं पर तत्काल निर्णय ले लिया जायेगा । इसके साथ ही जो अन्य विभागों से संबंधित मामले होते हैं, उनको भी वहीं पर पूरा करके सुनिश्चित कर लिया जायेगा ।

मान्यवर, हमने इस उद्योग-बन्धु को जिलों में भी लागू किया है । जिलों में पहले उद्योग-बन्धु नहीं थे । एक विन्डो-सिस्टम होगा । जहां हमारे डी0 आई0 सी0 एस0 है, जिला उद्योग केन्द्र है, उन्हीं के माध्यम से सुनिश्चित कराया जायेगा, सभी सुविधायें जिलों में ही उन्हें उपलब्ध करा दी जायेंगी । मैंने अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि जब जिलों में उद्योग-बन्धु की मीटिंग हो तो समय पर लोगों को सूचित किया करें, जिससे हमारे माननीय विधायकगण, उसमें भाग ले सकें और अपने सुझाव दे सकें और जो कठिनाई है, उस पर विचार करें ।

मान्यवर, अभी तक जिलों में कोई उद्योग समिति नहीं थी, हमने निर्देश दिया है कि जिलों में भी उद्योग समिति बनाई जाय, जिसमें हमारे माननीय सदस्य, माननीय सांसद उन समितियों में रखे जायं ताकि जिलों में भी समस्याओं को निष्पादन व निराकरण हो सके ।

मान्यवर, उसी तरह से मण्डलीय स्तर पर भी वन विन्डो सिस्टम लागू किया गया है । जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि जिले स्तर पर वन विन्डो सिस्टम होगा, प्रदेश स्तर पर होगा तो एक वन विन्डो सिस्टम मण्डल स्तर पर भी होगा ताकि समस्याओं का निष्पादन व निराकरण मण्डल स्तर पर हो सके और उद्यमियों को यहां लखनऊ में नहीं आना पड़े । मान्यवर, हमने इसीलिये इसको किया जिससे हमारे उद्यमियों को जो कठिनाइयां है कि बिजली नहीं मिल रही है, वित्तीय निगम से कर्जा नहीं मिल पा रहा है, मिल पा रहा है तो मार्जिन मनी की कठिनाई है । इसके लिये उद्योग बन्धु को सुदृढ़ किया है । आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर कोई प्रदेश का ऐसा मामला हो तो सीधे उद्योग बन्धु को भेज सकते हैं ।। अगर मण्डलीय स्तर पर निराकरण नहीं हो पाता है तो उद्योग बन्धु में निराकरण करेंगे । अगर आपके जिले का मामला हो तो उद्योग बन्धु में आ सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं । इसी तरह से यह भी प्रोत्साहन दिया है कि सुविधा मिलेगी उद्योगों को भी जिससे इस प्रदेश को और देश को विदेशी मुद्रा अर्जित करने को मिले । सौभाग्य से इस प्रदेश में ऐसी बहुत सी वस्तुयें हैं जिनसे विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं । भदोही और फतेहपर सीकरी में कालीन उद्योग और मुरादाबाद और जलेसर में ब्रासवेयर । एक और चीज है जिसे कर सकते हैं जैसा रघुवर दयाल वर्मा जी ने कहा, फिरोजाबाद की बात आयी तो वर्मा जी चूड़ी ही कहते हैं और कुछ कहते ही नहीं हैं । इनको मालूम ही नहीं है कि वहां और भी सामान बनता है । इन्होंने जैसा बताया कि यदि इस उद्योग को सेंग पर आधारित कर दें कांचले की

बजाय तो विदेशी मुद्रा काफी अर्जित कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित करने की प्रतिस्पर्धा में फिरोजाबाद भी जा सकता है । अलीगढ़ के ताले पर भी प्रोत्साहन दिया जायगा ।

बिक्रीकर योजना में संशोधन किया जा रहा है जिसमें बिक्रीकर में जो कठिनाइयां होती थीं, छूट के सम्बन्ध में वह भी अपनी इस योजना में रखा है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि 1 अगस्त को उन्होंने इस प्रदेश में चुंगी माफ कर दी है । इससे भी उद्योगों में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी । जो कठिनाई उद्यमियों को होती थी और ट्रक खड़े रहते थे और हेरा-फेरी भी होती थी । इससे डीजल और पेट्रोल की बचत होगी और दूसरे इस प्रदेश में उद्योग लगाने में सुविधा मिलेगी ।

(श्री कुंवर सिंह नेगी के खड़े होने से व्यवधान)

सार्वजनिक उद्योगों में निजी उद्यमियों का सहयोग लेकर सुधार किया जायगा । इसमें नाम भी लेना चाहूंगा, 4 ऐसे उद्योग हैं एक तो संगम लाल जी माननीय सदस्य, प्रतापगढ़ का अष्टो ट्रैक्टर्स, माननीय सदस्य समझते हैं कि इसको निजी क्षेत्र में बेच रहे हैं, लेकिन बेचने की बात नहीं है । इसके प्रबन्ध तंत्र में निजी क्षेत्र का उपयोग करना चाहते हैं ज्वाइंट वैन्चोर, जिसमें सरकार भी रहेगी और वह भी रहेंगे, प्रबन्ध तंत्र उनके हाथ में रहेगा । हमने देखा कि आंटो ट्रैक्टर को चलाते-चलाते कई करोड़ रु0 खर्च हो गये लेकिन आंटो ट्रैक्टर्स सुधरा नहीं । और इस तरह सीमेन्ट उद्योग है । जो सीमेन्ट कारपोरेशन है, आज जहां-जहां सीमेन्ट के कारखाने लगे हुए हैं, भारी फायदे में हैं जिनमें उत्पादन होता है 90 प्रतिशत से लेकर 110 प्रतिशत तक । जबकि हमारे यहां सीमेन्ट का उत्पादन केवल 35 प्रतिशत से लेकर 40 प्रतिशत तक ही होता है । इसके कई कारण हैं कि फैक्ट्रियों में जितने आदमी रखने चाहिये थे उससे बहुत अधिक आदमी वहां पर हैं । जितना उत्पादन कराना चाहिये था, करा नहीं पा रहे हैं । तीसरी बात यह कि हमारे यहां मशीनरी पुरानी हो गयी है, जब तक इनका आधुनिकीकरण नहीं होगा तब तक ऐच्छिक उत्पादन नहीं हो पायेगी । इसीलिये सरकार ने निर्णय लिया है और इसके संबंध में निविदा मंगी गयी है ।

इसके अतिरिक्त टायर और ट्यूब्स हैं और इन्सट्रूमेन्ट कम्पनी यह ज्वाइन्ट वेन्चर में खोलना चाहते हैं । जो निगम 10 करोड़ रु0 से अधिक के घाटे में हैं उन निगमों को बन्द किये जाने का निर्णय ले लिया गया है, उनको बन्द कर दिया जायेगा । कई मा0 सदस्यों को चिन्ता है कि फिर वहां के कर्मचारियों का क्या होगा ? मा0 संगम लाल जी ने कहा कि आटो ट्रैक्टर्स के कर्मचारी कहां जायेंगे ? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि निगमों के कर्मचारी सभी रहेंगे उनको निकाला नहीं जायेगा और यह नियत सब निगमों पर एक समान ही लागू होगा । सब निगमों के लिये नियम समान ही हैं ।

मान्यवर, प्रदेश के पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास हेतु विशेष योजनायें एवं प्रोत्साहन की व्यवस्था की गयी है । प्रदेश में पिछड़े जिलों में राज्य पूंजी उपादान की बृहत योजना बनायी गयी है, जिसमें श्रेणी "अ" के जनपदों में 20 प्रतिशत अधिकतम 20 लाख, श्रेणी "ब" के जनपदों में 15 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख और श्रेणी "स" के जनपदों में 10 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपये की पूंजी उपादान लघु एवं मध्यम आकार की इकाईयों को देय होगा । इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्रों में इकाई के स्थापित होने के स्थान के अनुसार 10 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख से 15 प्रतिशत अधिकतम 15 लाख रुपये का विशेष पूंजी उपादान देय होगा ।

आप लोगों की चिन्ता स्वाभाविक है कि जिनके जनपद इसमें नहीं आ पाये हैं तो आप लोग इसे देख लीजियेगा और फिर अपने यहां के लिये लिखकर दे दीजियेगा, उस पर हम विचार करेंगे और भारत सरकार से भी सिफारिश करेंगे कि इन जिलों को पिछड़े क्षेत्र के आधार पर शामिल किया जाय ।

पर्वतीय क्षेत्रों की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए वहां पर स्थापित होने वाली इकाइयों को भारत सरकार के 75 प्रतिशत के परिवहन अनुदान के अतिरिक्त 25 प्रतिशत का अतिरिक्त उपादान देय होगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में ही होने वाली ढुलाई पर भी 50 प्रतिशत तक का अनुदान देय होगा । पर्वतीय क्षेत्रों को यह सुविधायें पहली बार राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है ।

मान्यवर, इसी तरह से बुन्देलखण्ड, पर्वतीय क्षेत्र तथा पूर्वान्चल के चयनित जनपदों में बिजली की दरों में 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की छूट, इकाई लगने के पहले 5 वर्षों में दी जायेगी । विकास खण्ड को औद्योगिक विकास का केन्द्र बिन्दु बनाने की नीति के अनुसार विकास खन्ड स्तर की 20 लाख से अधिक पूंजी के विनियोजन की पहली 3 इकाइयों को 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 लाख तक पूंजी अनुदान देय होगा । इसके अतिरिक्त 5 करोड़ से अधिक विनियोजन की तहसील की पहली इकाई को और 25 करोड़ से अधिक की किसी जनपद की पहली इकाई को विशेष राज्य पूंजी उपादान देय होगा ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कितना समय और लेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, 2 बजे समाप्त कर दूंगा । इसी तरह से महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा स्थापित इकाइयों को 5 प्रतिशत अधिकतम एक लाख का विशेष उपादान लघु स्तरीय इकाइयों को देय होगा । साथ ही इन इकाइयों को पिक-अप और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा दी जाने वाली ऋण की राशि पर ब्याज की दर 1 प्रतिशत कम रखी जायेगी । मान्यवर, निर्यातक मूलक इकाइयों को 10 प्रतिशत का विशेष राज्य पूंजी उपादान देय होगा । उद्योगों के लिये बिक्रीकर की नई योजना में अधुनिकीकरण के प्रसार और विविधिकरण पर प्रदेश में पहली बार बिक्रीकर से मुक्ति दी जायेगी । इसके अतिरिक्त रुग्ण इकाइयों को भी इस योजना में विशेष छूट पहली बार दी जा रही है । लघु रुग्ण इकाइयों के पुर्नवासन के लिये विशेष प्रक्रिया नियत की जा रही है । प्रदेश के औद्योगीकरण के लिये प्रमुख उद्योग चर्म उद्योग, टेक्सटाइल, एक्सपोर्ट गुड्स, कृषि पर आधारित उद्योग, पेट्रो केमिकल व केमिकल, इलेक्ट्रानिक्स, ड्रग, प्लास्टिक, फाउन्ड्री व ग्लास एवं सिरेमिक्स को बढ़ावा देने के लिये विशेष योजनायें बनायी जायेगी । मान्यवर, उपरोक्त पैकेज के लागू होने से प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को एक नयी गति व दिशा मिलेगी तथा 8वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के दर 15 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य है । इस अवधि में 3 लाख लघु उदयोग, 5 लाख हस्त शिल्प तथा ग्रामीण उद्योग स्थापित करके 30 लाख लोगों को सेवा योजन के अवसर उपलब्ध कराये जाना प्रस्तावित है । मान्यवर, जो हमारे निगम हैं, उनमें अधिकांश, को

का छोड़कर ग्लास वर्क्स कारपोरेशन और उत्तर प्रदेश ब्रास वेयर कारपोरेशन, सभी फायदे में चल रहे हैं । खुशी की बात है कि इन निगमों के द्वारा हमें सफलता मिली है । भारत सरकार निगम जो स्थापित करती है, उससे लाभ अर्जित करती है, लेकिन जो निगम हमने स्थापित किये हैं, लाभ अर्जित करने के लिये नहीं, बल्कि जैसे बुनकरों और हस्तशिल्प के कारीगरों के बारे में कहा गया है

(व्यवधान)

एक सदस्य—

लघु उद्योगों के बारे में भी बतायें ।

श्री रेवती रमण सिंह—

आप सुनें । मैं लघु उद्योगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं । आपको भ्रम हो गया है । मैं अपनी सरकार की नीति बता रहा हूं । यह एक सम्यक नीति है । यह नीति केवल भारी उद्योग या मध्यम उद्योग की नहीं है बल्कि एक सम्यक नीति है । जो नई उद्योग नीति इस सरकार ने घोषित की है, उसका यह दर्पण है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि यह प्रदेश सरकार इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिये जो भी काम कर रही है, जो भी कदम उठाये गये हैं उनके द्वारा हम गांवों के विकास, तहसील का विकास, ब्लाक का विकास, ग्रामीण अंचलों का विकास जो कि अब तक उपेक्षित रहे हैं, कर सकेंगे और एक नई औद्योगिक क्रांति एक नई औद्योगिक नीति बनाकर एक नई दिशा हम इस प्रदेश में पैदा करेंगे । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आज बिजली के मामले में भी हम अन्य प्रदेशों के मुकाबले में बेहतर हैं । इसी तरह से जितने भी विवाद औद्योगिक क्षेत्र में हैं अन्य प्रदेशों के मुकाबले में, हमारे यहां कम हैं । आज भी यहां पर एक औद्योगिक वातावरण है । यहां पर जो प्रबन्धतन्त्र है, यहां पर जो मजदूर हैं कुछ जगहों पर छोड़कर अधिकांश जगहों में औद्योगिक शांति है । औद्योगिक शांति, जो किसी प्रदेश के उद्योगों की तरक्की के लिये सबसे बड़ी बात होती है, वह हमारे प्रदेश में मौजूद है । इसके अलावा हम भारत सरकार से यह भी कह रहे हैं कि जो सामान लघु उद्योग में बने, ग्रामीण उद्योग में बने, छोटे-छोटे उद्योग में बने उनके लिये मल्टी नेशनल कम्पनियों को अनुमति न दी जाय । जो सामान छोटे मशीनों से, हाथ से बन सकता है उनको बनाने के लिये अगर भारी उद्योग प्रतिस्पर्धा में आ जायेंगे तो वे जीवित नहीं रह सकती हैं ।

मान्यवर, आज जो छोटे उद्योग सामान बनाते हैं उनके विपणन की सबसे बड़ी समस्या है, उसके कच्चे माल की समस्या है, उसके प्रचार और विज्ञापन की समस्या है । मैंने खादी कमीशन के चेयरमैन से बात की है । उन्होंने कहा है कि खादी बोर्ड में जो अनुदान दिया जाता है वह अनुदान बन्द कर दिया जाय । इससे फर्जी इकाइयां नहीं आयेंगी और इससे जो उसे साढ़े चार प्रतिशत मिलता है वह बन्द हो जायेगा । इस प्रकार यह जो पैसा है वह इस सामान की मार्केटिंग और उसके प्रचार और विज्ञापन के लिये खर्च किया जायेगा । उन्होंने यह भी कहा कि हम खादी बोर्ड में निचली और जिला स्तर पर ऐसी इकाइयां और सोसाइटियां बना रहे हैं जो यह देखेंगी कि कच्चा माल सप्लाई करने के साथ ही साथ वह उनका माल भी खरीदेंगी । मान्यवर, इस तरह से प्रदेश के बाहर भी हमारी योजना है । हम उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था कर सकेंगे जिससे आम आदमी जो पैदा करता है उसको उसकी उत्पादकता का पूरा मूल्य मिल सके । हम इस पैसे के द्वारा हम उसके माल का, उसके उत्पादन का प्रचार और विपणन करेंगे ।

मान्यवर, मैं और बातें बाद में कहूंगा । मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि जो उनके इस सम्बन्ध में सुझाव हों वे कृपया बता दें क्योंकि समय कम है इसलिये केवल सुझाव ही आप मुझ तक दे दें । आपके सुझावों को क्रियान्वित करने की कोशिश की जायेगी ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के अनुदान संख्या 4, अनुदान संख्या 7, अनुदान संख्या 8, तथा अनुदान संख्या 9, में रखी सम्पूर्ण मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य आलोचना करना और सुझाव देना ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वैश्य जी आप प्रत्येक अनुदान पर अलग-अलग कटौती प्रस्ताव रखें ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—8 उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—9 उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय जैसा स्वयं स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश भारत के मानचित्र में बड़ा प्रदेश है दुनिया के बहुत से देशों की तुलना में यह प्रदेश बड़ा है । देश की आबादी का 17 प्रतिशत भाग

इस प्रदेश में रहता है, देश की भौगोलिक दृष्टि से 9 प्रतिशत है परन्तु आद्योगिक दृष्टि से यह प्रदेश 4.2 प्रतिशत है । आद्योगिक दृष्टि से यह प्रदेश देश के अन्य सूबों से पिछड़ा हुआ है, यहां आद्योगिक यूनिट्स भी बहुत कम है जैसा कि उत्तर प्रदेश में 7वीं पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट प्लान में दिया है प्रति लाख में यह फोगर्स है 482 व्यक्ति उद्योग में लगे है जब कि सम्पूर्ण देश में यह औसत 955 व्यक्तियों का है, वेस्ट बंगाल में 1643 व्यक्ति प्रति लाख, महाराष्ट्र 1999 व्यक्ति प्रति लाख, कर्नाटक 1473 व्यक्ति प्रति लाख, मध्य प्रदेश 782 व्यक्ति प्रति लाख, पंजाब 1283 व्यक्ति प्रति लाख और हमसे जो पिछड़ा प्रदेश बिहार है वहां भी 532 व्यक्ति प्रति लाख उद्योग में लगे हुये है सम्पूर्ण देश का औसत 955 व्यक्ति प्रति लाख है । हमारे यहां कवल 482 व्यक्ति प्रति लाख उद्योग में लगे है । तो यह आद्योगिक दृष्टि से हमारी स्थिति है हम इसमें बहुत पिछड़े है । जिस प्रदेश का व्यक्ति कृषि पर अधिक निर्भर होगा उस प्रदेश में बेकारी, बेरोजगारी अधिक होगी उत्तर प्रदेश में 74 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है और केवल 3.69 प्रतिशत उद्योग पर आधारित है । तो इस सब के लिये उत्तरदायी है जो पिछले 40 सालों में दिल्ली और लखनऊ में एक ही पार्टी की सरकार रही कांग्रेस की सरकार है । आज प्रदेश देश में औद्योगिक नक्शे में जो पिछड़ा है इसके लिये कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है क्योंकि लखनऊ और दिल्ली में इनकी सरकार रही बीच में एक दो साल के लिये दूसरी सरकार आई हो । लेकिन कांग्रेस ने जो नीति बनाई, और औद्योगिक जो रचना की उसके लिये इस प्रदेश के प्रधान मंत्री, और गृह मंत्री वहां रहे लेकिन यहां के लिये कोई बड़ी योजना नहीं ला सके और जिसके कारण इन 40 सालों में यह प्रदेश उद्योग में पिछड़ा रहा । मान्यवर, बरेली में एक रेल का डिब्बा बनाने के कारखाने की बात स्वीकृत हुई थी लेकिन पंजाब में कपूरथला में वह योजना चली गयी । इस प्रकार कोई बड़ा उद्योग, कल कारखाना इस प्रदेश में सरकार नहीं ले सकी । इसका कारण है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो निश्चय करना था कि हिन्दुस्तान की औद्योगिक रचना कैसी हो ? और आज भी यह फैसला करना है कि देश और प्रदेश में औद्योगिक ढांचा कैसा हो ? मान्यवर, 1947 में दो विचार इस संबंध में थे । एक महात्मा गांधी का विचार था और वह कहते थे कि हिन्दुस्तान गांवों का देश है । देश में मानव शक्ति ज्यादा है और पूंजी कम है । यहां आदमी ज्यादा है और भूमि कम है, इसलिये योजनायें ऐसी हों जिससे पैदावार बढ़े लेकिन उसमें ज्यादा आदमियों के हाथ लगे और मानव शक्ति से उत्पादन बढ़ाया जाये । इसके लिये आवश्यकता थी छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों की, ग्रामीण उद्योग, काटेज इंडस्ट्रीज की । वहीं दूसरा विचार पं0 जवाहर लाल नेहरू जी का था कि इस प्रदेश और देश में बड़े उद्योग और कल कारखाने लगाये जांय जिसका परिणाम हुआ कि 40 सालों में देश और प्रदेश में गरीबी बढ़ी पूंजीवाद आया, भ्रष्टाचार आया, विदेशी पूंजी आयी, बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां आयीं और उन्होंने लक्जरी का सामान बनाया ।

मान्यवर, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि एक केन्द्र पर बहुत ही पेचीदा मशीनों के जरिए कम से कम लोगों द्वारा उत्पादन के बजाए मैं पसन्द करूंगा लाखों लोगों द्वारा अपने अपने घर में व्यक्तिगत रूप से उत्पादन किया जाये । इस संबंध में चौधरी चरण सिंह और पं0 दीनदयाल उपाध्याय ने भी कहा था लेकिन 40 सालों में उपेक्षा के कारण हमारा प्रदेश आद्योगिक दृष्टि से पिछड़ गया है, जिसका परिणाम हुआ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पूंजीवादी व्यवस्था, विदेशी टेक्नोलाजी आयी, देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आयी और इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रानिक्स वस्तुयें, कम्प्यूटर

टी0 वी0, रेफ्रिजरेटर, एअरकन्डीशनर कम्पनियों की होड़ लग गयी और यह सामान बड़े सम्पन्न लोगों की इच्छापूर्ति करने लगे । जबकि आज आवश्यकता है कि यह निश्चय करें कि देश और प्रदेश में औद्योगिक अभिरचना हम कैसी चाहते हैं ? मंत्री जी ने भी हैं कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, छोटे उद्योगों का जाल प्रदेश में फैलाना चाहते हैं जिससे ज्यादा लोग काम में लगें, बेकारी दूर हो, परन्तु हमारी यह इच्छा, यह घोषणा और सरकार का यह वायदा कि हम कुटीर उद्योग और धरेलु उद्योग धंधों का जाल फैलायेंगे । लेकिन देखना होगा कि आज तक प्रदेश में जितने कुटीर उद्योग लगा रहे हैं या लगे हैं, जितनी छोटी इकाइयां लगी हैं कम पूंजी और बिजली के से उनका परिणाम क्या निकल रहा है ? आज बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर औद्योगिक वातावरण नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लगाने के लिये अनुकूल माहौल नहीं है, आज उ0 प्र0 में कोई उद्यमी उद्योग लगाना चाहता है तो उद्योग विभाग के चक्कर लगाना पड़ता है । इसके विपरीत पंजाब, महाराष्ट्र में उद्योग लगाना चाहता है तो उद्योग विभाग उस उद्यमी के घर चक्कर लगाता है । उसको साधन और सुविधायें दी जाती हैं लेकिन उ0 प्र0 में ऐसा नहीं है । जिससे दूसरे प्रदेशों से जो उद्यमी उ0 प्र0 में उद्योग लगाने आये वह वापस चले गये और उन्होंने उद्योग गाजियाबाद में न लगाकर पंजाब और हरियाणा में उद्योग लगाये । पिछले कई मुख्यमंत्रियों ने कलकत्ता और बंबई के चक्कर लगाये कि प्रदेश में वहां के उद्योगपति उद्योग लगायें परन्तु वह नहीं आये । प्रदेश में उन्होंने प्रदेश के बाहर उद्योग लगाये क्योंकि प्रदेश में उद्योग लगाने का अनुकूल वातावरण नहीं है, उद्योग लगाने के लिए माहौल नहीं है । और उद्योग विभाग के काम करने के तरीके भी अपने में बहुत ही दोषपूर्ण है । उद्योग विभाग के काम करने का जो तरीका है, उसके चलते उद्यमी और छोटे इन्टरप्यार यहां उद्योग लगाने के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं । उन्हें विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न कार्यालयों में महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं। वे बिजली के लिए चक्कर लगाते हैं लाइसेन्स के लिए चक्कर लगाते हैं और वर्किंग कैपिटल के लिए चक्कर लगाते हैं । हर चीज के लिए उन्हें दौड़ना पड़ता है । यह सब उद्योग के लिए आवश्यक सुविधाएं आज भी उत्तर प्रदेश में उद्यमी के लिए प्राप्त नहीं हैं । जो कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र आदि में उसे प्राप्त हैं । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि हम पिछले 40 साल के मानचित्र को बदलना चाहते हैं और औद्योगिक मानचित्र में उत्तर प्रदेश को उचित स्थान दिलाना चाहते हैं, तो सरकार को अपने सोच में और व्यवहार में बदलाव लाना होगा । जहां बड़े उद्योगों की बात आती है मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि जो उद्योग पब्लिक सेक्टर में लगाए गए, वह उतना उत्पादन नहीं कर पाए, उतना लाभ नहीं अर्जित कर पाए, जितना वह निजी क्षेत्र में लगने पर करते हैं । यह कारखाने जब निजी क्षेत्र में लगते हैं तो ज्यादा उत्पादन करते हैं और ज्यादा लाभ कमाते हैं । उन्होंने सीमेन्ट उद्योग का उदाहरण भी दिया, डाला सीमेन्ट की फैक्ट्री को लें । आज आप तमाम सार्वजनिक निगम घाटे में चल रहे हैं । इसीलिए मेरा सुझाव है कि जो हमारे सार्वजनिक उद्योग हैं, उनमें उद्योग व्यवस्था को स्वायत्तशासी किया जाए, और सार्वजनिक निगम के कारखानों को चलाने के लिए व्यवसाय के प्रतिभावना कर्मचारियों का चयन किया जाय । इसके लिए भारतीय प्रबन्ध सेवा का भी गठन किया जाए और इसके द्वारा चयनित कर्मचारियों को निश्चित समय के लिए नियुक्त किया जाये, और उनके कार्यकाल में कारखाना ठीक चलता है, उत्पादन बढ़ाता है लाभ कमाता है तो उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, अन्यथा उनको अवसर न दिया जाए । तो मैं कहना चाहता हूं कि इंडियन मैनेजमेन्ट सर्विस की स्थापना की जाए ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप संक्षेप में कह कर अपनी बात समाप्त करें, समय हो गया है ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मंत्री जी एक घन्टा बोले हैं और मुझे तो अभी मुश्किल से 10 मिनट हुए हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

वैसे भी आपको अभी फिर एक मौका मिलेगा । उसको तीन बजे समाप्त होना है (व्यवधान) आप संक्षेप में कर दें ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मैं कहना चाहता हूं कि उन सार्वजनिक निगमों को कारखानों में काम करने के लिए हमारी मनोवृत्ति यह है कि हम यह समझते हैं कि जो हमारे आई० ए० एस० अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं, वह सभी कामों के लिए निपुण हैं । मैं उनकी आलोचना नहीं करता, वह हमारे देश और प्रदेश के अच्छे प्रतिभावान युवक होते हैं, लेकिन कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में चलाने के लिए हमको व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, धनी युवकों को आवश्यक रूप से अपनाना होगा, उनको आगे इसमें लाना होगा, जिनको सरकार इस चीज की ट्रेनिंग दी गई है । हमारी एक कल्पना है स्टेट और निजी क्षेत्र की, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, किन्तु मैं इस आदरणीय सदन से कहना चाहता हूं कि हमको तीसरा क्षेत्र भी खोजना होगा । इन दोनों सेक्टरों के अलावा इनके बीच में हमें एक तीसरा सेक्टर राज्य या नेशनल सेक्टर भी बनाना होगा, जिसमें राज्य हो और निजी सम्पत्ति हो और मजदूरों की भागीदारी हो । उसमें मजदूरों को भी हमें भागीदार करना होगा । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि औद्योगिक इकाईयां लगाने के लिए औद्योगिक सुविधायें देने में पिछली सरकार ने क्षेत्रीय असमानताएं बरती हैं । उनका चयन राजनैतिक दृष्टिकोण से किया है । जो बड़े-बड़े नेताओं के निजी क्षेत्र में उनको उद्योग-शून्य जिला घोषित कर दिया गया । राजीव और इन्दिरा गांधी के निर्वाचन क्षेत्र के जिले सुल्तानपुर और रायबरेली, तथा तिवारी जी का जिला नैनीताल उद्योग-शून्य जिला घोषित कर दिये गये और उद्योग स्थापना संबंधी तमाम सुविधायें वहीं जमा कर दी गई और वहीं के लिए सब्सिडी दी गई 'ए' श्रेणी में रखकर सुल्तानपुर में करोड़ों रुपये के कारखाने लग गये और रायबरेली में और जितने भी जिले हैं जहां पर उद्योग लगे हैं उनको सुविधायें प्राप्त हैं । और जो दूसरे उद्योग शून्य पिछड़े जिले हैं उनको प्राप्त नहीं हैं । एक बात और कहना चाहूंगा कि पूर्वी जिले बुन्देलखण्ड और पश्चिमी जिले के बीच में एक क्षेत्र और है । जो सेन्ट्रल यू० पी० है बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर जनपद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं । न तो यहां पर बड़े उद्योग हैं और न सुविधायें हैं । जो हमने कैटेगरी की है उसमें उन जिलों को स्थान नहीं दिया गया है । जहां पर आप बुन्देलेखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों की और पूर्वांचल की बात सोचते हैं वहां पर सेन्ट्रल यू० पी० के बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर पर विशेष ध्यान दिया जाय । जो पिछड़े और गरीबे 20 जिले हैं उनमें उद्योगों का विकास किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठ जायें ।

श्री कृष्ण स्वरूप वंश्य—

मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने एक राम सहाय कमेटी का गठन किया था जो प्रदेश की औद्योगिक पुनरंचना के बारे में विचार कर । उसने जो सुझाव दिये वह अंग्रेजी में हैं उसे मैं पढ़ देता हूं और बाद में हिन्दी अनुवाद कर दूंगा :—

वी नीड टू क्रीएट कान्सससनेस फार इन्वेस्टमेन्ट एण्ड इनीसियेटिव फार इण्टर प्राइजेज, वी नीड टू क्रीएट हन्डड्स आफ स्मालर टाटा एण्ड बिरलाज, दयर इज नीड टू लुक इन्टू टैक्सेसन पालिसी टू डिवाइस सिस्टम विच विल एलो प्राइवेट इन्टरप्राइजेज टू ग्रोव मच मार स्मूथी बेद लेसर कन्ट्राल एण्ड लाइसेंसिंग सिस्टम ।

रूल फार गिविन लोन्स बाई द फाइनेंसियल इन्स्टीट्यूशन हैव टू बी रिलेक्सड ।

हम औद्योगिक क्षेत्र में अपनी एक ऐसा नीति बनायें, टैक्सेशन की पालिसी को सरल कर, लाइसन्स को पालिसी को सरल कर, ऐसा वातावरण बनाय जिससे हमार प्रदेश का नक्शा बदले और प्रदेश की गरीबी दूर करन के लिए प्रदेश के अन्दर कुटीर और छोटे उद्योगों की स्थापना करें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप आसन ग्रहण करें ।

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि उद्योग के बजट पर विचार प्रकट करने का आपने अवसर दिया । माननीय उद्योग मंत्री जी ने प्रदेश की उद्योग नीति के बारे में जिस प्रकार स बजट प्रस्तुत किया है वह प्रशंसा के योग्य है । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक की जो उद्योग संबंधी नीति उत्तर प्रदेश में चली वह नगरोन्मुख थी । मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी एक नगरोन्मुख पूंजी विनियोजन हुआ । पहली बार उत्तर प्रदेश में ग्रामोन्मुखी पूंजी निवेश हुआ है । उद्योग नीति के संबंध में बराबर चर्चा होती है और श्रीमन् बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आगरा में ताजमहल के इर्द-गिर्द करीब 72 किलोमीटर में कोई धुंआ उगलने वाला इन्डस्ट्री स्थापित नहीं हो सकती । इस पर प्रतिबन्ध है । मैं पांच साल से रोजाना हल्ला मचा रहा हूं और बार-बार इस सदन में कहा जाता है कि इलेक्ट्रानिक टाइप इन्डस्ट्री स्थापित की जायेगी । लेकिन उसका कोई प्रारूप नहीं बना । श्रीमन् मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि 72 किलोमीटर की परिधि को घटाकर 30 किलोमीटर कर दें ताकि जो इतनी बड़ी परिधि जो उद्योग शून्य बनती जा रही है वहां पर उद्योग स्थापित हो सके । मान्यवर, फिरोजाबाद की कांच इन्डस्ट्री के बारे में मंत्री जी ने कहा मैं बधाई देना चाहता हूं । गैस पर आधारित इन्डस्ट्री को बनाने का जो संकल्प है मैं कहना चाहता हूं कि पांच साल में गैस पर आधारित कांच उद्योग को बढ़ने के लिए समय लगेगा । यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है । मान्यवर, जो इसके बारे में तकनीक जानते हैं, फिरोजाबाद के लोगों की कमेटी और उन लोगों की कमेटी मिला-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर बनाई जाए जो गैस पर आधारित उद्योग लगाना चाहते हैं उनको जानकारी दे सकें। और जो मार्जिन मनी सरकार लगाए या अपनी भट्टी को तोड़कर जो दूसरी भट्टी लगाए उसके लिए मार्जिन मनी देने की व्यवस्था सरकार करेगी इसके लिए अध्ययन होना चाहिए तो फिरोजाबाद की इन्डस्ट्री को चलाया जा सके। जो छोटी-छोटी इन्डस्ट्री के बारे में आपकी योजनायें हैं उन योजनाओं का कार्यान्वयन करना चाहिए। मान्यवर, इसके अलावा मैं उद्योग बंधुओं के बारे में कहना चाहूंगा। मुझे इसमें जानकारी है कि एक-एक पत्रावली पांच-पांच साल तक लम्बित पड़ी है। उसमें कोई निर्णय नहीं हो पाता है। उद्योग बंधुओं को जिले में मंडल में यह आदेश दिए जाने चाहिए कि वह फाइल का निस्तारण तीन चार महीने में कर दें। तीन चार महीनों में फाइलों का निस्तारण होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

अब स्थान ग्रहण करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग समितियों के गठन के देने के लिये जो कहा गया है उसमें निवेदन है कि उद्योग सरकार के हाथ में आने से घाटे में चले जाएंगे। आमतौर से यह धारणा बनी हुई है कि जिस-जिसकी सरकार पकड़ लेती है वह घाटे में चला जाता है, लेकिन जो संयुक्त रूप से मिलकर उद्योग चलाने की नीति बनाई है वह प्रशंसनीय है उसमें 10 करोड़ वाले ही नहीं जो 5 करोड़ तक जो निगम घाटे में हैं उनको भी लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनका समर्थन करता हूं।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय, आपने उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया। उद्योग की मुख्य भूमिका विद्युत, कार्य पूंजी और विभागीय अधिकारी का सहयोग, यह तीन चीजें हैं। यह कहना न्याय संगत नहीं है कि इसके पहले गांव या उद्योग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इस सच्चाई को मैं स्वीकार करती हूं कि संबन्धित विभागों के उपेक्षित व्यवहार से विशेष रूप से विद्युत विभाग पर आरोप लगते हैं कि उनकी उदासीनता से, और दूसरा कार्य पूंजी, मेरे पास प्रमाण हैं, जो उद्योग आज नये लगे हैं विद्युत बोर्ड ने बिजली की मंजूरी दे दी है, लेकिन अधिकारी जब तक अपना कमीशन या रिश्वत कहिए वह नहीं ले लेंगे देंगे ही नहीं। मान्यवर, उद्योग को बीमार किए हुए हैं। बिजली उद्योग किस लिए बीमार हुए। गहराई से आप नहीं देख रहे हैं और पूरा बजट उपेक्षित है उन मुद्दों से जिससे उद्योग आगे बढ़ सकते हैं।

मान्यवर, कार्यपूंजी जिसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं उस संबंध में एक प्रश्न किया गया था और माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने उत्तर दिया था और कहा था कि कार्य पूंजी दे रहे हैं। मेरी निजी जानकारी है कि कार्यपूंजी, वर्किंग कैपिटल आज तक मंत्री जी नहीं दे रहे हैं इसकी जानकारी करा लें। मान्यवर, यह जो बजट भाषण है इसके पृष्ठ 28 पर उद्योग के संबंध में कहा गया है कि प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में औद्योगिक योगदान को बढ़ाना, रोजगार मूलक लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देना व क्षेत्रीय असंतुलन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समाप्त करना, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं व भूतपूर्व सैनिकों को विशेष सुविधायें देकर उन्हें उद्योग लगाने के लिये आकर्षित करना'' तो मान्यवर इसमें कुछ लोग छूट गये हैं जिनका नाम नहीं है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम इसमें से काट दिया गया है । तो मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिन्होंने देश को आजादी दिलाई उनके साथ अन्याय न किया जाय और उनका नाम भी इसमें जोड़ा जाय । इसी तरह से मान्यवर, विकलांगों की बात कहूंगी उनको भी उद्योग लगाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि तमाम ऐसे स्थान हैं जो न गांव हैं न शहर । यह स्थान नगर विस्तार योजना के अन्तर्गत आते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि मैंने नगर विस्तार योजना के गांवों को देखा है और आपके उद्योग विभाग ने उनके बारे में कहा है-दिस इज गोल्ड माइन फार वर्क-यह हमारे लिये सोने की खान है तो मैं निवेदन करना चाहूंगी सिंचाई मंत्री जी से कि उद्योगों को बढ़ायें नहीं तो यह केवल नारा रह गया है । इसके साथ ही मैं इस बजट का विरोध करती हूं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर) ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, लिस्ट में मेरा भी नाम है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया विराजें, आपको मौका मिलेगा ।

*श्री मारकण्डेय चन्द्र—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी ने प्रदेश का स्थान दूसरे-तीसरे नंबर पर बताया है । पहले हमारे प्रदेश का स्थान 5वें या छठे स्थान पर था । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित कराना चाहूंगा । 40 वर्षों से कांग्रेस सरकार ने प्रदेश तथा देश स्तर पर कहा कि पूर्वी जिले पिछड़े हुये हैं लेकिन पूर्वी जिलों को कोई सम्मान नहीं दिया गया । पिछले 40 वर्षों तक कांग्रेस सरकार ने इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कोई उपाय नहीं किया । जब पूर्वी जिलों का उद्योगों में क्या स्थान है, यह बात होती है तो हम यह समक्ष नहीं पाते हैं कि उनका स्थान उद्योगों में कहां है । जो औद्योगिक दृष्टि से शून्य जिले हैं उनसे भी नीचे स्थान पूर्वी जिलों का आता है । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब किसी चीज की बहुत उपेक्षा होती है या बहुत दबाया जाता है तो उसका विकल्प ढूढ़ा जाता है । आज पर्वतीय जिलों और देश के अन्य भागों में असंतोष वहां की उपेक्षा के कारण बढ़ता जा रहा है । पिछले 40 सालों से पूर्वी जिलों की आवाज न देश की सरकार ने सुनी और न प्रदेश की सरकार ने सुनी । आज उद्योगों को बढ़ावा देने वाली सरकार है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्वी जिलों के लिये औद्योगिक नीति में परिवर्तन करने की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । पूर्वी जिलों के गोरखपुर, फैजाबाद, बनारस मण्डल के जिले हैं, जो आज उद्योग की दिशा में कहीं नहीं हैं । अगर उनको फिर से स्थान नहीं दिया गया, तो स्थिति विस्फोटक हो जायेगी । पूर्वी जिलों में जो गन्ने की मिलें लगी हुई हैं, उनका कोई विकास नहीं हो रहा है, वह सैकड़ों साल की हैं, वह जरजर हो गयी हैं. उससे गन्ना किसानों का भी कोई लाभ नहीं हो रहा है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और उन्हें उद्योग में मान कर कई उन जिलों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है । अन्त में मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि आज की बैठक में यह मालूम हुआ कि उद्योग विभाग बन विन्डो स्कीम चला कर 10 लाख तक के उद्योग को 5 लाख कार्यशील पूंजी दे रहा है । इस प्रकार जिन उद्योगों को पहले वित्त पोषित किया गया है और कार्यशील पूंजी के अभाव में बन्द हैं, उन्हें भी 5 लाख तक की कार्यशील पूंजी दी जाय, ताकि वह उत्पादन कर सकें ।

श्री महेन्द्र सिंह—

मान्यवर, पालिसी तो यहां पर बनती है, केवल मैदानी क्षेत्र को देख कर सम्पूर्ण पर्वतीय अंचल आज उद्योग विहीन है । सरकार अगर खनिज सम्पदाओं का आंकलन करे, तो पर्वतीय अंचल भारी मात्रा में खनिज सम्पदाओं से भरा पड़ा हुआ है, परन्तु सरकार की पालिसी भ्रांतिपूर्ण है, कोई उद्योग नीति पहाड़ों के लिए नहीं बनाई । मेरे जनपद पिथौरागढ़ में सन् 1972 में एक खनिज प्रयोगशाला का निर्माण हुआ था, वह इस उद्देश्य से हुआ था कि वहां की खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण किया करेगी, परन्तु नई सरकार के आते ही खनिज प्रयोगशाला को पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में लाने के लिये आदेश किये गये, जिसकी संस्तुति माननीय पर्वतीय विकास मंत्री से तथा माननीय मुख्य मंत्री जी से नहीं ली गयी और यह शासन देश पर्वतीय अंचलों के लिए है कि यदि पर्वतीय अंचल के सरकारी अधिकारीगण, कर्मचारीगण एक विभागों के स्थानांतरण किये जायं, तो उसमें पर्वतीय विकास मंत्री या मुख्य मंत्री जी की संस्तुति लेना आवश्यक है, परन्तु उसमें केवल एक पचास वर्ष के व्यक्ति को लखनऊ में नियुक्ति देकर पिथौरागढ़ भेजा गया और उसको मैदानी क्षेत्र में लाने के लिए पूरी प्रयोगशाला को स्थानांतरित करने का एक नाटक रचा गया । इसी तरह से संबंधित लीज का मामला मैदानी क्षेत्र में तय किया जाता है, जब कि पर्वतीय क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि मिलना कठिन होता है । आज पर्वतीय क्षेत्र में मानक रखा गया है कि 10 एकड़ भूमि वाले को लीज दी जायगी, जबकि हमारे यहां पर्वतीय अंचल में 12 गज और 20 गज की एक नाली होती है और दो नाली बहुत बड़े आदमी के पास मानी जाती तो इस तरह 10 एकड़ किस के पास लीज पाने के लिए होना असम्भव है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इसमें आधा एकड़ पर्वतीय अंचल के लिए लीज हेतु अपना मानक रखे । मान्यवर, जहां तक उद्योगों की बात है । पर्वतीय क्षेत्र के हमारे जनपद पिथौरागढ़ में कलकत्ता और उड़ीसा के लोगों के उद्योग लगे हुए हैं जिसमें एक फैक्टरी कलकत्ता की 4 साल से बन्द है और सिक यूनिट घोषित हो चुकी है और उस यूनिट ने 2 करोड़ रुपये लेने की सरकार से अपेक्षा की है । दूसरे इन फैक्टरियों की वजह से हमारे यहां का पर्यावरण बड़ा दूषित हो गया है और वहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है । क्या सरकार ने इन्हें पर्यावरण उपकारणों हेतु जो आब्जेक्शन दिया है ? सरकार वहां के सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य का अगर ध्यान रखती है तो उन उपकरणों की जांच की जाय अन्यथा इस तरह की फैक्ट्रियों पर रोक लगाई जाय । इसीलिये मैं सरकार की नीति के विरोध में प्रस्तुत कटमोशन का समर्थन करता हूं ।

(समय 2 बज कर 32 मिनट)

डा0 शमी (शमीम) अहमद खां—

मान्यवर, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं मुरादाबाद के जनपद से आया हूं और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान मुरादाबाद बरतन सनद पर दिलाना चाहता हूं जैसा उन्होंने बजट भाषण में बताया कि ब्रास वेयर कार्पोरेशन घाटे में चल रहा है इसलिए उसे कार्पोरेशन को सुधारना होगा और बरतन मजदूरों को खास तौर से ख्याल रखना होगा । केवल यह बरतन उद्योग 200 करोड़ विदेशी मुद्रा आपको देता

है । इसलिए मेरा निवेदन है कि बरतन सनद के सिलसिले में आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए । आपने यह भी फरमाया है कि हमें सनद गांवों में लगाना है अगर गांवों में सनद लगाना है तो आपको गौर करना होगा कि बिजली का उत्पादन जो अभी भी बहुत कम है उसको कैसे बढ़ाया जाय । मैंने पहले भी यह सुझाव दिया था और आज भी कह रहा हूं कि चाहे निजी उद्योग में या कोआपरेटिव सेक्टर में कैप्टिव पावर प्लांट जैसे आंध्र और कर्नाटक में है, वह उत्तर प्रदेश में लगने चाहिए । इसी तरह से हमारा बिजली का उत्पादन बढ़ेगा और 15 फीसदी जो उद्योग गांवों में लग रहे हैं उनको भी इससे बिजली मिल जायेगी । वैसे ही सिंचाई और ट्यूबवेल के लिए हमें बिजली कम मिलती है इसलिए हमें बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कैप्टिव पावर प्लांट को लगाना होगा ।

मान्यवर, जहां तक बुनकरों का मामला है, फिरोजाबाद की चूड़ियों का मामला है तो उसमें आपको पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात को सुधारना होगा, उनका ख्याल रखना होगा । अबिलम्बी, माईनॉरिटी कार्पोरेशन के बजट की धनराशि बढ़ाई जाय और इसमें अकलियती को ऋण दिलाकर इनकी सनत को बढ़ावा दिया जाय । इन्हीं छोटे लोगों ने शासन परिवर्तन किया है और यह आपकी हुकूमत से बड़ी आस लगाये हैं । इन्हीं अल्फाज के साथ बजट का समर्थन करते हुये यह आशा करता हूं कि ईमानदारी और नेकनीयती से इस बजट को लागू करके गरीबों और इन मजदूरों का भला करेंगे, जो आज इस सत्ता परिवर्तन में शामिल हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ।

श्री अमरपाल सिंह—

मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सरधना में ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए काफी पोटेन्शियल है, मेरा सुझाव है इस क्षेत्र में ग्रामीण औद्योगीकरण अभियान चलाया जाय जैसे हथकरघा, पावरलूम, खेल-कूद का सामान बनाने के उद्योग, चमड़ा पर आधारित उद्योग, इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, होजरी इसके अलावा यह क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, कई गन्ना मिल चल रही हैं जिसमें गन्ना की बाईप्रोडक्ट शीरा, खोई एलकोहल, पर आधारित उद्योग लगाये जांय । इस केन्द्र में बड़ी मात्रा में आलू पैदा होता है आलू पर आधारित एक उद्योग लगाया जाना चाहिए । इसी के साथ साथ मेरे जनपद मेरठ को जीरो एरिया में घोषित किया जाय । मान्यवर, जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने श्री वी0 के0 मल्होत्रा, उद्योग निगम के एम0 डी0 का ट्रान्सफर किया है . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

अगर लिखा हुआ सुझाव हो तो मंत्रीजी के पास पहुंचा दें ।

श्री अमर पाल सिंह—

मान्यवर, इससे माननीय मंत्रीजी की ईमानदारी एवं चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगता है । इसी के साथ मैं कटौती का समर्थन करता हूं ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र—

मान्यवर, आपने मुझे उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया बोल रहें । आसन ग्रहण करें ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि गांवों में उद्योग लगेंगे, नये उद्योग खोलेंगे, लेकिन कहीं भी उद्योग खुले नहीं हैं । आपने खादी एवं ग्रामोद्योग, लघु उद्योग आदि के बारे में कहा था और मौजूदा सरकार ने बताया कि हम आठवीं योजना में 5 लाख नयी इकाइयां खोलेंगे । मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं, आपके माध्यम से, माननीय मंत्रीजी से कि जो नयी पांच लाख इकाइयां खोलने जा रहे हैं, उसके पहले जो पुरानी इकाइयां चल रही हैं, जो शून्य हो गयी हैं, निर्जीव हो गयी हैं, उनके अन्दर जीवन पैदा करना है, उनको आगे चलाना है । लघु उद्योग और खादी और ग्रामोद्योग ज्यादा से ज्यादा लगाने हैं ग्रामीण क्षेत्र में । माननीय मुख्य मंत्रीजी चुनाव के समय हरदोई जनपद के हमारे मल्लावां क्षेत्र में गये थे, वहां उन्होंने कह दिया कि चीनी मिल स्थापित करेंगे । मैं अनुरोध करूंगा कि हरदोई का मल्लावां क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । वहां पर एक चीनी मिल स्थापित की जाय, जिससे वहां पर लोगों को रोजगार मिल सके और वहां पर जो गन्ना काफी मात्रा में पैदा किया जाता है, उससे हमें लाभ मिल सके । मैं बताना चाहता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग की इकाइयों को पुनर्जीवित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बिराजें ।

श्री धर्मज्ञ मिश्र—

मान्यवर, छोटे उद्योगों को लगाने के लिये, पत्रकारों को उद्योग लगाने के लिये, उनको प्रेस लगाने के लिये कम ब्याज में यह ऋण दिया जाय जिससे कि पत्रकारिता को आगे बढ़ाया जाय और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले । इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बजट का विरोध करता हूं ।

श्री बहादुर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत उद्योग के बजट पर बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । साथ ही साथ मैं उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । उद्योग मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कांच, चूड़ी और ताला को सरकारी संरक्षण प्रदान करने का उल्लेख किया है, लेकिन मंत्रीजी भूल गये कि वे चूड़ी पहनने वाली औरतों और ताले का उपयोग कहां होगा । उसके लिये मकान की आवश्यकता है । उसके बनाने में मुख्य इकाई ईंट भट्ठे की है । मकान में ईंट लगती है । मेरा सुझाव है कि ईंट भट्ठे को उद्योग का दर्जा प्रदान किया जाय और वित्तीय सुविधाएं प्रदान की जांए । भट्ठा उद्योग आम आदमी की तीन आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान में से दो आवश्यकताएं पूरी करता है । भट्ठा देहात की जनता को रोजगार के रूप में मजदूरी देता है, उसमें रोटी होती है और मकान बनाने के लिये ईंट उपलब्ध कराता है । मेरा सुझाव है कि ईंट भट्ठे के उद्योग को भी संरक्षण प्रदान करें । इसी के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उद्योग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो अपनी नीति स्पष्ट की है उससे ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी उपेक्षा की गयी, बड़े पैमाने पर लघु उद्योग एवं अन्य किस्म के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा । मान्यवर, मुझे आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से कहना है कि जैसी की घोषणा की गयी है, उस घोषणा के अनुसार अगर यह नीति कागज पर न रहकर, व्यवहारिकता में परिणत हो जायेगी तो अच्छा होगा । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह देखा गया है कि जिन जिलों में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की मान्यता दी गयी है, उनमें ज्यादातर अन्य जनपदों और अन्य प्रदेश के लोगों ने उद्योग स्थापित किये हैं, जिसमें जनपद के मजदूरों और जनपद के कर्मचारियों को रोजगार के तौर पर नहीं लिया जाता है । मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस उद्योगों को मान्यता दी जाय उन्हें यह स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि उसमें जनपद के लोगों को ही मौका दिया जाय । मान्यवर, बहुत से बीहड़ क्षेत्र में औद्योगीकरण नहीं हो रहा है, हमारा जनपद जालौन है, वहां पर बड़े पैमाने पर उद्योग लगाकर, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और उस भूमि का उपयोग किया जा सकता है । वहां प्राप्त खनिज और जो जडी बूटियां हैं, उससे संबंधित उद्योगों को भी वहां लगाया जा सकता है । मैं अनुरोध करूंगा कि इस मामले में विशेष ध्यान दिया जाय ज्यादा से ज्यादा उद्योग इस क्षेत्र में लगाये जायं ताकि इस भूमि का उपयोग हो सके । मान्यवर, मैं यह भी कहना

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें । आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री शिवराम सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि उद्योग से संबंधित ऐसी नीति बनायी जाय कि जो बैंक में इस संबंध में लोग जाते हैं उनके प्रार्थना-पत्र जाते हैं उनका अनिवार्यता के साथ बैंक के कर्मचारी निस्तारण करें । आपने समय दिया, धन्यवाद ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत उद्योग विभाग के बजट पर बोलने का समय दिया । मान्यवर, पूर्व सरकार की जो गलत नीतियां थीं, उसके कारण से यह प्रदेश पिछड़ा और उसके कारण पूरे प्रदेश और देश के अन्दर बेरोजगारी बढ़ी है । मान्यवर, प्रदेश में अनेकों निगम ऐसे हैं, जिनमें भयंकर रूप से घाटा चल रहा है । पूर्व सरकार की गलत नीतियों के कारण से जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिस कारण यह निगम घाटे में चल रहे हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि जो निगम घाटे में चल रहे हैं, उन निगमों को अगर बन्द किया जायेगा तो संबंधित लोगों को कहीं न कहीं समायोजित कर लगाया जायेगा । तमाम ऐसे निगम हैं जिसमें घाटा इस कारण से है कि वहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने तथा शोर करने पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठें । कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

14 जुलाई को बम्बई में अपट्रान एवार्ड का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें 70 लाख रु0 खर्च हो रहा है, उसको रोका जाय, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं । हार्टिको के अन्दर जो घाटा हुआ है उसका कारण क्या था उनकी जांच कराई जाय । उसमें एक यह भी था कि जो पेय पदार्थ वहां बनते हैं और जो तमाम चीजें बनती हैं सेम्पल के रूप में अधिकारियों और मंत्रियों के यहां पहुंच रहे थे घाटे का मुख्य कारण अधिकारियों की मनमानी थी । जो नयी उद्योग नीति बने उससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले ताकि जन शक्ति का उपयोग हो सके । हमारे पास जमीन कम है, धन कम है, बेरोजगारी अधिक है । नीतियां ऐसी बने कि लोगों को काम मिल सके । मशीनों का इस्तेमाल कम करके, हाथों का इस्तेमाल अधिक हो उन हाथों से अधिक काम लिया जाय, छोटे लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास किये जायं । जिन छोटे उद्योगों में जो सामान बन सकते हैं, उनको बड़े उद्योगों में बनने से रोका जाय । जो कच्चा माल लघु उद्योगों में प्रयोग होता है, उसके मिलने में कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों को दूर किया जाय ।

श्री अधिठाता—

अब आप बैठें ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

जैसे लखनऊ में यहां चिकन का काम होता है उसे बढ़ाया जाये ऐसे तमाम छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिये विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाय । जो छोटे-छोटे सामान हैं, साबुन हैं दियासलाई आदि, उनको उन उद्योगों को यहां बढ़ाने के लिये प्रयास किये जायं । ताकि लोगों को रोजगार मिल सके । लाखों करोड़ों हाथ जो बेरोजगार हैं उनको काम मिल सके ।

माननीय उद्योग मंत्री ने बजट में जो घोषणायें की हैं उससे 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा । मुझे विश्वास है, जो कांग्रेस की गलत नीतियां रही हैं, उनको बदलकर नई व्यवस्था लागू करनी होगी, जब व्यवस्था बदलेगी तब पूरे प्रदेश में तमाम बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा । इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि निगमों में जो घाटे हो रहे हैं, उनके घाटों की जांच के लिये सदन की एक उच्चस्तरीय सर्वाधिकार प्राप्त कमेटी बनाई जाये और घाटों को रोकने के लिये व्यापक स्तर पर आडिट कराया जाय । मान्यवर, केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि अमुक निगम में 10 करोड का घाटा है, तो हम उसे बन्द कर देंगे, बल्कि घाटों को रोकने के लिये प्रयास करने होंगे । अगर प्रयास नहीं किया गया, तो तमाम निगम बन्द हो जायेंगे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए बिक्रीकर समाप्त कर [illegible] होगा । इसी के साथ मैं [illegible] ।

श्री कल्याण सिंह—

माननीय, माननीय रवीन्द्र शुक्ला काफी तैयारी करके आये हैं, अगर समय दे दें, तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, शुक्ला जी बोलें ।

*श्री रवीन्द्र शुक्ला—

माननीय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम आपने मुझको समय दे दिया । विगत 43 वर्षों से, भारत की स्वतंत्रता के बाद से बुन्देलखंड को पिछड़ा शब्द का विशेषण मिलता रहा है, इसके लिये मैं पिछली सरकार को बधाई देना चाहता हूं और इस सरकार ने भी बुन्देलखंड के साथ पिछड़ा शब्द जोड़ रखा है, उसके लिये मैं इन लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं । इस बजट में बुन्देलखंड का नाम तो लिया गया है, लेकिन कोई प्रोत्साहन देने की योजना ऐसी समझ में नहीं आई, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके । बहुत सी और बातें इस क्षेत्र के बारे में कहीं गयी, लेकिन उद्योग लगाने की बात नहीं हुयी । झांसी के अन्दर कृषि पर आधारित जीविका नहीं है और पथरीला इलाका होने के कारण इसका पर्वतीय क्षेत्र के साथ नाम आता है, लेकिन बराबर झांसी के साथ क्षेत्रीय विषमता हुयी है और अन्याय हुआ है । बुन्देलखंड के अन्दर जितने भी उद्योग लगाये गये, उनके संबंध में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 80 प्रतिशत उद्योग इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में रुग्ण हो गये हैं अथवा रुग्ण होने की स्थिति में हैं । माननीय, मैं केवल सुझाव देना चाहता हूं कि जो वित्त निगम है, उसका बैंकों के साथ सामंजस्य न होने के कारण, जब वित्त निगम पैसा देता है, तो बैंक उसको पैसा नहीं देते, जिससे कार्यशील पूंजी के अभाव में उद्यमी को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है, परिणामस्वरूप वह उद्योग लगते-लगते रुग्ण होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं । मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी से मांग करता हूं कि जब वित्त निगम हमारा वित्त दिया जाय, उसके साथ ही कार्यशील पूंजी की व्यवस्था भी की जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मोरे कटौती प्रस्ताव पर जितने भी माननीय सदस्य, इस आदरणीय सदन में बोले, चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के, सभी ने एक बात कही है कि उद्योग विभाग के डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज सेन्टर जो हैं, उनके द्वारा जो छोटी-छोटी इकाईयां प्रदेश में लगाई जाती हैं, उनको उनसे जो सहायता और सुविधा सहयोग मिलना चाहिये, वह नहीं मिल रहा है, जिससे 85 प्रतिशत उद्योग लगने के साथ ही काम करना बन्द कर देते हैं । जब वह बनकर तैयार होते हैं, तो उनको वर्किंग कैपिटल नहीं मिलती, जिससे भी उनको बन्द होना पड़ता है । इसी प्रकार बिजली की दिक्कत आती है, कोई भी उद्योग प्रदेश में बिना बिजली के नहीं लग सकता । इसलिये बिजली की सुविधा, पैसे की सुविधा, बिक्रीकर आदि सुविधायें प्रदेश के अन्दर छोटी यूनिट्स को उपलब्ध कराई जायें । माननीय, यह उद्यमी जो लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, उनको

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

सुविधायें न मिलने की वजह से पैसों की देनदारी बढ़ जाती है । जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर है, जो डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज आफीसर हैं, उनका आचरण, उनका काम करने का तरीका साहबी, अधिकारीपन का है, जबकि उनका व्यवसायिक दृष्टिकोण होना चाहिये। अगर उद्यमियों को शासन से सुविधायें नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, तो काम कैसे चलेगा ? हमारे बदायूं जनपद के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उसे उद्योग शून्य जिला घोषित किया जाय, क्योंकि वहां कोई उद्योग नहीं है । केवल कृषि है । इसलिए कृषि पर आधारित उद्योग यहां पर लगाये जाने चाहिए । जो कैपिटल सब्सिडी की स्कीम है, इस जनपद को उसमें "अ" श्रेणी में रखा जाय । मेरे विधान सभा क्षेत्र कटरी में एक भागाघास होती है, जिसका कागज बनता है । हरिजन समाज कल्याण विभाग के श्री भाटी ने उसे स्वयं देखा है । यहां से यह घास कागज बनाने के लिए मुजफ्फरनगर भेजी जाती है । उस कटरी में अपराधशील लोग रहते हैं, जो बदायूं व एटा के बीच में है । इसलिए मेरी मांग है कि वहां पर कागज का उद्योग लगाया जाय, जिससे वहां पर अपराध की प्रवृत्ति भी घटेगी और बेरोजगारों को काम भी मिलेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री वीरेन्द्र नाथ दीक्षित—

मान्यवर, सिर्फ माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं, उसका उत्तर वह अपने भाषण में दे दें । प्राकृतिक गैस की उपलब्धता एवम् उसके मूल्य निर्धारण के विषय में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ आज तक क्या कार्यवाही की है । दूसरा, एरोमैटिक प्रोजेक्ट जो मुरादाबाद में लगना था, उसका क्या हुआ ।

श्री मनोहर लाल—

श्रम विभाग को भी इसमें शामिल कर लिया ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जो छोटा सामान बनाती हैं, उनको समाप्त किया जायेगा । तो क्या माननीय मंत्री जी हमारे इस प्रान्त में जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां छोटा सामान बना रही हैं, जैसे साबुन आदि, जैसे हिन्दुस्तान लीवर पूल के एजेन्ट यहां पर हैं उसे यहां से हटाने की कृपा करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं पक्ष व विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिये हैं । खासकर श्री वैश्य जी का । उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव में बहुमूल्य सुझाव दिये हैं । खासकर श्री वैश्य जी का । उन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव में भी हमारी ही बातों का समर्थन किया है, वर्तमान सरकार की नीतियों का समर्थन किया है । विगत वर्ष में लघु उद्योगों के लिए जो कठिनाई थी, उसकी ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है । मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह परिलक्षित हो जायेगा और वर्तमान सरकार इन उद्योगों को (लघु उद्योगों को) बढ़ाने में पूरी तरह से कटिबद्ध है, जो भी कठिनाईयां हैं, उन्हें समयबद्ध तरीके से दूर किया जायेगा । उद्योग-बन्धु एक ऐसा संगठन है, जिसके द्वारा उद्यमियों को जो कठिनाईयां होती हैं, उनका

निराकरण वहां पर कर दिया जाता है, इसलिए उन्हें दौड़ना नहीं पड़ता है । मैं आज इस आदरणीय सदन को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के आह्वाहन पर पूरे देश से बड़े-बड़े संगठनों के उद्योगपति आये थे । उन्होंने इस मीटिंग में इस बात को स्वीकार कि इस सरकार ने जो भी निर्णय लिये हैं, जो भी यह सरकार काम करने जा रही है । उसमें वह पूरी तरह से सहयोग देंगे । अभी श्री दीक्षित जी ने एक सवाल उठाया प्राकृतिक गैस व सलेमपुर में एरोमेटिक प्रोजेक्ट का । इन दोनों पर भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है । इटावा में और सलेमपुर में ये दोनों उद्योग लगने जा रहे हैं । इससे एक बड़ा पूंजी विनियोजन इस प्रदेश में हुआ है । मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो 15 प्रतिशत हमने विकास की गति को रखा है, उसे हम पूरा कर पायेंगे और इस प्रदेश का जो पिछड़ापन है उसे दूर करेंगे । इसके साथ-साथ यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि अभी जो ग्रामीण अंचलों में उद्योग नहीं दिखायी पड़ रहे हैं, पर्वतीय अंचल में नहीं दिखायी पड़ रहे हैं और दिखायी भी पड़ते हैं तो तमाम रुग्ण इकाइयां हैं, उन्हें फिर से पुनर्जीवित करेंगे और प्रदेश में ऐसा वातावरण बनायेंगे कि लोगों को बिजली, पानी, औद्योगिक शान्ति, औद्योगिक सद्भाव ये सब चीजें सुलभ हो सकें । हमारी कोशिश होगी कि इस प्रदेश को देश के अग्रगणी प्रदेशों में बनायें और आगे ले जायं । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनका कार्यान्वयन हम करेंगे ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

पूंजी अनुदान देने के लिये जो जिलों का वर्गीकरण किया गया है, उस पर पुनर्विचार करेंगे और बदायूं को "अ" श्रेणी में सम्मिलित करने पर विचार करेंगे ?

श्री मनोहर लाल—

क्या माननीय मंत्री जी श्रम विभाग और उद्योग विभाग का एक करने पर विचार करेंगे ? श्रम विभाग और उद्योग विभाग को अलग-अलग कर दिया गया है । श्रम विभाग और उद्योग विभाग को एक कर दिया जाय जिससे उद्योगों की प्रगति में जो बाधा आती है उसमें कमी ला सकें ।

श्री कल्याण सिंह—

पिछली सरकार के समय में प्रदेश के कुछ जिलों को उद्योग शून्य घोषित किया गया था और प्राथमिकतायें प्रदान की गयी थीं । इस नीति के निर्धारण में बहुत पक्षपात हुआ था । उस पक्षपात को देखते हुए नये सिरे से पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले का विषद सर्वेक्षण करायेंगे कि कौन-कौन जिले वास्तव में उद्योग शून्य हैं, क्या इस तरह की नयी नीति की घोषणा करने की स्थिति में हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय नेता, भारतीय जनता पार्टी ने एक अहम सवाल उठाया है, मैं उन्हें अवगत कराना चाहूंगा यह वर्गीकरण का काम भारत सरकार करती है, हम संस्तुति करते हैं लेकिन उनका एक फार्मूला है उसके अन्तर्गत जो रिकार्ड्स हैं उसके अनुसार निर्णय वे स्वयं लेते हैं और यह भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी तो इसे समाप्त कर दिया था उत्पादन योजना और वर्तमान सरकार ने, भारत

सरकार ने जो घोषणा की है उसमें केवल लघु उद्योगों के लिए यह सुविधा दी गयी है । आप अगर उन जिलों का नाम बतायेंगे तो हम देख लेंगे । भाई कल्याण सिंह जी ने जो कहा है, इसके बारे में भारत सरकार ही अपना वर्गीकरण घोषित करती है । मैं भारत सरकार को अपनी ओर से संस्तुति कर दूंगा कि एक बार फिर से सर्वेक्षण कराकर इसे देख लें ।

वर्गीकरण के लिये जो कहा गया है, यह एक नीति के अनुसार किया गया है, मैंने पहले ही कहा था, संभवत: आपने सुना नहीं कि सम्मानित सदस्य जो भी देंगे उस पर विचार किया जायगा और विचारोपरान्त जो भी आवश्यक निर्णय होगा, लिया जायगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी ने भी कहा । इस सरकार की स्पष्ट नीति है कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग के द्वारा ही उद्योग स्थापित करेंगे और ग्रामीण अंचलों में स्थापित करेंगे, जहां पर भारी उद्योग अनिवार्य हैं, वहीं पर लगाये जायेंगे । यही नीति बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के संबंध में भी है ।

मैंने देखा था 12 साल पहले जब मैं राज्य मंत्री उद्योग था तब मैं मोदीनगर गया था और मैंने वहां पर देखा कि केमिकल हो, स्टील हो, डालडा हो, बटन हो, धागे हों, सुई हों, यहां तक कि लालटेन हों यह सब वहां कारखानों में बनते हैं । सरकार की जो नीति है वह यह है कि यह सभी सामान गांवों में कुटीर उद्योग में बनें और भारी पूंजीपति इसे न बनायें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वैश्य जी से उम्मीद करता हूं कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4-उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,67,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 7-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7-उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों का चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 8-उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8—उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों के चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,79,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9—उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9-उद्योग विभाग (निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,39,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 89-सार्वजनिक उद्यम विभाग

*सिंचाई एवं लघु उद्योग मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

माननीय, मैं श्री राजपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 89-सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धन-राशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 26,49,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(इस समय 3 बजकर 8 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग), अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

*सिंचाई एवं लघु उद्योग मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 में समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,23,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मद संख्या 8(7) को भी पढ़ दीजिये ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,18,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैंने अभी सदन में कुछ समय पूर्व यह आग्रह किया था कि इस प्रदेश में लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, हथ करघा उद्योग, हस्त शिल्प उद्योग को बढ़ाने के लिये इस सरकार ने विशेष योजनायें बनाई हैं । इस सरकार का मानना है कि जब तक हथकरघा जो कि ग्रामीण अंचलों में अधिकांश भू-भाग में फैला है, कांग्रेस के बाद पूरे देश में अगर महत्वपूर्ण उद्योग है, तो हथकरघा है । हथ करघा के माध्यम से पूरे देश में इस सरकार ने नयी नीति अपनाई है । और इस प्रदेश में मान्यवर, अगर आप याद करें तो आजादी के पहले जब इस देश में अंग्रेजों ने मानचैस्टर और लंकाशायर में कपड़ा बनवाना शुरू किया और यहां के बुनकरों के उन्होंने हाथ कटवा दिये । इस प्रकार आजादी के पूर्व भी बुनकर यहां पर एक अहम मुद्दा था और आज भी एक अहम मुद्दा है । मान्यवर, इस सरकार का मानना है कि बड़े उद्योगों में जो कपड़ा बनता है उससे भी बेहतर कपड़ा आज हमारे हथकरघों में बनता है । अगर हम उनको प्रोत्साहित करें, बुनकरों को वह सुविधायें प्रदान करें तो आने वाले दिनों में इस प्रदेश और देश का नक्शा बदल सकता है । मान्यवर, इस प्रदेश में बहुत सी सुविधायें जो पहले नहीं थीं, वह प्रदान की जा

रही है । इस सरकार की मानना है कि यदि प्रदेश के विकास की गति बढ़ानी है, रोजगार देना है तो वह तभी सम्भव होगा जब हम ग्रामीण अंचलों में फैले हुये हथकरघा उद्योगों को बढ़ा सकें और बुनकरों को जो उनका सही हक है वह उनको दिला सकें । मान्यवर, इस समय इस प्रदेश में लगभग 15 लाख बुनकर हथकरघे में काम करते हैं । हमारे प्रदेश में हैंडलूम के अलावा पावर लूम भी कुछ भागों में चलते हैं लेकिन ज्यादातर लगभग 5 लाख इकाइयां हैंडलूम की हैं । मान्यवर, इतनी बड़ी संख्या में अन्य किसी प्रदेश में हथकरघा की इकाइयां नहीं हैं । इसलिये इस प्रदेश में उनकी तरक्की के लिये, उनकी बहबूदी के लिये और उनको अपने माल का सही उत्पाद मूल्य मिल सके, उसके लिये सरकार ने विशेष प्रयास किया है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि बहुत सी नई योजनायें इस सरकार ने उनके लिये बनायी हैं । जिससे इन बुनकर भाइयों को उनके उत्पादन का सही मूल्य मिल सके । मान्यवर, मैं भारत के प्रधान मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अभी दिल्ली में एक मीटिंग करके यह तय कराया कि जो एन0 टी0 सी0 की मिलें हैं उन्हें 5 प्रतिशत छूट पर सूत मिल सकेगा । मान्यवर, इसका रूल इस प्रदेश में पहले से चला आ रहा है । सूत निर्धारण की एक कमेटी यार्न फिक्सेशन कमेटी यहां पर बना दी गई है और इस समय कताई मिलें जो सूत उत्पादन करती हैं उसमें 5 प्रतिशत की छूट जनता धोती बनाने में और धागा बनाने में प्रदेश की सरकार देती है । इससे बुनकरों को सूत भी सस्ता मिलता है और उनको मुनाफा भी होता है । हम मानते हैं कि इसमें विचौलिये हैं और जो फायदा बुनकरों को मिलना चाहिए वह विचौलियों की वजह से उन्हें नहीं मिल पा रहा है । इसके लिये भारत सरकार ने माननीय शरद यादव जी, हथकरघा कपड़ा मंत्री ने एक मीटिंग अभी हाल ही में दिल्ली में बुलाई थी और उसमें यह निर्णय उन्होंने लिया है कि यह बात सुनिश्चित की जायेगी कि जो सहकारी, सरकारी या एन0 टी0 सी0 की मिलें हैं या प्राइवेट मिलें हैं उन सब में एकरूपता लाई जाय और बुनकरों को 5 प्रतिशत कम पर सूत मुहैया किया जाय और बुनकरों को बिचौलिये के जरिये सीधा दिया जा सके, सूत उपलब्ध किया जा सके जिससे वे अपने सामान का उत्पाद करके उसको बेंच सकें और उसका उन्हें फायदा मिल सके । मान्यवर इस पर भारत सरकार एक कमेटी बनाने जा रही है उसके बाद इस पर फैसला लिया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी अध्यक्ष पीठ की तरफ आपकी कमर नहीं होनी चाहिए ।

श्री रेवती रमण सिंह—

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आपकी तरफ मुखातिब होकर बोलूंगा । मान्यवर मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा रहा था कि भारत और प्रदेश सरकार की नीति क्या है । बुनकरों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये तमाम सुविधायें उनको दी जा रही हैं जैसे बुनकर बहबूदी फंड बनाया गया है जिसमें बुनकर भी रहेंगे और उसके माध्यम से उन्हें सुविधायें प्रदान की जाती हैं । उनकी आवासीय सुविधा के लिये योजना बनाई है और पिछले वर्ष 3 हजार आवास बनाये गये इस वर्ष 10 हजार आवास बनाने की योजना है जिससे उनको काम करने में सुविधा उपलब्ध हो सके ।

इसी तरह से बीमा योजना भी सरकार ने बनाई है जिसमें 5 रु0 बुनकर देंगे और बाकी सरकार देगी । तो इस तरह से बीमा योजना का भी लाभ दिया जायगा । आज प्रदेश में 80 लाख से एक करोड़ के बीच में बुनकर हैं जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या प्रदेश की जनसंख्या में है । इसमें अल्पसंख्यक भी काम करते हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग भी काम करते हैं उनकी तरक्की के लिये प्रदेश सरकार ने 88-89 में हथकरघा निगम और यू0 पी0 का0 जो कि उसकी सबसिडियरी कम्पनी है को 37.37 करोड़ रुपया मिला सूत के लिये और 89-90 में 35.88 करोड़ रुपये का सूत वितरित किया गया । इस प्रकार से लगभग एक वर्ष में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । यह इस बात का उल्लेख करती है कि हम बुनकरों को निरंतर सुविधायें उपलब्ध करा रहे हैं वर्ष 90-91 में बुनकरों को 65 करोड़ रुपये का सूत वितरित किया जायेगा । यह अपने आप में एक रिकार्ड होगा । इसके पहले इतने बड़े पैमाने पर बुनकरों को सूत कभी उपलब्ध नहीं कराया गया था । सूत बुनकरों के लिये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है जो कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है । इसके साथ ही बुनकरों को बुनकर कल्याण फण्ड से दीर्घ कालीन ऋण, बिजली पानी आदि की सुविधायें तथा लड़कियों की शादी आदि के लिये अनुदान देने की व्यवस्था है ।

मान्यवर, जहां यूपिका को सहकारिता के आधार पर हम बुनकरों को एंजीकृत करते हैं और उनको सुविधा उपलब्ध कराते हैं, वहीं हथकरघा निगम द्वारा हम व्यक्तिगत बुनकरों को सुविधा प्रदान करते हैं । मैंने भारत सरकार से आग्रह किया है कि जो सुविधायें हम सहकारी संस्थाओं को देते हैं उसमें नाबार्ड से जो पैसा मिलता है उसी तरह से इन व्यक्तिगत बुनकरों को भी सुविधायें उपलब्ध कराई जायें ।

मान्यवर, विपणन के लिये उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम द्वारा सुविधायें प्रदान की जाती है और उसके 228 केन्द्र यहां है और यूपिका द्वारा जो विपणन का काम होता है उसमें 118 केन्द्र हैं जो न केवल उ0 प्र0 में बल्कि सम्पूर्ण भारत में स्थित है, इनके द्वारा उत्पादित माल की बिक्री का हम प्रबंध करते हैं । इसके साथ ही बुनकरों का उत्पादन का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये 86-87 में आवास कार्यशाला योजना भी प्रदेश में धीरे-धीरे बहुत लोकप्रिय हो रही है । वर्ष 88-89 में इनकी संख्या 3,683 थी जो 89-90 में 10,825 कार्यशालायें हो गयी है । इस वर्ष 6,942 नयी कार्यशालाओं का निर्माण बुनकर बाहुल्य क्षेत्र में हुआ है, जो सराहनीय कदम है । बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा के लिये बीमा योजना लागू की गयी है । इसमें बुनकर सदस्य को मात्र 5 रुपये देना पड़ता है, 15 रुपये जीवन बीमा निगम देता है और 10 रुपये शासन देता है । लगभग 3000 रुपये बीमा की राशि उपलब्ध करायी जाती है । इसके अंतर्गत 89-90 में 10,000 बुनकरों को इसकी परिधि में लाकर लाभान्वित किया गया है और 90-91 में 50 हजार बुनकरों को लाभान्वित किया जायेगा ।

इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रदेश में हथकरघा उद्योग के संवर्धन के लिये ऐसा बनाया जायेगा कि यह देश का सबसे बड़ा हथकरघा निगम हो जाये । वर्ष 87-88 में 72 करोड़ का कुल उत्पादन था जो 89-90 में बढ़कर 110.45 करोड़ रुपये हो गया है । इस तरह से 53 प्रतिशत की वृद्धि इन दो सालों में हुयी है । इस तरह से यूपिका द्वारा 88-89 में 29.75 करोड़ रुपये का टर्न ओवर हुआ और 89-90 में 40.45 करोड़ रुपये होगा, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है । मान्यवर यह हमने दो निगमों की बात बतायी है । माननीय, अब मैं खादी बोर्ड और रेशम बोर्ड के बारे में बताना चाहता हूं । खादी आज वहीं खादी नहीं है जो यहां मा0 सदस्य पहनते

है बल्कि आज खादी का उपयोग इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि जीवन में हम जो पहनते हैं वह लगभग सभी चीजें खादी बोर्ड द्वारा बनाया जाता है और खादी के जो वस्त्र हैं उनका निर्यात भी किया जाता है, और जो आधुनिक तरीके के वस्त्र हैं उसके लिये भी खादी बोर्ड द्वारा उत्पादन केन्द्र खुले हैं जिससे युवक और युवतियों के टेस्ट के अनुसार कपड़ों का निर्माण हो रहा है। हम नुमाइशें लगवाते हैं जिससे उनको लोकप्रिय बनाया जाता है और उनको बिकवाते हैं। खादी में कुटीर उद्योग में बहुत ऐसी वस्तुयें हैं जिनके बारे में जन साधारण को मालूम नहीं है। यू0 पी0 निवास में एक छोटी सी प्रदर्शनी लगवायी थी तीन महीने पहले जिसमें 50 पत्रकार आये थे। माननीय, उन्होंने देखा और कहा है कि यह चीज खादी में उत्पादित होती है, यह हमको आज तक मालूम नहीं था। हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि जो सामान उत्पादित हों, उसके विपणन के लिए पूरे देश और प्रदेश में इस बात की व्यवस्था कर सकें कि उन उत्पादित माल पूरे देश में बिक सकें। इसके साथ हम इस बात की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सी चीजें बनाई जा सकें, जो रोजगार परक भी हों। आने वाले दिनों में 5 लाख लघु उद्योग और 3 लाख कुटीर उद्योग पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे। इसमें 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आज खादी, महात्मा गांधी जी के कहने के अनुसार इस देश में रस और बस गयी है। खादी एक ऐसी वस्तु है, जिसकी रीमा का कहीं अन्त नहीं है। इसीलिए हमने भारत सरकार से भी कहा है कि देश की बड़ी मिलों में जो सामान बने, उसे देश के बाहर बेचा जाए या उसे डाक वर्सीफाई कर दिया जाए। जैसे साबुन है, तो साबुन और उस सरीखी अनेक चीजों को छोटे उद्योग में बनाया जाए, तो उससे एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन आज साबुन बड़े उद्योगों में बनता है। अखबार, रेडियो और टी0 वी0 द्वारा इन चीजों को विज्ञापित कर मिल वाले उस साबुन की लागत को कहीं ज्यादा बढ़ाकर बाजार में बेचते हैं। इसीलिए उसका उत्पादन या तो बन्द कर दिया जाए या उसको डायवर्सीफ कर दिया जाए और यह हो जाए कि भविष्य में साबुन जैसी कोई चीज बड़े उद्योग में नहीं बनेगी। इससे हम बहुत से बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे या उस उद्योग में लगा सकेंगे।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

कभी कुछ काम तो आप अच्छे करते हैं।

श्री रेवती रमण सिंह—

इसीलिए तो आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप इधर चले आइये, सब अच्छी चीजें ही यहां मिलेंगी।

रेशम के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि रेशम इस देश का और प्रदेश का एक ऐसा वस्त्र है, इसको जितना उत्पादित किया उतना ही कम है। इस समय हमारे देश में रेशम खासकर 2, 3 जगह उत्पादित होता है। एक तो उसका उत्पादन कर्नाटक में होता है, जो सबसे अग्रणी प्रदेश है और जहां से हमें भी मंगाना पड़ता है। फिर इसके बाद आसाम में रेशम पैदा होता है या फिर मिजोरम और नागालैण्ड जैसे जो छोटे प्रदेश उनमें पैदा होता है। माननीय, अभी तक 89-90 में शहतूत से आच्छादित क्षेत्र 3 हजार एकड़ थे, जिसे बढ़ाकर, अतिरिक्त 2000 एकड़ हम अगले वर्ष में करने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ शहतूत कीड़ों का उत्पादन 204 पौण्ड था, उसे केवल 90-91 में 966 और बढ़ाने जा रहे हैं। माननीय, ऐसी स्थिति रेशम धागा उत्पादन के बारे में भी है।

इस प्रदेश में रेशम का धागा केवल 9 टन पैदा होता था, जिसको हम इस साल बढ़ाकर 25 टन करने जा रहे हैं। इसे 25 टन करने की हमारी योजना है। इससे 6,400 अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह कीट पालकों की भी बात है। पहले जो उसे मिलता था, अब उनको 6,400 मिलेगा। इसे पूरे प्रदेश में और प्रचारित करने के लिए तथा और अच्छा रेशम बनाने के लिए हमने कीटपालकों को अलग से धन देने की व्यवस्था कराई है, जिससे कि उनको अधिक से अधिक पैसा मिल सके और वह लोग उस काम को बड़े पैमाने पर कर सकें ।

मान्यवर, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत डेढ़ लाख इकाइयों द्वारा साढ़े तीन लाख व्यक्तियों का रोजगार मिला । आठवीं पंचवर्षीय योजना में 5 लाख ग्रामोद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा है जिसके माध्यम से हम 14.85 लाख व्यक्तियों को रोजगार दे सकेंगे । उल्लेखनीय है कि जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम केवल साढ़े तीन लाख लोगों को रोजगार दे सके थे ग्रामीण उद्योग में, वहीं पर इस योजना में करीब-करीब 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे । जिसमें लगभग 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग होंगे । उनको इसका लाभ पहुंचाया जायेगा । इन पांच लाख इकाइयों का वर्षवार सृजन किया गया है । 90-91 में 74,303 इकाइयां लग सकेंगी । 91-92 में 87,000, 92-93 में 98,000, 93-94 में 1,12,247, 94-95 में 1,27,751 । मान्यवर, इससे स्पष्ट होगा कि विनियोजन होने से जो रोजगार मिलेगा वह 90-91 में 2 लाख 30 हजार लोगों को, 91-92 में 2 लाख 62 हजार लोगों को, 92-93 में 2 लाख 93 हजार लोगों को, 93-94 में 3 लाख 29 हजार लोगों को 94-95 में 3 लाख 70 हजार लोगों को मिलेगा इससे स्पष्ट होता है कि जो हमने योजना बनायी है उससे गांवों में हथकरघा उद्योग, रेशम उद्योग का विकास होगा और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पाये । मान्यवर, आठवीं पंचवर्षीय योजना में जो नीति बनी उसके अन्तर्गत जिन वस्तुओं का उत्पादन होगा वह कुटीर ग्राम उद्योग द्वारा किया जायेगा । उन उद्योगों हेतु बड़े उद्योगों को प्रस्तुत नहीं किया जायेगा । यह प्रदेश सरकार की नीति है । मान्यवर, इसी के साथ-साथ कलस्टर के आधार पर इकाइयों की स्थापना की जायेगी । देखा गया है कि ग्रामीण अंचलों में या शहरी अंचलों में (शहरी अंचल अब बंद कर दिये गये है) लोगों को घरों में उद्योग लगाने के लिए पैसा दिया जाता था । मान्यवर, यदि सर्वेक्षण किया जाय, डाटा कलेक्ट किया जाय तो पचास प्रतिशत इकाइयां ऐसी है जिसमें लोगों ने पैसा ले लिया लेकिन घरों में उपयोग नहीं किया । पहली बार इस प्रदेश में कृषि योजना लगवायी जा रही है । कलस्टर में उद्योग एक जगह लगायी जाये । पता चलाना होगा कि उद्योग चल रहे हैं या नहीं । प्रदेश में पहली बार कलस्टर के रूप में कार्य किया जायेगा । विपणन को सुदृढ़ करने के लिए खादी बोर्ड के 111 बिक्री केन्द्र है जिसके अतिरिक्त खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं संस्थाओं द्वारा संचालित विक्रय भण्डारों एवं उनके सचल बिक्री वाहनों का भरपूर उपयोग किया जा सकता है । राजकीय विभागों में जहां ग्रामोद्योगी उत्पादों का उपयोग सम्भव है उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा । जिला आपूर्ति एवं विपणन संगठनों के माध्यम से कच्चे माल की व्यवस्था से लेकर तैयार माल की बिक्री का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जायेगा । गुणवत्ता के नियंत्रण के लिए वर्तमान में लखनऊ व गोरखपुर में स्थापित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जायेगा । विपणन के लिए निजी क्षेत्र तथा बिक्री में संलग्न अन्य मार्केटिंग में अनुभव रखने वाली संस्थाओं तथा पराग के बिक्री प्राथमिक बिक्री केन्द्र को उचित मूल्यों पर सामान दिया जा सके, इस पर सम्पर्क किया जाएगा । यह सरकार की नीति है यह सरकार उस नीति के अनुसार ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, खादी उद्योग, हस्तकरघा

उद्योग को पूरी प्राथमिकता दे रहे हैं । हमें पूरी आशा है जो माननीय सदस्य अपने बहुमूल्य सुझाव देंगे उसके अनुरूप पूरा-पूरा काम करने की कोशिश की जाएगी और आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा ।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 5 उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-6 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आपने अनुदान संख्या 6 पर कटौती का प्रस्ताव रखा है अनुदान संख्या 5 पर नहीं रखा है ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, दोनों पर कटौती का प्रस्ताव रखा है दोनों बोले हैं ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कटौती का प्रस्ताव प्रेषित करता हूं एक बात सम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं वह यह है, इस कटौती के प्रस्ताव को पेश करने के पीछे हमारी मंशा यह कहने की नहीं है कि सात महीनों में आप कुछ नहीं कर पाए, यह कहें, या आपकी आलोचना करें, या आपकी कार्यकुशलता पर कोई नुक्ताचीनी करें । मेरा कटौती का प्रस्ताव रखने का मतलब यह है कि जो आपकी भावना है, आपकी इच्छा है कि "गांव की ओर चलो, इस भावना को तेजी में लाने के लिए जो सुझाव मेरे हिसाब से होनी चाहिए, उनको प्रस्तुत करना चाहता हूं क्योंकि मैं दलगत बात नहीं करना चाहता हूं कि हम कहें कि यह नहीं हुआ, और आप कहें कि आपके कार्यकाल में नहीं हो पाया, तो मैं उससे ऊपर उठकर कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात की आड़ नहीं लेंगे कि जब आप इधर बैठते थे तो आप ऐसा नहीं कर पाये । वैसे रेवती रमण जी बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं उनकी सदाशयता पर मैं सन्देह नहीं करता हूं उनकी रचनात्मक भावनायें हैं, और उन भावनाओं का आदर करते हुए मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं । आज देश और प्रदेश का आर्थिक विकास करना है तो उसका एक विकल्प है, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग । मान्यवर, महात्मा गांधी देश के दर्शन थे, जिस व्यक्ति ने देश को स्वतंत्रता दिलाई, इस देश की समस्याओं को गहराई से समझे, कठिनाइयों को समझे । उनकी यह राय थी, उनकी मान्यता यह थी कि भारत का मोक्ष किसी चीज में है तो वह लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में है और यह महात्मा गांधी का स्वप्न था ऐसा मंत्री जी ने भी कहा है । महात्मा गांधी जी ने चरखे को बहुत महत्व दिया । उन्होंने कहा कि आजाद भारत का प्रतीक चरखा बनेगा । भारत की आजादी के

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

पहले जो हुकूमत थी उन्होंने किस तरह से गरीबों का खून चूसा । कैसे हमारे कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को समाप्त किया, इसीलिये महात्मा गांधी जी ने यह बात कही थी । महात्मा गांधी जी ने जो आदर्श और दर्शन प्रस्तुत किया तो इर मर्ज का उससे निदान भी प्रस्तुत किया । जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावना से लेकर, जब तक जीवित रहे तब तक उन्होंने लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों को भारत के आर्थिक विकास का रास्ता बताया ।

स्व0 इंदिरा गांधी ने भी लघु उद्योग कुटीर उद्योगों को भारत की आर्थिक विषमता को दूर करने का एक रास्ता बताया । लोक नायक जय प्रकाश जी ने और चौधरी चरण सिंह जी ने तथा डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने और अन्य महान व्यक्तियों ने भारत के आर्थिक विकास तथा भारत की बेरोजगारी को दूर करने के लिये एक ही रास्ता बताया, एक ही निदान बताया कि इस देश लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास किया जाय । जब ऐसा मामला हो तो मैं समझता हूं कि ऐसे मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिये । महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की मोक्ष उसके कुटीर उद्योगों में निहित है । यह सत्य भी है । यहां पर पूंजी का नियंत्रण था, बेरोजगारी का साम्राज्य था । आज स्थिति यह है कि जितने बड़े उद्योग लगे हैं उतनी भारी जनशक्ति उसमें नहीं लगी है । जितने हमारे भारी उद्योग हैं उनमें केवल 75 लाख व्यक्ति लगे हैं और लघु तथा कुटीर उद्योगों के माध्यम से 2.4 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है । यह भी एक आर्थिक सत्य है कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के माध्यम से पूंजीगत लागत कम आयी है और कच्चा माल भी आसानी से मिल जाता है । गांव-गांव में यह उद्योग लगाये जा सकते हैं और इससे जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको दूर किया जा सकता है । सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है और रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं । मैं राजनीतिक हिसाब से आलोचना नहीं करना हूं, माननीय मंत्री जी ने बड़े भारी लक्ष्य बताये हैं और मैं उनको बधाई देता हूं और बधाई दूंगा । बधाई देने में मुझे कोई संकोच नहीं है । मैंने हमेशा दलगत राजनीति से उठकर इस मामले में सोचा है कि आपके इन लक्ष्यों की पूर्ति में हम कैसे सहयोग दे सकते हैं । मैं माननीय, इसी दृष्टिकोण से सुझाव दे रहा हूं और बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बजट आपने प्रस्तुत किया है उस को आप गौर से देख लें तो 89-90 में 89 करोड़ 37 लाख 25 हजार रुपये का बजट था और इस बार 88 करोड़ 20 लाख 35 हजार रुपये का बजट है । तो आपने 1 करोड़ 20 लाख 12 हजार रुपये कम कर दिये । ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में आपने कमी की है । जो आपकी घोषणायें हैं, जो आपने गांव की ओर चलने का नारा दिया है उनको देखते हुये यह समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार इनको पूरा करेंगे । या तो आपको आपके अधिकारियों ने गुमराह किया है जो बड़े बड़े अधिकारी राजधानियों में बैठे रहते हैं जिन्हें गांव की क्या स्थिति है इसकी अपेक्षा नहीं थी और न होनी चाहिये थी । फिर भी एक निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि इस कमी के बावजूद भी जो संसाधन उपलब्ध हैं और जो संसाधन आज मद्रास में स्वीकार करायेंगे यदि इनका सही उपयोग कर लें तो लक्ष्य पूरा हो सकते हैं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अधिकारियों और संगठनों के माध्यम से यह कार्य किया और कारीगर सहयोगों की हालत दयनीय हो गयी है । आपने कहा है कि हथकरघा विभाग द्वारा सहकारी क्षेत्र की समितियों की गयी है, ठीक बात है, ऐसी होनी चाहिये । हथकरघा सहयोग हमारे एतिहा का एक अंग है, सदियों से हमारे देश का निर्यात का माध्यम था । अंग्रेजों ने कारीगरों के अंगूठे काटे, बंगलियों की उंगलियां काटीं ताकि हमारा हथकरघा सहयोग ध्वस्त हो जाय । और यह सही बात है कि हाल एसदने के रास्ते पर भी है, लेकिन स्थिति क्या है, 15 लाख बुनकरों से समितियों हुये ? मैं कहना चाहता हूं कि

इस यूपिका का मैं सरकारी डाइरेक्टर भी रहा, मैं बहुत पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, जितने वहां पर डाइरेक्टर थे, सारे के सारे सप्लायर और जितने आर्डर्स यूपिका देता था, फर्जी बुनकर समितियां बना कर वह ले लेते थे । कितनी फर्जी बुनकर समितियों के नाम पर कर्जे लिये गये ? कहां हैं वे, उनका पता क्या है ? जब नोटिसें उनके नाम जाती थीं, तो लिखकर आता था कि इस नाम, पते पर कोई संस्था ही नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

आपकी कांग्रेस सरकार में ऐसा होता था ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, प्रदेश की बेरोजगारी समस्या कैसे दूर हो, प्रदेश में कैसे कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिले ? यह कांग्रेस और जनता दल का सवाल नहीं है, यह गरीब जनता का सवाल है, जिनकी दुहाई देकर आप उधर बैठे हैं और जिनकी दुहाई देकर मैं भी उधर बैठता था । जांच करा कर पता लगाइये कि कितनी फर्जी बुनकर सहकारी समितियां हैं ? जनता धोती की बात माननीय मंत्री जी ने कहा । इसके बारे में मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह जनता धोती न होकर वह दलालों की धोती हो गयी । उसमें बुनकर का तो चूल्हा तक नहीं जलता । आपको चिन्ता है, हमें चिन्ता है कि बुनकर के घर पर किस तरह से चूल्हा जले ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, सुनन्दा धोती कह दें, तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

जो लाभ गरीब जनता को मिलना चाहिए था, उसको इन तत्वों ने चर लिया और आज भी चर रहे हैं । मझे माननीय रेवती रमण सिंह जी से उम्मीद है कि वह कारगर कदम उठा कर इस बुराई को समाप्त करेंगे । सारी की सारी जनता धोती की जो बात कही गयी, वह दलालों की धोती हो गयी । माननीय मंत्री जी ने कहा और वास्तविकता भी है, यूपिका के बड़े-बड़े शो-रूम बन गये, यू0 पी0 हैण्डलूम के शो-रूम बन गये । बुनकर बहबदी फण्ड आपने चलाया, बीमा योजना आपने चलाई और उसके नाम की दुहाई देने वाले और उसके बने हुए माल को बेचने वाले एयर कंडीशन्ड आलीशान बिल्डिंगों में बैठे हैं । हमें इस व्यवस्था पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा । यूपिका की बात मैंने सार में कही । मैं अब कुछ सुझाव देना चाहता हूं । अब कुटीर और लघु उद्योग की सूची तो बहुत बड़ी है । मिर्जापुर का कालीन, बनारस की साड़ी, कानपुर, आगरा का चर्म उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल का उद्योग, फर्रुखाबाद का छपाई उद्योग, कन्नौज का इत्र का उद्योग, कुम्भार जो बनाते हैं बर्तन, उनका उद्योग, इस तरह से तमाम उसकी लम्बी सूची है । 75-76 में एक बड़ा प्रयास हुआ. फर्रुखाबाद छपाई उद्योग के विकास के लिए, जब उत्तर प्रदेश वस्त्र छपाई निगम लिमिटेड बनाया गया, 10 करोड़ रुपये का माल छपाई उद्योग का विदेशों को निर्यात होता है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है । तो उस वक्त एक बड़ा प्रयास हुआ और प्रयास होने

के बाद एक उत्तर प्रदेश वस्त्र छपाई निगम लिमिटेड बना । उसका काम यह था, सौभाग्य से मैं उसका प्रथम अध्यक्ष भी हुआ था, और उस निगम का काम था कि छपाई उद्योग को बढ़ावा दे, छपाई उद्योग की कला को विकसित करे । मुझे याद है कि पहले ही मैंने उसके वार्ड की मीटिंग में यह निर्णय लिया था कि 10 छीपियों को बैंक से कर्ज दिलवाकर छपाई का काम प्रारम्भ कराया जाय और जो सामान वह निर्मित करें वह उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम उनसे खरीदे जिससे उनके सामने विपणन की समस्या न हो और यह जो छपाई के कारीगर है वह स्वयं छपाई के छोटे कारखाने के मालिक बन जाय। लेकिन आज तक मान्यवर, वह नहीं हुआ और अधिकारी किस तरह से काम करते हैं वह मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश वस्त्र छपाई निगम जब बना तो उसके पंजीकरण में यह निहित था कि इसका पंजीकरण कार्यालय फर्रुखाबाद में होगा और मुनासिब भी था । क्योंकि देश और विदेश को 10 करोड़ रुपये का माल निर्यात करता है फर्रुखाबाद से । तो मान्यवर, पंजीकरण कार्यालय फर्रुखाबाद में होने की बात थी और कैसे कहां क्या हुआ आज तक पंजीकृत और प्रशासनिक सारा कार्यालय हेडक्वार्टर कानपुर में है क्योंकि अधिकारियों के लिए जो कानपुर में सुविधा प्राप्त है, वह फर्रुखाबाद में नहीं है । मैं आलोचना नहीं करता हूं मैं आपकी सदाशयता पर पूरी निष्ठा रखते हुए आपसे निवेदन करता हूं कि पूरे इन तथ्यों को देखें ।

मान्यवर, आपने खादी बोर्ड की बात कही । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड इस प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने में क्रान्ति ला सकता है यदि वह व्यवस्थित चले । लेकिन आज बदकिस्मती से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थिति क्या है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी को एहसास होगा, 7 महीनों में निश्चित एहसास हो गया होगा कि वह आदमियों का खून चूसने वाली दलालों की चारागाह हो गयी है । मान्यवर, एक इमानदार आदमी अगर इसमें प्रयासरत है कि एक छोटी यूनिट डाल ले लाख 2 लाख रुपये कर्ज लेकर 4 प्रतिशत ब्याज पर तो उसको मिल नहीं सकता है । वर्षों जिला खादी ग्रामोद्योग कार्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड तक उसको इतना परेशान किया जायेगा, इतने एतराज लगाये जायेंगे कि या तो वह हताश होकर बैठ जायेगा या जब तक एक लाख रुपया उसको मिलेगा तब तक वह 50 हजार रुपया खर्च कर चुका होगा । मान्यवर, अधिकारियों की क्या ब्यूह रचना है, वह बताऊं । एक हमारे कार्यपालिका के बड़े अधिकारी आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जिसका लक्ष्य था गरीबों को रोजगार के अवसर देना, उन्होंने वह तो किया नहीं, मैं 2-3 मिसाल दूंगा । मान्यवर, फर्रुखाबाद में एक नौजवान लड़का था सहजीवी ग्रामोद्योग समिति में, वह पैसा लेना चाहता था । खादी ग्रामोद्योग में एक आर0 सी0 पन्त थे उन्होंने अवकाश ले लिया कमल टावरी की वजह से, वह शत प्रतिशत गांधीवादी थे । सौभाग्य से उस लड़के से मुलाकात हो गयी उन्होंने उस लड़के से कहा कि एक बचन दो कि किसी को एक लाल सिक्का भी नहीं दोगे तो उस लड़के ने कहा कि लाल सिक्का न देने से ही मेरा काम नहीं हो पा रहा है । पन्त जी ने देखा कि लड़का होनहार है और इमानदारी से काम करना चाहता है उन्होंने उसको पैसा दिला दिया उससे एक लौह कला उद्योग लगाया । अब यह स्थिति है कि उसका उद्योग इतने शानदार तरीके से चल रहा है कि पूरे फर्रुखाबाद में उसकी अलमारी, ड्रेसिंग टेबिल और लोहे के समान ऐसे बिकते हैं कि गली में कारखाना है, लोग वहां से ले लेते हैं । लेकिन वह आर0 सी0 पन्त तो चले गये वह गांधीवादी व्यक्ति थे, प्रतिनियक्ति पर आये थे, उसको कमल टावरी ने भगा दिया । मान्यवर, आज उस लड़के ने अपने शो-रूम के लिए एक दरख्वास्त दी जबकि समय से उसने सारी किस्तें अदा की, उसने एक दरख्वास्त दी । चूंकि अब वहां पर कोई पंत जी, गांधीवादी व्यक्ति

नहीं है, इसलिये उसको भगाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और आज तक जो स्वीकृति 31 मार्च तक हो जानी चाहिए थी, आज तक स्वीकृति नहीं मिली । जो महिला का बात कर रहे है, टावरा ने न जाने कितनी फर्जी सोसाइटी बना दी और लाखों का फर्जी सप्लाई का काम दे दिया । सप्लाई के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है, लेकिन मनचाहे रेट से आर्डर दे दिया । एक महिला अनाज दाल प्रशोधन सोसाइटी है । उसको कर्ज मिला, लेकिन चूंकि पीछे से अधिकारी की जेब नहीं भर पायी अपने अथक प्रयास के बावजूद वह सोसाइटी दोबारा कर्ज पाने में असमर्थ रही । यही नहीं 400 नियुक्तियां खादी बोर्ड में अनधिकृत रूप से कमल टावरी साहब के जमाने में हुई । उनमें से एक एरेन साहब हुए है, कंचन कुमार एरेन, ये अपट्रान में थे । उससे पहले हैण्डलूम कार्पोरेशन से सेवानिवृत्त कर दिये गये थे । ये अपट्रान में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर थे 1100—1600 के वेतनमान में । पता नहीं उनमें कौन सी गांधीवादी विशेषता थी या गांधीवादी अर्थशास्त्र की विशेषता थी कि इनको खादी बोर्ड में ले लिया गया और वेतनमान दिया गया 3700—5000 का । इस तरह की धांधली कमल टावरी साहब के जमाने में हुई । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नकली शहद खरीद लिया गया, 5 लाख का खरीद लिया गया । शीरे में बना था । उस शहद को कोई लेने वाला नहीं था । 20 लाख ग्रीटिंग कार्ड छपा लिये गये । कभी तीन रुपये में दिये गये, कभी दो रुपये में । कहां छपवाया था । जिसको प्रोत्साहित करना था, फायदा पहुंचाना था, उसको छापने के लिये दे दिया । उनकी बिक्री नहीं हुई तो जिलों में खादी और ग्रामोद्योग अधिकारियों को 10-20 हजार दे दिये गये और अंत में इन्टरप्रिन्योर्स को दे दिये गये । अब भी मेरी जानकारी के अनुसार लाखों ग्रीटिंग कार्ड गोदामों में पड़े हैं । इसी तरह से माननीय जयराज जी ने बताया कि एक करोड़ का ऊन खरीद लिया गया और जबरन कम्बल बनवा दिये । मिलिट्री वालों ने वापस कर दिये । 25 प्रतिशत कमीशन शासन से दिलवा दिया । मेरा निवेदन आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह है कि . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

तिवारी जी आप कितना समय और लेंगे ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, थोड़ा समय और लूंगा । आपके निर्देश का पालन करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आभारी हूंगा ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, सदा रहूंगा । आपके निर्देशों का 100 फीसदी पालन करूंगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड बड़ी क्रांति उत्तर प्रदेश में ला सकता है । केवल उसकी व्यवस्था को दुरुस्त कर दें । ये बिचौलिये जो उद्यमियों का खून पी रहे है और आपकी सबसिडी का रुपया ले जा रहे हैं, उस पर किसी तरह से रोक लगाइये । मैं नहीं चाहता कि इसके लिये सदन की कोई कमेटी बनावें, वह शायद समय से काम न कर सके । सदन की कमेटी साल भर में भी काम पूरा नहीं कर पाएगी । लेकिन मेरा निवेदन है कि किसी गांधीवादी अर्थशास्त्री जिसको प्रशासनिक अनुभव भी हो ।

मान्यवर, उसके सुपुर्द कर दीजिये और वह खुद बोर्ड को जो ऋण देने आदि की सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन कर कैसे उसका सरलीकरण हो, उसको बतायें और जो वहां दलाल और बीच के लोग हैं, उनसे बच सके मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं जो वहां की स्थिति है, प्रतिष्ठा को गिराया जा रहा है, जो आपके लक्ष्य है, आदर्श है, उनको गिराया जा रहा है । इसको गंभीरता से देखें दूसरा निवदन यह है कि माननीय रेवती रमण जी कृपा करके खादी बोर्ड में जो भी नियुक्तियां हुई है जो बड़े-बड़े आर्थिक घोटाले हुए हैं उनकी जांच करवायें और जो भी समयबद्ध ढंग से हो । मैं मानता हूं कि माननीय रेवती रमण जी का इरादा है कुछ करने का, इसलिये उसी शैली में निवेदन कर रहा हूं । सुझाव दे रहा है, आलोचना नहीं कर रहा हूं । आप वह आड़ नहीं लेंगे, इसलिये नहीं कि क्या किया, हम लोगों ने बहुत से काम नहीं किये, नहीं कर पाये, चाहते हुए भी नहीं कर पाये आप उसकी आड़ ले भी नहीं सकते है, दायित्व आपका है । हम सहयोगी बनना चाहते हैं । इन कामों में क्रांति लायी जा सकती है । यह ऐसा बजट है, जिसके द्वारा क्रांति लायी जा सकती है जो आपको आपकी घोषणाओं के पास पहुंचा सकता है, आदर्शों पर चलने के रास्ते पर ला सकता है । जो आपका गांवों का ओर चलो का नारा है वह सार्थक हो सकता है बशर्ते कि आप इन संस्थाओं को दरुस्त करा दें । फतेहपुर में जीरो डिस्ट्रिक्ट की बात हुई । आप जांच करा लें । फतेहपुर औद्योगिक दृष्टि से जीरो डिस्ट्रिक्ट बन गया । मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन अधिकारियों ने सरकार की किस तरह नीतियों का कार्यान्वयन कर सरकार के भी शोषण किया जो आदर्श थे उनका भी शोषण किया जो आदर्श हैं उनका भी शोषण किया फतेहपुर में किन्हीं लोगों को कम रेट पर उद्योगों के लिये जमीनें दी गयी और किन्हीं लोगों को भारी रेट पर दी गयी । जिनको भारी रेट पर दी गयी और उन्होंने रजिस्ट्री भी करा ली, चूंकि अब अलग से पैसा नहीं मिला, तो उनको नोटिस दी गयीं कि स्टाम्प कम लगे, स्टाम्प पेपर की चोरी का मामला है, मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी समयबद्ध जांच करायें । अगर माननीय रेवती रमण जी उत्तर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की व्यवस्था को सही करा दें तो आपका श्रेय जनता दल के घोषणा पत्र में जुड़ेगा । जो भी धांधलियां हैं उनकी जांच करायें । अगर प्रतिनियुक्ति पर लोग आये और सेवा में रहे जब प्रमोशन का वक्त आया तो हटा दिये गये, दूसरे लोग ले आये गये, इसको देखने का कष्ट करें और इस प्रक्रिया को बंद करने का कष्ट करें । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने समय दिया । आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करता हूं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए कि उनको रचनात्मक सुझाव देने का लक्ष्य है और कोई मंशा इस कटौती प्रस्ताव की नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें । मैं माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी को बुला रहा हूं । चूड़ियों की जरूरत सबके घरों में होती है, इसलिये चूड़ी की बात के लिये माननीय वर्मा जी को बुला रहा हूं । (श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर) माननीय श्री राम गोविन्द चौधरी आप बैठें, आप लोग बैठें ।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे लघु व ग्रामीण उद्योग, खादी व हथकरघा पर बोलने का मौका दिया माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं । हथकरघा की जो स्थिति है, जब हम लोग उधर बैठते थे तो माननीय मंत्री जी के सामने ही कानपुर में हथकरघा के माध्यम से बनी कोआपरेटिव व सोसाइटियों के बारे में हम लोगों से तमाम बार प्रश्न उठाये थे । उसमें यह मालूम हुआ कि जितनी कोआपरेटिव सोसाइटियां बनी हुई हैं हथकरघा के नाम पर वह ज़्यादातर फर्जी हैं उन्होंने सरकारी अनुदान का लाखों रु0 का गोलमाल किया है । तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की जहां भी समितियां बनी हैं, उन सबकी समीक्षा कराके जांच करायें । यह भी कहना चाहूंगा कि इस संबंध में जो जांच पहले विजीलेंस ने की थी, जिसको बीच सरकार ने रूकवा दिया था, उसको पुनः विजीलेंस को देकर आप प्रभावी कार्यवाही कराइये । मान्यवर, कटौती के प्रस्तावक महोदय ने भी कहा कि चाहे कोई भी आदमी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये मैं अपना दूसरा निवेदन कहना चाहता हूं, यूपिका के बारे में । यूपिका अपने यहां कोआपरेटिव सोसाइटियों से, बुनकरों से जिस दाम पर माल बना है और जो कीमत वह स्वयं अपने सामान की तय करते हैं, उसमें बहुत बडा घपला है, बहुत बड़ा फर्क है । मैं इसलिये इस बात को कहना चाहता हूं कि खादी ग्रामोद्योग को उत्तर प्रदेश सरकार से छूट के लिये पैसा मिलता है, भारत सरकार भी देती है, लेकिन खादी ग्रामोद्योग वाले भी बुनकर से जो माल खरीदते हैं उसका दाम बहुत कम होता है और स्वयं जो कीमत रखते हैं, उसमें बहुत फर्क होता है । श्रीमन्, जैसा कि कटौती के प्रस्तावक महोदय ने भी कहा है कि इसमें बिचौलियें हैं, उनकी पकड़ होना चाहिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारत सरकार द्वारा छूट दिये जाने के बाद भी बुनकर को कीमत बहुत कम मिलती है और जब वह सामान दुकान पर आ जाता है, तो उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है, इस मसले को गहराई से देखना पड़ेगा । सही मायने में प्रबन्ध निदेशक औरबिचौलियों के बीच एक सांठ-गांठ है और खादी की तरफ से आज लोगों का ध्यान हटता जा रहा है, क्या खादी इतनी महंगी होती जा रही है, जो आप लोगों की पहुंच में नहीं श्रीमन्, जनता धोती जो जनता पार्टी के शासनकाल में 16 रुपये जोड़ा थी आज केवल एक धोती 35—40 रुपये की मिल रही है जो कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है, इस तरफ ध्यान देना है । जनता धोती का मामला सही मायने में आपके संज्ञान में आना चाहिये और गलत लोगों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । मैं इसलिये भी कहता हूं कि मोटा कपड़ा जो है, उस मोटे कपड़े के ज्यादातर दुकान पर पहुंचते बड़े आदमी जो है, वह सोफा सेट का कवर, परदे का कपड़ा इत्यादि बनाने के लिये खरीद लेते हैं और मोटा कपड़ा जो गरीब आदमियों को, किसानों को न जाकर उनके पास इस तरह चला जाता है, इस पर माननीय मंत्री जी आपको निगरानी रखनी पड़ेगी । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हथकरघा खादी ग्रामोद्योग हैं, इसकी तरफ विशेष तवज्जो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादातर किसान और छोटे-छोटे लोग जुड़ सकते हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि इस ओर आप ज्यादा ध्यान दें । रेशम उदयोग के बारे में आपने कहा था, मैं बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस उदयोग के लिये ककून्स की रक्षा तथा रख-रखाव और शहतूत का पेड जो है, उसके लिये सामान्य वातावरण की आवश्यकता पडती है तथा उचित देखभाल की जरूरत होती है इस वातावरण को बनाया

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जा सकता है, जब वन निगम द्वारा शहतूत के पेड़ के लिये जगह मिले और आप इस उद्योग की तरफ विशेष ध्यान दें, तो उत्तर प्रदेश में इस उद्योग को अच्छी तरह चलाया जा सकता है । इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(समय 4 बज कर 10 मिनट)

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

मान्यवर, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला । इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । संक्षेप में विन्दुश: में अपने विचार राखना चाहता हूं । माननीय उद्योग मंत्री जी के नीचे जो हथकरघा निगम है, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, बड़ा दिलचस्प किस्सा है । उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम में एक महिला प्रबंध निदेशिका थी, वहां भी उसने भ्रष्टाचार के उल्लेखनीय कार्य है । फर्जी लघु उद्योग समितियां जो होती है, उनको लाख-लाख रुपए के कच्चा माल देकर काले बाजार में बिकवा दिया । हमारे जो पूर्व मुख्य मंत्री जी थे, मैं उनका सम्मान करते हुए अपने विचार रखना चाहता हूं । पूर्व मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी का भी उस महिला निदेशिका को संरक्षण प्राप्त था । जब उनका अनेकों घपलों में विरोध हुआ और जांच की मांग की गई तो बड़ी मुश्किल से उस महिला निदेशिका का वहां से स्थानान्तरण निर्यात निगम में प्रबंध निदेशिका पर कर दिया गया । उस महिला निदेशिका को इसका पता चला तो, मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहता हूं कि, वह महिला निदेशिका उत्तर प्रदेश शासन के मुखिया के यहां ठीक 12 बजे रात में पहुंचती है और 2 घंटे बाद जब वहां से निकलती है तो ट्रांसफर आदेश में संशोधन कर हथकरघा निगम के प्रबंध निदेशिका का आर्डर लेकर बाहर आती है । अपने साथ वह लघु उद्योग निगम से उन अधिकारियों/कर्मचारियों को भी जो वहां दलाली करते थे, उनको भी हथकरघा निगम में नियुक्त करा दिया है । इस पूरे प्रदेश में लाखों गरीब बुनकरों के हितों की रक्षा, उन्हें कच्चा माल सुलभ कराते और उनके लिए विपणन की व्यवस्था करना इन्हीं मौलिक उद्देश्यों के लिए इस हथकरघा निगम की स्थापना हुई थी । गोरखपुर, बस्ती, खलीलाबाद में तमाम ऐसी जगहें है जो बुनकर बाहुल्य है, यहां से माल खरीदने का ह्रास हुआ, जब से यह महिला प्रबंध निदेशिका बनकर आई है । इसके कार्यकाल में निर्यात लगभग शून्य हो गया । माल तो विदेशों में नहीं गया, परन्तु इस प्रबंध निदेशिका ने सरकारी खर्च पर विदेशों में सैर-सपाटा खूब किया । नियंत्रित मूल्य का कपड़ा-जनता धोती, जैसा कि श्री वर्मा जी ने कहा, जिस पर केन्द्र सरकार का अनुदान मिलता है, पहले जनता वस्त्र उपभोक्ता संघों के माध्यम से पहले वितरित होता था अब वह विचौलियों के माध्यम से व दूसरी मशीनरियों के माध्यम से बेच दिया जा रहा है । पहले तो दुकानों पर ब्लैक होता था अब तो सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि ट्रकों पर इस जनता धोती को भरकर यहां से बाहर भेज दिया जा रहा है । यह उन प्रान्तों में भेज दिया जाता है, जहां नियंत्रित कपड़ा उत्तर प्रदेश से सरकार में नहीं भेजा जा सकता । केन्द्रीय सरकार से करोड़ों रुपए लेकर उसका घोटाला हो रहा है ।

मान्यवर, जो यह पुस्तिका निकाली गई है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उत्पादन और बिक्री के जो आंकड़े इसमें दिये गये है, वे सारे के सारे गलत है । ये सब मैनुपुलेटेड आंकड़े है । निर्यात में लगभग 20—25 प्रतिशत की गिरावट आई है । इस पुस्तिका में सबसे उल्लेखनीय तथ्य तो दिखाया ही नहीं गया है कि पिछले दो वर्ष में पहले वर्ष में 15 करोड़, दूसरे वर्ष में 30 करोड़ व जो वर्ष चल रहा है उसमें 45 करोड़ की इनवेन्टरी की गई है । यह स्पष्ट करता है कि मिलों से ऊंचे दर पर कपड़ा खरीदा गया है और उस पर हथकरघा निगम की मोहर लगा दी गई है । इसलिए आज वह माल बिक

नहीं रहा है । आज हथकरघा निगम बैठने के कगार पर आ गया है । 1988-89 में 4 करोड़ रुपए बुनकरों के हितों के संरक्षण आदि के लिए प्रदेश सरकार ने प्राविधान किया था, परन्तु इस महिला निदेशिका ने उस पैसे को अपने ऐशो आराम व गलत मदों में खर्च कर दिया, परिणाम यह हुआ कि ढाई लाख रुपए इस विभाग का वापस हो गया, उसका उपयोग नहीं हुआ । चौंकाने वाला तथ्य मान्यवर यह है कि इस वर्ष प्रदत्त आंकड़े के अनुसार 62 लाख जोड़ी जनता धोती बनाई गई है जिसमें से प्रथम तीन तिमाही अर्थात नौ माह में 22.5 लाख जोड़ी व अन्तिम तिमाही में 43.5 लाख जोड़ी उसमें की अन्तिम माह मार्च मे 24.5 लाख जोड़ी जनता धोती बनाई बताई गई है यह जादू से ही सम्भव है मान्यवर । बिचौलियों से खरीद की गयी ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र—

तो बिचौलियों से खरीद की गयी, अलीगढ़ में एक मेसर्स नार्दर्न हैण्डलूम है जिलाधिकारी, अलीगढ़ ने वहां छापे मारे, रिकार्ड सील किया और कहा कि मुख्यालय भी इसमें शामिल है, लेकिन कुछ नहीं हुआ ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी का नाम पुकारा गया)

श्री उपाध्यक्ष—

अब कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा, आप बैठें ।

(श्री बाल चन्द्र मिश्रा के बोलते रहने एवं श्री राम गोविन्द चौधरी द्वारा अपना भाषण प्रारम्भ करने का प्रयत्न करने से व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री बाल चन्द्र मिश्रा—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री बाल चन्द्र मिश्रा—

[× × ×]

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मा0 उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ग्राम एवं लघु उद्योग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है ।

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो कटौती का प्रस्ताव माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी ने रखा है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

जनता दल सरकार की यह नीति है कि ग्रामीण और लघु उद्योगों के माध्यम से इस प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है । इस बात को आप भी जानते

नोट :—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

है कि जनता दल की सरकार बनने से पहले जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में और चुनाव सभाओं में वायदा भी किया था कि प्रदेश से बेरोजगारी दूर करने की दिशा में प्रयास करेंगे । उसी के अनुरूप माननीय मंत्री जी ने अपने बजट प्रस्ताव में प्राविधान रखा और अपने बजट भाषण में कहा कि हम बड़े-बड़े उद्योग नहीं लगायेंगे बल्कि लघु उद्योग लगायेंगे ग्रामीण उद्योग लगायेंगे और प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में काम करेंगे । यह जनता दल की नीति और घोषणाओं के अनुरूप है, इसके लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं । लेकिन मंत्री जी के नीचे के अधिकारी क्या करते है ? बाल चन्द्र मिश्रा जी मेरे मित्र है, बलिया के है और महिला विरोधी है या पक्षधर है यही जानें । मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो भाषण दिया अधिकतर खादी ग्रामोद्योग पर ही दिया । ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने पर कोई भाषण नहीं दिया । इस समय आवश्यकता है ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की । इस युग में ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग है जैसे लोहार है, काठ का काम करने वाले लग है, हाथ से काम करने वाले लोगों की जो रोजी-रोटी थी वह बड़े-बड़े उद्योगों में छिनती गयी । इसलिये उनकी स्थापना के लिये आवश्यक है कि ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दें । श्रीमन्, खादी ग्राम्य उद्योग के विषय में मैं एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं पूरे पांच मिनट बोलूंगा । आप भी खादी पहनते है, मैं भी खादी पहनता हूं और गांधी जी भी खादी पहनते थे । खादी के लिये महात्मा गांधी जी ने कहा था कि खादी केवल वस्त्र नहीं है बल्कि खादी एक विचार है । मेरी निश्चित धारणा है कि अगर आज गांधी जी जीवित होते और वे खादी भंडारों में जाते तो निश्चित है कि प्रवेश करते ही उनका हार्ट फेल हो जाता । गांधी जी का कहना था कि देश के गरीब और असहाय लोग कपड़े के लिये सूत अपने हाथ से बनावें और हर गरब और असहाय आदमी को कपड़ा इस तरह से पहनने के लिये उपलब्ध हो जायेगा । लेकिन अगर आप कनाटप्लेस में जांय, या आप लखनऊ में ही चले जाइये तो वहां आपको क्या खरीदने वाले मिलेंगे, जीन्स पहनने वाले मिलेंगे । ऐसे लोगों की वहां पर भरमार है, शर्म के मारे खादी पहनने वाले लोग वहां कभी ही जाते है । एक-एक कपड़ा 45—50 रु0 मीटर के हिसाब से बिकती है ? एक-एक कुरता का कपड़ा 55 से 85 रु0 तक का वहां पर मिलता है इसी तरह से धोती को देखिये कि 200 रु0 से लेकर 500 रु0 तक की वहां मिलती है तो क्या यह गरीबों के पहनने के लिये रह गयी है ?

खादी अब गरीबों के लिये नहीं बल्कि अमीरों के पहनने की चीज हो गयी है । अमीर लोग भी खादी पहने लेकिन मैं खादी के मूल्य को रोकने के लिये माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इतना जरूर कर दें कि खादी के जो भण्डार है वहां आम आदमी के पहनने वाला, गरीबों और असहाय व्यक्तियों के पहनने वाला कपड़ा भी उपलब्ध हो ।

एक बात और कि यह जो फर्जी सोसाइटीज है, इस सम्बन्ध में यहां विधान सभा में मैंने तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने नियम 56 के अन्तर्गत मामला उठाना था और समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री स्व0 वीर बहादुर सिंह जी ने उसकी सी0 आई0 डी0 से जांच भी करायी थी और सी0 आई0 डी0 ने निश्चित रूप से तत्कालीन एम0 डी0 को दोषी पाया था और कहा था कि इसमे करोड़ों रुपये का घोटाला है । बाद में वह बात दबा दी गई । जब सी0 आई0 डी0 ने करोड़ों रुपये का घोटाला पकड़ा तो फिर उनके खिलाफ कार्यवाही न करने के क्या कारण है ? मैं माननीय मंत्री जी से

निवेदन करूंगा कि उस एम0 डी0 के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री धमज्ञ मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हथकरघा उद्योग पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । हथकरघा उद्योग और खादी ग्राम्य उद्योग में जो समितियां हैं उनके द्वारा ग्रामीण अंचल में उद्योग चलाया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि खादी ग्राम्य उद्योग की समितियां जो निर्जीव हैं उनमें जीवन डाला जाय और उनको चालू कराया जाय । जितना उनके ऊपर ऋण बकाया है उसको माफ किया जाय जिससे कि पुरानी समितियां कार्य कर सकें ।

साथ ही यह भी अनुरोध है कि बुनकर सहकारी समितियां हमारे प्रदेश में चल रही हैं । इसमें तीन हजार हथकरघा समितियों के सचिवों को निकाल दिया गया है, उन्हें फिर से चालू कराया जाय ताकि सचिव लोगों को रोजगार मिल सके । साथ ही खादी ग्राम्य उद्योग, लघु उद्योग गांवों में लगाये जांय । खादी ग्राम्य उद्योग से जितने लोगों को ऋण प्राप्त होता है, गरीबों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है, किसी को पांच हजार, किसी को दस हजार, किसी को पन्द्रह हजार रु0 की इकाई मिली है, सारा पैसा व्यवस्था ही में समाप्त हो जाता है । तो मैं चाहता हूं कि इकाइयां ग्रामीण क्षेत्र में लगायी जायें और बड़े-बड़े उद्योग लगाये जायें, जिससे छोटे लोगों को काम मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । कटौती के प्रस्ताव का बल पूर्वक समर्थन करता हूं ।

*श्री राम करन आर्य—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और आपने जो इसके लिये मुझे समय दिया, उसके लिये आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । मान्यवर, डेढ़ साल पहले मैं हथकरघा मजदूरों के आन्दोलन में गया था, जिसमें उन्होंने अपनी-अपनी समस्यायें बतायी थीं, जिनको सुनने से हृदय विदीर्ण हो गया । जो भारत हथकरघे के लिये दुनिया में मशहूर था, आज उसकी हालत यह है कि अच्छे किस्म का जो सूत होता है, वह ब्लैक में बेंच लिया जाता है और खराब किस्म का सूत मजदूरों को दिया जाता है और पैसा उनसे अच्छे किस्म के सूत का लिया जाता है । खराब सूत से जो धोतियां बनती हैं, वह कम कीमत पर बिकती हैं, जिससे उनका दोहरा शोषण होता है । यही हालत मऊरानी की है । मान्यवर, जब से श्रीमती सुनन्दा प्रसाद हथकरघा निगम में आयी हैं, इस विभाग में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है और उनके भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है । माननीय मंत्री जी से मेरी मांग है कि इस भ्रष्टाचार की वह जांच करायें । मैं मान्यवर, महिला विरोधी नहीं हूं, मैं डा0 लोहिया को मानने वाला हूं और नर-नारी समता में मेरा विश्वास है, लेकिन इस विभाग में जब से श्रीमती सुनन्दा प्रसाद आयी हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है । मान्यवर मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह इस भ्रष्टाचार की जांच करायें और दोषी लोगों को दण्डित किया जाये । मान्यवर, मेरी दो मांगे हैं, एक तो यह है कि जो फर्जी सोसाइटियां हैं, उनको समाप्त किया जाये और बुनकरों को सीधे सूत दिया जाये और उनके कपड़े लिये जायें । मान्यवर, मेरा मानना है कि कुटीर उद्योगों से ही हमारे देश और प्रदेश की उन्नति हो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सकती है । यह तभी संभव है जब ग्रामीण दस्तकार विकास निगम की स्थापना की जाय और इसके माध्यम से लोहकार, काष्ठकार, बुनकरों और स्वर्णकारों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाये और उनका सामान निगम के माध्यम से बेचा जाये । इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री मोहम्मद उल्लाह खां—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है और तिवारी जी ने भी स्वीकार किया है कि हथकरघा उद्योग में बिचौलिये हैं और यह बिचौलिये इसको चापट किये दे रहे हैं । मैं इस सम्बन्ध में दो-एक सुझाव रखना चाहता हूं जिससे पूरा का पूरा लाभ बुनकरों को मिल सके । एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार अगर भुगतान की हालत अच्छी कर दे और जो भुगतान में 3-4 महीने का समय लगता है और फिर भी बुनकरों को भुगतान नहीं मिल पाता है और वह बुनकर परेशान होते हैं तो वह अपने माल को बाजार में बेच देते हैं और वही बिचौलिये उस माल को 4-5 रुपये कम में ले लेते हैं और सेन्टरों पर पहुंचा देते हैं और जो अनुदान की राशि है वह सरकारी कर्मचारी और बिचौलिये खा जाते हैं । इसलिये अगर भुगतान की हालत अच्छी हो जाय एक हफ्ते के अन्दर या 15 दिन में भुगतान हो जाय तो इन बिचौलियों से काफी हद तक वे बच सकते हैं । मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि जैसे बुनकर ने माल जमा किया, सेन्टर पर आया तो सेन्टर के कर्मचारी उस पर मोहर लगाते हैं और कलेन्डर होने के लिये भेज देते हैं । उनमें यह होता है कि या तो मोहर नहीं लगायी जाती है या फिर बहुत हल्की लगायी जाती जिससे कलेन्डर मार्क कभी रिमूव कर देते हैं । जिसका परिणाम यह होता है कि जनता जोड़ी कलेन्डर से फिर सेन्टर पर पहुंच जाती है और दुबारा सेन्टर पर मोहर लगाकर कलेन्डर के पास भेजते हैं । इस तरह से एक जनता जोड़ी का दो बार भुगतान हो जाता है । इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि या तो मोहर ठीक से लगाई जाय या फिर कलेन्डर को नेशनलाइज किया जाय अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं रह जायेगा । तीसरी बात यह है कि दो तरह का सूत सेन्टर्स पर पहुंचता है एक घटिया किस्म का और एक बढ़िया किस्म का । अच्छे किस्म का सूत ब्लैक हो जाता है और घटिया किस्म का सूत बुनकरों को दे दिया जाता है इससे बुनकरों को कम पैसा मिलता है । इसलिये ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे अच्छा सूत बुनकरों को मिले ।

बुनकरों की एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनके सेन्टर्स बहुत दूर हैं । बुनकरों को 15-15, 20-20 किलोमीटर जाकर अपने माल को जमा करना पड़ता है और उसके लिये लम्बी लाइन लगी होती है । उसके बाद पेमेन्ट लेने में भी उन्हें बड़ी परेशानी होती है । इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि कोई ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जिससे बुनकरों को पैसा लेने में और माल जमा करने में आसानी हो ।

तीसरी बात यह है कि बुनकरों को कोड नम्बर जो मिलता है उसमें भी उन्हें परेशानी होती है । कर्मचारी जिसको चाहते हैं देते हैं जिसको चाहते हैं नहीं देते हैं । इसकी व्यवस्था भी आप ठीक करा दें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी—

मान्यवर, ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, हथकरघा उद्योग के जो बजट प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किये हैं, उनके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुई हूं और उसी से सम्बन्धित मैं अपने विचार रखना चाहती हूं । मान्यवर, यह सरकार ग्रामोन्मुखी है और ग्रामीण अंचलों के बेरोजगार गरीब लोगों जैसे बुनकर है, उनको रोजी-रोटी देने का वादा कर चुकी है । इसी संदर्भ में हमारे यहां बांसडीह ग्राम सभा सुखपुर में आपका एक छोटा सा हथकरघा उद्योग चलता था और यह स्कीम सन् 77 के करीब जनता पार्टी सरकार जब थी, यूनिसेफ की मदद से चलती थी, वह पिछले दो वर्षों से बन्द है और उसमें लगभग डेढ़-दो सौ मजदूर, महिलायें और पुरुष काम करते थे वे आज बेरोजगारी के कगार पर दर-दर भटक रहे हैं । यह ग्रामोन्मुखी सरकार है इसलिये मैं चाहूंगी कि यू0 पी0 हैन्डलूम के अन्तर्गत इसको ले लिया जाय और यू0 पी0 हैन्डलूम से इसे चलाया जाय । इसके अतिरिक्त जो कपड़े इसमें तैयार हों उसके क्रय-विक्रय की भी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि वहीं जिले में यू0 पी0 हैंडलूम की दुकान पर इसकी बिक्री करवा सकते हैं । इस तरह से गरीब लोगों को कपड़ा मिल सकता है । जैसा कि मान्यवर, अन्य सदस्य भी कह चुके हैं आज खादी इतनी मंहगी हो गयी है कि वह गरीबों के लिये न रहकर अमीरों के लिये रह गयी है जैसा कि खादी ग्रामोद्योग की दुकानों पर आज देखने को मिलता है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जैसा मैंने पिछली सरकार को भी पत्र लिखकर सूचित किया था और इस सरकार से भी कहती हूं कि गांधी वादी नीतियों पर चलने वाली यह सरकार इस बात पर विचार करेगी और गरीब महिलायों और पुरुषों को जो आज इधर-उधर भटक रहे हैं उनको रोजी-रोटी मिल सकेगी । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री श्याम नारायन तिवारी का नाम पुकारे जाने तथा श्री किशोरी श्याम के खड़े होने पर) माननीय किशोरी श्याम जी आप तो किशोरी के श्याम हैं मैंने दूसरे श्याम जी को माननीय श्याम नारायण तिवारी जी को बुलवाया है । आप बैठें ।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य एवं लघु उद्योग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, हमारी प्रदेश में हथकरघा उद्योग ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराता है । इस पर माननीय मंत्री जी ने काफी बल दिया है । बुनकरों की बहबूदी के लिये बुनकर बहबूदी फण्ड और उनके आवास आदि के बारे में तमाम बातें कही । इस विषय में देश के प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी कई घोषणायें की हैं जिनका हम स्वागत करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बहुत धीमे बोल रहे हैं, हिचकिचियां ले रहे हैं । सूक्ष्म में अपनी बात कहें ।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

अगर हथकरघा उद्योग को बचाना है तो मैं एक सूत्री कार्यक्रम का सुझाव देता हूं कि इस हथकरघा निगम की प्रबन्ध निदेशिका को हटा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक सूत्र आपने बता दिया इसीलिये आप बैठ जांय ।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

मैं इस संबंध में एक कहानी कहना चाहता हूं एक चरवाहा अपनी भेड़ के बाल जाड़ों में काट रहा था, अक्सर बाल जाड़ों में ही काटते हैं तो बाल काटते समय वह कांप रही थी उसने पूछा कांपो मत अगले जाड़ों में मैं तुम्हारे लिये कम्बल बना दूंगा भेड़ ने कहा क्षमा करो बाल ही छोड़ दो तो कृपा होगी ।

तो माननीय मंत्री जी अगर उनको हटा दें तो हथकरघा उद्योग का कल्याण हो जायेगा । उनके बारे में पूरे प्रदेश के बुनकरों की तरफ से बुनकर सोसाइटीज की तरफ से और उपभोक्ताओं की तरफ से तमाम आंदोलन हो चुके हैं लेकिन पता नहीं वह क्यों नहीं हटायी गयी । पहले कुछ भी हुआ हो लेकिन आप अपने कल्याणकारी राज्य में उसे हटा दें तो इस निगम का कल्याण हो जायेगा । यह निगम बना कर बुनकरों का कल्याण हुआ है लेकिन जब से यह आई है तब से उसमें घोटाला हुआ है और तब से बुनकरों और उपभोक्ताओं का भी कल्याण नहीं हुआ है और कर्मचारियों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है । हर तरह से सभी लोग परेशान हैं और चारों तरफ से आवाज उठ रही है कि इनके रहते हथकरघा उद्योग नहीं पनपेगा । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य बी0 जे0 पी0 जो नये हैं उनको बोलने दें । माननीय श्याम जी आप उनको बोलने दें नये सदस्य हैं आपके ही दल के हैं ।

श्री प्रागी लाल अहिरवार—

मान्यवर, आपने मुझे कुटीर उद्योग के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं । मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र मऊरानीपुर में बुनकर काफी अच्छा टेरीकाट बना रहे हैं जो काफी तरक्की पर है । मेरा सुझाव है कि उन बुनकरों की सुविधा के लिये कोई प्रोसेसिंग प्लांट वहां नहीं है एक प्रोसेसिंग प्लांट बना दिया जाय । इस प्रोसेसिंग प्लांट के लिये ग्राम रूपा धमना, तहसील मऊरानीपुर, जनपद झांसी में जमीन छुटी हुई है और खसरा खतौनी में दर्ज है । इस-लिये मांग करता हूं कि मंत्री जी ग्राम रूपाधमना में प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाय, सरकारी गोदाम खुलवाया जाये जिससे बुनकरों के कपड़ों की खरीद हो और उन्हें रेशमी सूत उपलब्ध हो सके ।

हमारे क्षेत्र रानीपुर में काफी बुनकर रहते हैं और रानीपुर के नाम से कपड़ा बनता है, वहां बुनकरों के जो पावरलूम चलते हैं उनको ठीक से बिजली नहीं मिल पाती है, इसलिए निवेदन है कि वहां 14 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मान्यवर, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय—

मान्यवर, आपने जो मुझे लघु उद्योग विभाग के बजट पर, कटौती का प्रस्ताव जो श्री तिवारी जी ने पेश किया है इस पर बोलने के लिए मुझे जो अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जैसा श्री तिवारी जी ने कहा है कि आप की सरकार हथकरघा और लघु उद्योगों द्वारा गांवों में लोगों को रोजगार देगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उ0 प्र0 में बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गयी है। आप विधायक निवास में जा के देखें तो प्रतिदिन 10 या 20 लड़के नौकरी की तलाश में मिलेंगे। इसलिये सुझाव है मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है और कहा है कि हम हथकरघा द्वारा और खादी द्वारा बेरोजगारी को दूर करेंगे, रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि मैं मऊ से चुनकर आता हूं, वह हथकरघा का सबसे बड़ा क्षेत्र है लेकिन वहां इतना भ्रष्टाचार है कि जो सही रूप में काम करने वाले लोग हैं वे 80 प्रतिशत टी0 बी0 के मरीज हैं और जो रोजगार कराते हैं वे एअरकंडीशन में बैठते हैं, इसलिए बिचौलियों को आप समाप्त करें।

*श्री स्वामी नाथ—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक तो मंत्री जी द्वारा प्रस्ताव बजट के समर्थन में बोलने के लिए और दूसरे कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये समय दिया। मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, आजादी के बाद, 43 वर्षों के बाद जनता दल का जो मौजूदा जनता शासन है, जिसके द्वारा आम जनता के बीच चुनाव के समय वायदे किये गये थे और उसके मैनिफैस्टो में भी लिखा गया था कि हम इस देश के लाखों नवजवानों की बेरोजगारी दूर करने के लिए राजी हैं, उसी के अनुसार आपका यह मौजूदा बजट है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी तीन बातें हो गईं, अब आप बैठिए।

श्री स्वामी नाथ—

इसके साथ अब मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं और तिवारी जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस पर मुझे बोलने का अवसर दिया । इसमें पर्वतीय क्षेत्र के लिये अलग से निदेशक उद्योग की व्यवस्था हुई है, लेकिन यह अभी पर्वतीय क्षेत्र में नहीं रहते हैं । अभी कानपुर में ही रहते हैं । अब उनको शीघ्र पर्वतीय क्षेत्र में भेजा जाए । वहां पर प्रदूषण रहित उद्योग लगने चाहिए । जैसे इलेक्ट्रानिक उद्योग और जड़ी-बूटियों से सम्बन्धित उद्योग और कारखाने वहां पर लगने चाहिए । साथ ही फल में सोयाबीन, आलू और ऊन आदि पर आधारित उद्योग वहां पर लगने चाहिए । हमारे यहां जनपद चमोली में सिमली नामक स्थान के लिए एक मिनी आस्थान बनना स्वीकृत हुआ था और उसके लिए 50 लाख रुपये की अच्छी जमीन भी खरीदी गई थी । लेकिन कुछ बाद में पता चला कि वहां पर जो डैम बनना है, उसके डूब क्षेत्र में यह स्थान आ जाएगा । इसलिए वह स्थान मिनी आस्थान नहीं बन पाया । जो रुग्ण इकाइयां हैं, उनके पुनर्वास करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, लेकिन जो वहां आस्थान लगाने के लिए उद्योग दिए गए थे, वह खासकर बन्द हो गये मेरा अनुरोध है कि उन इकाइयों को इस समय जरूर प्रारम्भ कर दिया जाए ।

*श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह हमारी बात ध्यान से सुन लें ।

(श्री शारदा नन्द अंचल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अंचल जी आप अपने स्थान पर बैठें ।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के पांच जिलों में एक भी उद्योग नहीं है, न वहां भारी उद्योग है न लघु उद्योग है । झांसी में बिजौली नामक स्थान पर कुछ इंडस्ट्रियल काम्पलेक्स बनने थे, किन्तु उसकी भी हालत ठीक नहीं है । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी कोई प्रोग्राम हमारे यहां का बनावें और स्वयं देख लें कि वहां पर जो उद्योग खुल भी गये थे, सबके सब बन्द हो गये हैं । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे उस उद्योग शून्य जनपद के लिए, जब प्रधान मंत्री जी यहां पर मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने यहां कहा था, उन्होंने बुन्देलखन्ड को दस्यु प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था और कहा था कि इसके माध्यम से हम विश्व बैंक की तमाम योजनायें वहां भेजेंगे, और वहां डाकू नहीं रहेंगे, सारा विकास हो जाएगा । इस लिए आप पूरे झांसी मण्डल का विकास करने के लिए, उसका औद्योगिकीकरण करने के लिए भारी और लघु दोनों प्रकार के उद्योग आप वहां पर तेजी से लगायें । इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत है, जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, वहां अधिकारी पहले रिश्वत ले लेते हैं, तभी कोई ऋण स्वीकार करते हैं । बैंकों में भी बिना पैसा लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता है । इस लिए आपसे आग्रह करूंगा कि सरकार इसमें यद्धस्तर पर अपना ध्यान देकर, प्रदेश में जहां असमान क्षेत्र हैं, उन सबमें उद्योग लगा कर अपने द्वारा चुनाव में किये गये वायदों को पूरा करे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री किशोरी श्याम—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं । मैं आपको सूत्रों में फटाफट बताता हूं । मेरे मथुरा जिले में डेरी उद्योग चौपट हो गया है, उसपर मन्त्री जी का ध्यान दें, उसे ठीक से चलवा दें । मेरे क्षेत्र में जो रेशम उद्योग था, वह भी चौपट हो गया है । 25 हजार मेरे क्षेत्र में बुनकर हैं, जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उस पर आप ध्यान दें । मान्यवर, बुनकरों की व्यवस्था नहीं है । मैं तो कहता हूं कि 'बीती ताहि बिसारि दे आगे की सुध लेय' । मैं माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि आप उद्योग लगाने तो माथा (दिमाग) बदलने का उद्योग लगायें । यदि माथा नहीं बदला जाएगा तो उद्योग के कार्यक्रम पूरे नहीं होंगे । इस लिए मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जितने भी एम0 एल0 ए0 हैं उनको जिम्मा सौंप दिया जाय और यदि वह अपने क्षेत्र से बेइमानी, भ्रष्टाचार बदमाशी को न रोक पायें तो उनको टिकट न दिया जाए । इससे अपने आप फैसला हो जाएगा । इसलिए अब विचार करना पड़ेगा कि मेन प्वाइन्ट कहां पर है । मेन प्वाइन्ट केवल वहां पर है जहां पर मनुष्य सुन रहा है, देख रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सचिव भेजे हैं । सचिवों ने वहां जाकर निरीक्षण किया है, सचिव निरीक्षण कर आए और माननीय मुख्य मन्त्री जी को समाचार दे दिया, लेकिन रहे वही ढाक के तीन पात । कोई फर्क नहीं पड़ा । मेरा निवेदन है कि सब इकट्ठा होकर किसानों से कहें कि कहां तक ढोओगे, पाओगे । मान्यवर, इसके लिए माननीय सदस्यों को मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी सुख सुविधा छोड़नी पड़ेगी । आप लोग ए0 सी0 को छोड़िए और खेत में चलिये, भ्रष्टाचार को रोकिए. समस्याओं को सुलझाइए ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठिए ।

*श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, मैं संभल जिला मुरादाबाद के एक गांव में जहां पर 50 हजार की आबादी है, सींग का काम होता है, के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । मान्यवर, यह बहुत मशहूर काम है इससे खिलौने और दूसरी चीजें बनाई जाती हैं । लेकिन बड़ा अफसोस है कि इस उद्योग को माडीफाई नहीं किया है, और कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है । माननीय मंत्री जी ने भी हमारे इस सींग के मशहूर काम के लिए अपने बजट में कोई प्रस्ताव नहीं रखा है । मैं चाहूंगा कि इस सींग के काम को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि सरकार को फारेन एक्सचेंज भी मिलता है और आमदनी होती है, उसमें सुधार किया जाए । जिससे बुनकरों की खराब हालत भी सुधरेगी ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, वह इसलिए कि किसी न किसी शकल में चाहे इधर बैठने वाले साथी हों चाहे उधर बैठने वाले, सबने वही सुझाव दिया है उनकी मंशा वही थी जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मैंने सुझाव दिए थे उन सुझावों की मंशा आलोचना नहीं है उनकी मंशा यह है कि कारगर सुधार हो सकें । दो-तीन सुझाव मैं और देना चाहूंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

जल्दी से सुझाव दें ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

यूपिका के बारे में बताना चाहूंगा कि किस तरह से फर्जी बिलिंग कराकर सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, तो इस फर्जी बिलिंग को रोका जाना चाहिए । मान्यवर, मैं खादी बोर्ड के बारे में निवेदन करूंगा आपको ध्यान होगा अधीर दुबे जी, एम0 एल0 सी0 इसके उपाध्यक्ष थे उस वक्त वहां किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि वह अपने आपको वहां रख सकने में असमर्थ हो गए और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया । मान्यवर, 400 मुकदमें खादी बोर्ड के कर्मचारियों पर लम्बित पड़े हैं, तो उस पहलू को भी देखने का कष्ट करें । इस सम्बन्ध में कारगर घोषणायें करें । यूपिका और उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में सड़क परिवहन निगम और आवास विकास परिषद् के लोग प्रतिनियुक्ति पर आए हुए हैं, तो उनको हटाया जाए । जिला उद्योग केन्द्र के द्वारा लाभार्थियों को जो एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाता है, उसमें अधिकारियों से हटकर जन प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब खत्म करें ।

श्री बिमल प्रसाद तिवारी—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे कटौती का प्रस्ताव रखने का समय दिया ।

(समय 5 बजे)

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी ने, सदस्य फर्रुखाबाद ने, जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मान्यवर, उस प्रस्ताव में ही उन्होंने इस बात का स्वागत किया है कि वर्तमान सरकार की जो नीतियां हैं लघु उद्योग, ग्रामीण उद्योग, हस्त करघा उद्योग, कुटीर उद्योग के संबंध में, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं होगा जो हमने कहा है, वही करेंगे । इसलिए कहना चाहता हूं कि देश की जो-जो समस्यायें हैं उसका निदान कोई है तो यही एकमात्र रास्ता है दूसरा कोई रास्ता नहीं है । महात्मा गांधी जी ने जब इस नीति को बनाया था तो मान्यवर आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उस नीति को सही नहीं माना और किन्हीं कारणों से उन नीतियों को छोड़कर उन्होंने खादी उद्योग की नीति को प्राथमिकता दी जहां तक मैंने महात्मा गांधी जी को पढ़ा है उन्होंने साफ कहा है कि जो काम हाथ से हो सके उसको हाथ से करना चाहिए । जो काम लघ उद्योग, कुटीर उद्योग में होना चाहिए वह उसमें होना चाहिए जो कारखाने हमें बड़ी चीजों को जैसे हवाई जहाज, पेट्रो कैमिकल्स आदि बनाने के लिए हमें खोलने पड़े वह खोले जाएं । लेकिन छोटी चीजों को बनाने के लिए बड़े उद्योग नहीं होने चाहिए । मान्यवर, उन्हीं नीतियों के कारण आज 42—43 साल की आजादी के बाद जिस गति से प्रगति होनी चाहिए थी और देश से बेरोजगारी दूर होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी

हैं । मान्यवर जैसा आपने कहा, हम सब जिम्मेदारी आप पर नहीं छोड़ना चाहते हैं मैं दोषारोपण में विश्वास नहीं करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कार्य में । आपने एक बहुत सही मुद्दा उठाया कि बजट में इस वर्ष उतना प्राविधान नहीं किया गया है तो फिर कैसे कार्यों को कार्यान्वित किया जायगा ।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल को घोषित हुयी है और 30 अप्रैल तक बजट बन चुका था, प्राविधान हो चुके थे इसीलिये आपने देखा होगा कि आकस्मिकता निधि में 400 करोड़ रुपये की जगह 600 करोड़ रुपया रखा गया है । यह इसलिये किया है कि जो अपरिहार्य आवश्यकता होगी उसको इसके माध्यम से पूरा करेंगे । तो मान्यवर, पैसे के लिये कोई कार्यक्रम नहीं रुकेगा और यह कार्यक्रम पूरे किये जायेंगे । आपने खादी बोर्ड के बारे में विस्तार से कहा है । मैंने उसके लिये आवश्यक निर्देश दे दिये हैं, जैसे ही उसकी जांच हो जायेगी उस पर कार्यवाही की जायगी । जो एप्वाइंटमेंट के बारे में कहा है तो वह प्रतिवेदन हमें मिला है । मान्यवर, राम गोविंद चौधरी, माननीय रघुबर दयाल वर्मा और अन्य माननीय सदस्यों ने यूपिका के माध्यम से जो फर्जी सोसायटियां चल रही हैं उनके बारे में पूछा कि क्या कार्यवाही हुयी है । मान्यवर, 44 समितियों के बारे में सतर्कता विभाग जांच कर रहा है । दो समितियों के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है और जैसे ही शेष के खिलाफ जांच रिपोर्ट आ जायगी सतर्कता विभाग से उसके बाद उनके प्रति भी अभियोजन की कार्यवाही करेंगे । इसी तरह से जनता धोती के बारे में कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है । मैं बताना चाहूंगा कि जनता धोती जो बुनकरों से खरीदी जाती है उसकी कीमत 47 रुपये पड़ती है और जो बिक्री की कीमत है वह 32 रुपये है । मान्यवर, यह कीमत पिछले 1 साल से हम लोगों ने स्थिर रखी है और इसे बढ़ने नहीं दिया है । आप सहमत होंगे कि मूल्य वृद्धि के कारण निरंतर सूत की कीमतें बढ़ रही हैं लेकिन हम बचनबद्ध हैं कि जनता धोती की कीमत न बढ़ने पाये । इसीलिये भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें अनुदान देती है जिससे इसमें बढ़ोत्तरी नहीं होने पायेगी ।

मान्यवर, एक बात यह कही गयी के0 के0 एैरन के बारे में जो अपट्रान में थे, उनको 1100—1600 से 3000—4000 में कनवरजन हुआ है । उन्हें 3700—5000 का ग्रेड दिया गया है । तो देखने में यह कोई अनुचित बात नहीं लगती है अगर आप और कोई तथ्य देंगे तो उनकी जानकारी कराकर आपको अवगत करा दिया जायगा । मान्यवर, इसी तरह से भा0 ज0 पा0 के लोग स्वभवत: किसी से बहुत पीड़ित हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने बड़ा भारी प्रतिवेदन दिया है वित्त मंत्री जी को तो मान्यवर, जहां तक मझे मालुम है, इस शासन के आने के बाद जितने अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है संभवत: उतनी कार्यवाही किसी सरकार ने नहीं किया है । मान्यवर, इसी तरह से हथकरघा निगम में कार्यवाही की गयी है । मुझे मालुम हुआ है कि उसमें अधिकारियों का एक गुट है जो ड्यूटी नहीं करता है और न ड्यूटी पर जाता है । गबन के तमाम आरोप हैं और जो हटा दिये गये हैं, निलम्बित कर दिये गये हैं अपनी ड्यूटी पर जाते नहीं हैं और लखनऊ में सचिवालय में बराबर घूमते रहते हैं । अगर उनकी बात सत्य मान ली जायगी तो प्रदेश में कोई अफसर काम करने के लायक नहीं रह जायगा । मान्यवर, कल्याण सिंह जी ने कहा था तो मैंने उसकी जांच करवायी, आपने मुख्य मंत्री जी को जो दिया है तो उसकी जांच हो रही है ।

जब तक कोई जांच न हो जाय किसी के खिलाफ जो इस सदन में अपनी सफाई न दे सके, मेरा स्पष्ट आपसे आग्रह है विशेषकर माननीय कल्याण सिंह जी

से, जब मैं इस सदन में विरोध पक्ष में रहा, न मैंने यह किसी मंत्री के खिलाफ, न किसी अधिकारी के खिलाफ आरोप-प्रत्यारोप किया ।

*श्री कल्यान सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने भा0 ज0 पा0 के अनुशासन की प्रशंसा की, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं, और मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह भा0 ज0 पा0 को इस बात के लिए बधाई दें कि भा0 ज0 पा0 के सदस्य माननीय बाल चन्द्र मिश्र ने उत्तर प्रदेश हथकर्घा निगम, कानपुर की प्रबन्ध निदेशिका के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये हैं, वह बड़े अनुशासित और शालीन भाषा में लगाये हैं । मान्यवर, माननीय बाल चन्द्र मिश्र ने उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और वहां की प्रबन्ध निदेशिका के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप लगाये हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि किसी उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच के अन्तर्गत उनके द्वारा लगाये गये आरोप असत्य सिद्ध हुए, तो वह इस सदन से भी त्यागपत्र दे देंगे । यह सदन अपनी बात कहने के लिए हम लोगों के लिए सर्वोच्च फोरम है और इस सदन में माननीय सदस्य भ्रष्टाचार के इतने गम्भीर आरोप अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ लगा रहे हैं । तो मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस सदन में घोषणा करेंगे कि इन सारे भ्रष्टाचारों की सी0 बी0 आई0 या किसी अन्य उच्च एजेंसी के द्वारा जांच करायेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैंने पहले ही कहा, शायद माननीय कल्यान सिंह जी सुन नहीं पाये । आपने स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी को एक प्रत्यावेदन दिया है ।

श्री कल्यान सिंह—

वह अलग प्रकरण है और माननीय बाल चन्द्र जो आरोप लगा रहे हैं, वह अलग प्रकरण है ।

श्री रेवती रमण सिंह—

आप सम्यक रूप से पूरा प्रत्यावेदन बना दें, कृपया उन अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रश्रय न दें, जो खुद ड्यूटी पर नहीं जाते हैं । आप कृपया तथ्य के आधार पर बात करें । मैं तथ्यों के आधार पर सदन में बात कह रहा हूं । मैं किसी के कहने मात्र से, यह कोई बयान नहीं दे रहा हूं । मेरे सामने जो तथ्य हैं, उन्हीं के आधार पर मैं कह रहा हूं । जो निगम हैं, उनकी आडिटिंग होती है । हमारा जो ब्यूरो है, वह हर निगम की मानीटरिंग करता है । हमारे पास जो ब्यूरो से रिपोर्ट आई है, न उसमें इस बात का उल्लेख है और न ही आडिट रिपोर्ट में ही इस बात का उल्लेख है । कोई बात कहें, तो जिम्मेदारी से कहें । यह हो सकता है कि किसी व्यक्ति का कण्ठा हो, आपकी कोई व्यक्तिगत शिकायत हो सकती है । आप मुझे लिख कर दें, जिसकी मैं सम्यक जांच करवाने के लिए तैयार हूं । जो खादी बोर्ड के कार्यपालक रहे हों. अगर उनकी बात कहनी ही थी तो आप उस बोर्ड का नाम लेकर कह सकते थे । मैंने उसकी जांच के आदेश कर दिये हैं । यह सरकार कोई बात छिपाना नहीं चाहती और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

न उसको दबाना चाहती है, लेकिन इतना निश्चित है कि इस सरकार का दायित्व है कि जो अधिकारी या कर्मचारी इस सदन में अपनी सफाई नहीं दे सकता, तो उनके बारे में न कहा जाय । ऐसी स्वस्थ परम्परा बनाई जाय । मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं, पक्ष और विपक्ष का और ज्यादातर सदस्यों ने इस बात की सराहना की कि जो उद्योग नीति, लघु उद्योग नीति या उद्योग नीति की घोषणा इस सरकार ने की है, वह अपने में एक कीर्तिमान है और यह समझकर किया गया है कि इस उद्योग नीति के द्वारा ही इस प्रदेश का कल्याण है, इस उद्योग नीति के द्वारा हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, इसी उद्योग नीति के द्वारा हम गांवों को बेहतर समृद्धशाली बना सकते हैं, इसी उद्योग नीति के द्वारा हम एक प्रदेश के आगे जो उच्चीकृत प्रदेश हैं, उन्नतिशील प्रदेश हैं उनके मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं । लघु ग्रामीण उद्योग और रेशम उद्योग के माध्यम से, कुटीर उद्योग के माध्यम से एक नम्बर पर भारत का हथकरघा था उसको फिर से पुनर्स्थापित करने की पूरी-पूरी चेष्टा वह सरकार करेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 5-उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 25,23,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 6-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6-उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,18,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से 3 सूचनाएं, श्री हर नरायन की सूचना वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुई, श्री श्याम देव राय चौधरी दादा, और श्री रविदास मेहरोत्रा की सूचनाएं केवल वक्तव्य के लिए स्वीकृत हुई और शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुई ।

मण्डी निदेशक द्वारा "मण्डी सर्वेक्षण रिपोर्ट" में मण्डी समितियों में करोड़ों रुपये के घपले का पर्दाफाश होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)—

[मण्डी निदेशक जो कि सम्प्रति निदेशक कृषि विपणन भी हैं, ने मण्डी समितियों के कार्यकलापों में सुधार एवं यह जानकारी करने हेतु कि मण्डी अधिनियम के अंतर्गत दिये गये प्राविधानों के अनुरूप मण्डी समिति में कार्य हो रहा है अथवा नहीं, के ध्येय से मण्डी स्टेट्स सर्वेक्षण के निर्देश दिये थे । मण्डी निदेशक के निर्देशों के क्रम में कृषि विपणन विभाग के द्वारा 117 निर्मित एवं व्यापार स्थानान्तरित मण्डियों की स्टेटस सर्वेक्षण रिपोर्ट 3, खण्डों में क्रमशः जुलाई, 1988, दिसम्बर, 1988 एवं मार्च, 1989 में तैयार की गई थी और निदेशक, मण्डी परिषद को उनके निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की गयी थी । मण्डी निदेशक ने यह सर्वेक्षण मण्डियों के कार्यकलापों व नियमन में सुधार के ध्येय से कराया था । यह सही है कि सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया है कि बहुत सारी मण्डी समितियों में मण्डी अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों का सही अनुपालन नहीं हो रहा है । प्राविधानों का अनुपालन न होने से सम्भव है कि किसानों को वह उत्कृष्ट सेवा प्रदान नहीं की गयी जो कि अधिनियम में अपेक्षित थी । किन्तु इन प्राविधानों के उल्लंघन से क्या वास्तव में ही मण्डी समितियों को हानि हुई है या नहीं वह एक अलग जांच का विषय है । यदि माननीय विधायक इस विषय में कुछ दृष्टान्त या सूचना उपलब्ध करवायें तो उसकी गहन जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

खतौली मण्डी समिति तत्समय निर्मित नहीं थी, इसी कारण वहां पर सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित नहीं हुआ था ।

यह कहना सही नहीं है कि यदि काश्तकार मण्डी समिति में अपना उत्पाद विक्रय हेतु लाता है और किन्हीं कारणों से वह वहां पर नहीं बेचता है तो मण्डी से माल वापस लाते समय उसके माल का गेटपास कटता है । सत्यता यह है कि उत्पादक किसान से कोई मण्डी शुल्क नहीं लिया जाता है और न उत्पादक किसान के द्वारा किसी प्रकार का रिटर्न भरा जाता है । नियम यह है कि लाइसेंसी व्यापारी के द्वारा मण्डी समिति के परिक्षेत्र के बाहर विक्रय के लिए जो माल जाता है उसका गेटपास कटता है । इस प्रकार के प्रकरण पर चूंकि माल मण्डी समिति के क्षेत्र के बाहर बेचा जाता है नियम के अन्तर्गत मण्डी शुल्क लेने का प्राविधान नहीं है । यहां उस व्यापारी के लिए यह आवश्यक है कि वह मण्डी से बाहर बेचे गये माल की सूचना निर्धारित अवधि में मण्डी समिति जहां पर वह व्यापार करता है, उसको प्रस्तुत करे । यदि व्यापारी मण्डी क्षेत्र के बाहर निकाय किये

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गये माल का प्रमाण-पत्र मण्डी समिति को उपलब्ध करा देता है तब ऐसी स्थिति में यदि मण्डी समिति सन्तुष्ट हो तब उस व्यापारी पर मण्डी शुल्क लगने का प्राविधान नहीं है । प्रस्तुत नोट्स में सामान्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि मण्डी समिति का करोड़ों रुपया हजम कर लिया गया है । इस संबंध में किसी ठोस प्रकरण का उद्धरण नहीं दिया गया है जिसका कि उत्तर प्रस्तुत किया जा सके न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है ।

उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये मण्डी अधिनियम व नियमावली में यह प्राविधान किया गया है कि कृषकों द्वारा लगाये गये उत्पाद के वर्गीकरण की सुविधा प्रदत्त की जाय ताकि वर्ग के अनुसार उत्पादकों को सही मूल्य प्राप्त हो सके । यह अवश्य है कि प्रत्येक कृषक के उत्पाद का जबरन और अनिवार्य रूप से वर्गीकरण किया जायेगा, वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है । मण्डी परिषद की ओर से 60 निर्मित मण्डियों में वर्गीकरण की सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा चुकी है एवं शेष 64 निर्मित मण्डियों में जहां पर व्यापार स्थानान्तरित हो चुका है, में भी वर्गीकरण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना वर्ष 1990-91 में स्वीकृत की जा चुकी है । चूंकि यह सुविधा ऐच्छिक है, अतः जो भी कृषि उत्पादक वर्गीकरण का लाभ चाहता है, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । यह कहना सही नहीं है कि वर्गीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है । अतः यह कहना सत्यता का आधार नहीं है कि वर्गीकरण के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है ।

यह आरोप सत्यता पर आधारित नहीं है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उस पर कार्यवाही नहीं की गई है । सम्भागीय उप निदेशकगण अपने क्षेत्र के दौरे के समय विनियमन का पालन किये जाने के पहले तो देखते ही हैं मुख्यालय के अधिकारी भी परिक्षेत्रों में जाकर विनियमन के प्राविधान लागू किये जाने की समीक्षा भी करते रहते हैं । इसके अतिरिक्त मासिक बैठकों में मुख्यालय पर विनियमन के प्राविधानों के लागू किये जाने की समीक्षा की जाती है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक मण्डल में मण्डी समिति के सचिवों की तिमाही बैठकें करके सम्पूर्ण कार्यकलापों की समीक्षा की जाती है । उक्त स्टेटस सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् ही निदेशक, मण्डी परिषद् ने मण्डी समितियों के समस्त सचिवों एवं सम्भागीय उप निदेशकों को उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंगित किये गये बिन्दुओं का तत्परता से कार्यवाही के निर्देश निर्गत किये थे इसकी प्रतियां प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को भी भेजी गई थीं ताकि उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट में इंगित बिन्दुओं पर कार्यवाही हो सके और विनियमन में तेजी आ सके, स्पष्ट है कि समुचित कार्यवाही लगातार की जा रही है । सम्मानित विधायक महोदय का यह कहना कि सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद इस पर कार्यवाही न करके एक सुनियोजित साजिश के तहत चोर बाजारी एवं काला धन को बढ़ावा दिया जाता है, इस प्रकार तथ्यों के विपरीत एवं गलत है ।

मण्डी निदेशक ने स्टेट्स सर्वेक्षण रिपोर्ट मात्र शासकीय प्रयोग हेतु तैयार कराई थी, जिस पर रिपोर्ट आने के पश्चात् ही तत्परता से कार्यवाही की गई है । यह सर्वेक्षण रिपोर्ट किसी को वितरित करने के लिये तैयार नहीं करायी गयी थी, क्योंकि इसी तरह की अनेकों रिपोर्ट कार्य में सुधार एवं प्रगति हेतु तैयार की जाती हैं जो कि मात्र कार्यालय के प्रयोग हेतु होती है इसी कारण इस रिपोर्ट को भी सम्मानित विधायकगणों को नहीं

थी गई । इससे यह तात्पर्य निकालना कि यह एक सुनियोजित षड़यंत्र के तहत मण्डी क्लब के अपवंचन के लिये किया गया है, जिसमें विभागीय अधिकारियों का हाथ है, किसी भी प्रकार से उचित नहीं है ।]

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मद संख्या 10 के प्रश्नकर्ता नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष—

ठीक है, मद संख्या 11 ले रहा हूं।

लखनऊ की सआदतगंज बस्ती में शिया-सुन्नी वर्ग में एक व्यक्ति की मृत्यु तथा कई लोगों के घायल होने के संबंध में वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नियोजन एवं कारागार मंत्री (शतरुद्र प्रकाश)—

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 28-6-90 को थाना सआदतगंज क्षेत्र, लखनऊ में मुहर्रम की नौचंदा पर शिया समुदाय द्वारा दरगाह अब्बास पर मजलिस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था । इस क्षेत्र में नौचंदी के अवसर पर स्थानीय संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 पूर्व से ही तैनात की गई थी । दिनांक 28-6-90 को रात लगभग 8.30 बजे शिया समुदाय के कुछ लोग काजमैन स्थान से बिना पूर्व सूचना एवं अनुमति के अलम लेकर जुलूस के रूप में कर्बला पर जाने लगे । इस जुलूस को स्थानीय पुलिस द्वारा रोका गया । इसी बीच निकट घंटा वेग गढ़ैया और आसपास की मिश्रित आबादी क्षेत्र के सुन्नी समुदाय के लोग विरोध स्वरूप एकत्र होकर शिया सम्प्रदाय के मकानों एवं दुकानों पर हमले किये । इसके पश्चात् शिया और सुन्नी सम्प्रदाय के बीच संघर्ष हुआ और ईंट-पत्थर फेंके गये, गोली चलाई गई एवं हथगोलों का भी प्रयोग हुआ । नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस बल ने भीड़ पर बल का प्रयोग किया तथा स्थिति नियंत्रण में की । इस घटना में श्री मन्ने बाबू पुत्र मोहम्मद अहसान, निवासी टोपी वाली गली, थाना सआदतगंज की मृत्यु हो गयी तथा सात अन्य व्यक्ति घायल हो गये । पुलिस के चार कर्मचारी भी इसमें घायल हो गये ।

उपरोक्त घटना के संबंध में थाना सआदतगंज पर दो अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 171/90 धारा 147/123/336/446/427/153-क आई0 पी0 सी0 तथा मुकदमा अपराध संख्या 172/90 अन्तर्गत धारा 147/148/149/302/336/153-क आई0 पी0 सी0 पंजीकृत किये गये जो विवेचनाधीन हैं । घटना के मौके पर ही पुलिस द्वारा 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । घटना के उपरांत घटना में शामिल अन्य 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 258 व्यक्तियों को शांति भंग होने की आशंका से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । शांति भंग के अन्देशा से गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को जेल से छोड़ दिया गया है । इस घटना के उपरांत थाना सआदतगंज क्षेत्र में काजमैन रोड में अकबरी गेट से कल्लू होटल तिराहा तक तथा दरगाह हजरत अब्बास रोड में घंटा वेग गढ़ैया से

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

चौपटिया तक दिनांक 29-6-90 की प्रात:काल से कर्फ्यू लगा दिया गया और भारी मात्रा में पुलिस एवं पी0 ए0 सी0 तथा सी0 आर0 पी0 को तैनात किया गया । दिनांक 1-7-90 से 10-7-90 तक उक्त क्षेत्रों में आंशिक रूप से कर्फ्यू चलता रहा । कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में उ0 प्र0 आवश्यक वस्तु निगम के सचल दुकानों द्वारा कर्फ्यू के दिनों में प्रतिदिन आवश्यक वस्तुओं का विवरण एवं विक्रय किया गया । उपरोक्त घटना में मृतक मुन्ने बाबू के परिवार को रुपया 20,000 (बीस हजार रुपये) की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है । घटना में नष्ट हुए दुकानों के दुकानदारों और मकान मालिकों को भी आर्थिक सहायता दे दी गई है । दिनांक 11-7-90 से कर्फ्यू पूर्णतया हटा लिया गया है । दिनांक 28-6-90 को घटना के पश्चात् उक्त क्षेत्र में कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है तथा स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है ।]

श्री कृष्ण कुमार नवमान—

मान्यवर, एक जानकारी चाहता हूं कि शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार लोगों को छोड़ दिया गया है, जैसा कि इसमें कहा गया है । (व्यवधान)

(श्री शारदा प्रताप शुक्ला द्वारा माइक उखाड़ने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शुक्ला जी क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप इधर बैठकर जो करते थे, वही उधर बैठकर कर रहे हैं ।

श्री शारदा प्रताप शुक्ला—

मान्यवर, यह व्यवस्था ही गड़बड़ है ।

श्री शिव करन सिंह—

मान्यवर, यह संसदीय कार्यमंत्री पर दोष लगा रहे हैं ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि शांति भंग की आशंका से गिरफ्तार किये गये सभी व्यक्तियों को छोड़ दिया गया । क्या इस घटना को उदाहरण मानकर आईंदा जहां-जहां शांति भंग का अंदेशा होगा वहां गिरफ्तार किये गये दोषी व्यक्तियों को इसी तरह से छोड़ दिया जायगा ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, परिस्थिति को देखकर विवेक के अनुसार काम किया जायगा ।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, मैं इस संबंध में तीन प्रश्न माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं (1) काजमैन से कर्बला तक अलम लेकर जुलस निकालने का पूर्व माइक पर प्रचार किया गया था (2) स्थानीय पुलिस जो लगाई गई थी, क्या वह पर्याप्त थी, तथा (3) लखनऊ के एस0 एस0 पी0 घटना होने के कितनी देर बाद घटनास्थल पर पहुंचे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जो पुलिस का इंतजाम पहले से किया गया था और जो वहां पर प्रतिबंधित धारा लगायी गयी थी, उसको देखते हुए वहां पर जो शिया समुदाय था, उन लोगों ने जो मजलिस के बाद अलम लेकर कर्बला जा रहे थे, उस समय मौजूद पुलिस व्यवस्था की परवाह नहीं की और आगे बढ़ गये। इस संबंध में वहां पर पुलिस कप्तान कब पहुंचे, इसकी सूचना मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री रविदास मेहरोत्रा—

मान्यवर, वहां एस0 एस0 पी0 लखनऊ घटना के दो घंटे बाद पहुंचे, सूचना मिलने के बाद दो घंटे तक पहुंचे नहीं। पुलिस ने जुलूस को रोका नहीं और माइक पर प्रचार होता रहा (श्री रविदास मेहरोत्रा के निरन्तर बोलते रहने पर) पुलिस की अक्षमता

श्री उपाध्यक्ष—

मेहरोत्रा जी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठ जायं। स्पष्टीकरण में लम्बी बात नहीं कही जाती है। आप बैठ जायं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप सीखिये। आप नये होने के बावजूद विद्वान सदस्य हैं। भाषण नहीं होता। स्पष्टीकरण में केवल प्रश्न के माध्यम से कोई बात पूछी जाती है। आप लम्बी बात कर रहे हैं। मैंने राम कुमार शुक्ला जी को बुला लिया है। उसको समय दे दिया है। आप बैठें।

श्री राम कुमार शुक्ल—

मान्यवर, मैं केवल दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो जुलूस निकल रहा था, उस पर सुप्रीम-कोर्ट से प्रतिबंध है, उस पर लगातार पुलिस ने इतनी लम्बी दूर तक जुलूस कैसे निकलने दिया, पहले क्यों नहीं रोका गया। दूसरे जिन घरों से लगातार हथगोले और गोलियां चलाई गयीं उनको छोड़ क्यों दिया गया और अपराधियों पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट की निषेधाज्ञा को देखते हुए जुलूस क्यों निकलने दिया गया। मान्यवर, क्या भविष्य में सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन किया जायेगा। और जुलूसों पर प्रतिबन्ध लगाया जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जो शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किये गये थे उनको छोड़ दिया है। लेकिन जो मुकदमा अपराध संख्या 172, 171 के दो मुकदमे दाखिल किये गये थे, उनको रिहा नहीं किया गया है। जो शांति भंग की आशंका से पकड़े गये थे उनको प्रशासनिक मैजिस्ट्रेट द्वारा रिहा कर दिया गया, स्थिति को देखते हुए।

श्री राम कुमार शुक्ल—

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट की निषेधाज्ञा को देखते हुए जुलूस क्यों निकलने दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

शुक्ला जी आप बैठें, मैंने मुईद अहमद साहब को बुला लिया है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह सही है कि जुलूस निकलने की मनाही थी और काफी सालों से जुलूस नहीं निकल रहा था । लेकिन एहतियात के तौर पर वहां पर पुलिस का इंतजाम कर दिया गया था । लेकिन फिर भी अगर लोग कानून को तोड़ते हैं और कानून को मनवाने का यह मतलब नहीं है कि उनको लाठी गोली से भून दिया जाय और अगर निहत्थे लोग, उसमें कुछ उपद्रवी तत्व भी हों, उपद्रव करने की गरज से जुलूस निकालें । आप पूरी बात तो सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाये रखें । आप बैठें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

कम से कम लोगों की जानमाल की हिफाजत कर स्थिति पर नियंत्रण किया जाय, इसका प्रयास किया गया । इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई दूसरे पूरा इंतजाम किया गया ।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, बताया गया कि फोर्स ने इस तरह से आचरण किया जिससे स्थिति नियंत्रण में रहे । एक तो प्रतिबंधित जुलूस था जब जुलूस पर प्रतिबंध लगा हुआ था तो उसी दृष्टिकोण से वहां पर पुलिस फोर्स लगायी गयी थी जब जुलूस निकल रहा था तो दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को गुस्सा था कि प्रतिबंधित जुलूस निकाला जा रहा है, इसलिए वे वहां एकत्र हो रहे थे । दोनों जगह आपकी पुलिस फोर्स फेल हो गयी । एक तो जहां जुलूस निकला वहां आपकी पुलिस फोर्स फेल हो गयी दूसरे जहां पर लोग एकत्र होने लगे वहां पर पुलिस फोर्स फेल होने लगी उनको एकत्र करने की और पथराव करने की छूट मिली । आपकी पुलिस अक्षम साबित हुई ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, इस बात का क्या जवाब दिया जाय, जो घटना थी वह फैल नहीं पायी। उन लोगों की जरूर कोशिश होगी लेकिन स्थिति नियंत्रण में की गयी । यह सही है कि यह घटना उतनी नियंत्रित न की जाती तो ज्यादा फैल जाती । जिस दिन यह घटना हुई उसके बाद पूरे शहर में उस तरह की दूसरी घटना नहीं हो पायी । फिर यह जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है । एक आदमी की मृत्यु हो गयी, कुछ लोगों को चोटें आ गयी पुलिस वालों को भी कुछ को, बताया गया है कि चोटें आयी । जितनी अच्छी तरह से नियंत्रण किया जा सकता था किया गया । जहां पर यह घटना घटी वहीं पर इसे सीमित कर दिया गया, इसको फैलने नहीं दिया गया । अगर वह न हुआ होता तो यह इतनी जल्दी आग की तरह फैल जाती कि मुश्किल हो जाती । यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि समाज के ऐसे लोगों को हतोत्साहित करें तो साम्प्रदायिकता को बढ़ाकर उसे फैलाना चाहते हैं एवं लापरवाही के कारण लखनऊ में दो वर्गों में दंगा हुआ है पुलिस ने नहीं जनता ने शान्ति कायम कराई । शान्ति दोनों वर्गों के प्रतिष्ठित लोगों के प्रयास से कायम हुयी।

रविदास मेहरोत्रा—

जुलूस जो निकाला गया था क्या उसका कोई प्रचार हुआ था, जो पुलिस लगायी गयी थी क्या वह पर्याप्त थी ? लखनऊ के एस0 एस0 पी0 सूचना मिलने के कितनी देर बाद पहुंचे? माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि यह जो दंगे होते हैं दंगे में किसी की मृत्यु हुई होगी तो उसके परिवार को एक लाख रु0 दिया जायेगा । दंगे में यह जो मुन्ने बाबू पत्र श्री मोहम्मद अहसान की मृत्यु हुई है इसको बीस हजार रु0 ही दिया गया है । क्या उस घोषणा के तहत माननीय मंत्री जी इस मृतक के परिवार को भी एक लाख रु0 देने की घोषणा करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीय रविदास मेहरोत्रा जी नौजवान विधायक हैं उनसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि पूरे मामले का परीक्षण करें, कोई अफसर वहां पर गया कि नहीं कितने बजे गया उस गाड़ी से उतरा नहीं, यह कितना महत्वपूर्ण है या नहीं उनके द्वारा पूरी समीक्षा की जाती विवेचना करनी चाहिए । यह तो आप जानते हैं कि आपके दल की सरकार ने इसको कितनी जल्दी नियंत्रण में कर लिया । यह बहुत फैल सकती थी । यह कहा गया कि जो धनराशि दी गयी है का है इसमें कोनेले व्यवहार की बात नहीं है । आप माननीय मुख्य मंत्री से मिलकर इस मामले में बढ़वा सकते हैं आप उनसे इस संबंध में मिल सकते हैं आप खुद सक्षम विधायक हैं ।

श्री बसन्त लाल गुप्त—

यह जो 28-6-90 को घटना हुई, क्या इसकी पूर्व सूचना थी कि यह जुलूस निकलेगा ? क्या किसी व्यक्ति को मीसा में बंद किया गया था । क्या किसी ने लाउडस्पीकर पर यह सूचना दी थी कि जुलूस निकलेगा ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, बिला वजह किसी को रासुका या मीसा में क्यों गिरफ्तार किया जायेगा।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि डी0 एम0. लखनऊ और एस0 एस0 पी0, लखनऊ किस समय घटनास्थल पर पहुंचे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, 28 तारीख की घटना है, अब सब शान्ति हो गयी, सब लोग अपने-अपने घरों में हैं, अब गड़े मुरदे उखाड़ने से क्या फायदा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, सोमवार 11 बजे तक के लिये ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 25 मिनट पर सोमवार, 16 जुलाई, 1990 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :

13 जुलाई, 1990

(नत्थी-क)

(देखिये अ0 प्र0 स0 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

अतारांकित प्रश्न संख्या—7 के उत्तर का संलग्नक

दैनिक वेतन भोगी लिपिकों की सूची "क"

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	नियुक्ति तिथि
1	2	3
1.	श्री ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव	3-6-81
2.	श्री मथुरा प्रसाद	9-7-82
3.	श्री शिवनाथ राम	12-11-82
4.	श्री राम केशव चौरसिया	13-5-82
5.	श्रीमती माया पाल	12-5-83
6.	श्रीमती शीला सिंह	13-6-83
7.	श्रीमती उर्मिला भटनागर	11-7-83
8.	श्री ओम नारायण श्रीवास्तव	19-8-83
9.	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	19-8-83
10.	श्री श्रीकृष्ण गौतम	7-1-84
11.	श्रीमती मंजू श्रीवास्तव	17-2-84
12.	श्रीमती मधुरानी सिन्हा	21-3-84
13.	श्रीमती कान्ता देवी	6-6-84
14.	श्री गया प्रसाद	1-7-84
15.	श्री कमलेश कुमार शुक्ला	12-7-84
16.	श्री राजेन्द्र प्रसाद टम्टा	3-8-84
17.	श्री ओम प्रकाश सैनी	6-8-84
18.	श्री सूर्य कुमार मिश्रा	20-8-84
19.	श्री तेज भान सिंह	15-9-84
20.	श्री गिरीश कुमार तिवारी	1-12-84
21.	श्री गौतम अधिकारी	26-3-84
22.	कु0 अर्चना जैन	4-8-86
23.	श्री घनश्याम शुक्ला	21-9-88
24.	श्री राजकुमार भारती	13-9-89
25.	श्री जवाहर लाल	15-11-89
26.	श्री शैलेन्द्र कुमार	27-9-89

नोट:—क्रमांक 22 से 26 के मामलों में प्रथम नियुक्ति की तिथि अंकित की गयी है किन्तु प्रत्येक 89 दिन के बाद 2-3 दिन का व्यवधान करते हुए कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है । इस प्रकार यह प्रथम नियुक्ति की तिथि से निरन्तर कार्यरत नहीं है ।

पी0 एस0 यू0 पी0—24 वि0 सभा—4-10-90—813 प्रतियां (लाइनों) ।